सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023
Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 04, 2023

संख्या प.2(36)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 31)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त हुई)

कोटा शहर तथा उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर कोटा रीजन बनाने, कोटा रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित तथा सत्वर विकास के लिए योजना बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

यत:, कोटा शहर, कैथून और केशवरायपाटन और उसके निकटवर्ती क्षेत्र क्रमिक रूप से विकसित और आबाद होते जा रहे हैं और इस बात की पर्याप्त आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों को कोटा रीजन का रूप दे दिया जाये और इन क्षेत्रों के समुचित, सुव्यवस्थित और सत्वर विकास के लिए योजनाएं बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए, जिसके लिए वर्तमान में अनेक सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य संगठन अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर कार्यशील हैं, एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की जाये; और यह उपबन्ध भी किया जाये कि ऐसा प्राधिकरण स्वयं या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से कोटा रीजन के विकास से संबंधित योजनाएं, परियोजनाएं और स्कीमें बनाने और उनका निष्पादन करने में समर्थ हो सके ताकि आगामी 2040 ईस्वी तक या उसके पश्चात् की अवधि के लिए भी, जिसमें मध्यवर्ती चरण भी सम्मिलित होंगे, कोटा रीजन की जनसंख्या के लिए आवासन, सामुदायिक सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं और अन्य अवस्थापनों की सुचारु रूप से व्यवस्था हो सके और यह कि उपर्युक्त प्रयोजनों से संबंधित मामलों के लिए उपबन्ध किया जाये।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार कोटा रीजन क्षेत्र पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(1) ''कृषि'' में उद्यान कृषि, फल-कृषि, बीज-कृषि, दुग्ध-उद्योग, उद्यान-कर्म, वनोद्योग, पशु-प्रजनन अथवा भूमि का पौधशाला या गोचर भूमि के रूप में उपयोग अथवा भूमि का ऐसा कोई अन्य उपयोग सम्मिलित है जो उस पर खेती के या अन्य कृषिक प्रयोजनों का अनुषंगी हो, तथा शब्द ''कृषिक'' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(2) ''सुख-सुविधाएं'' में सड़कें, पुल, संचार के कोई अन्य साधन, यातायात, गलियां, खुले स्थान, पार्क, आमोद-प्रमोद के स्थल, खेलकूद के मैदान, जल, गैस तथा विद्युत प्रदाय, और ऊर्जा का कोई स्रोत, गली प्रकाश व्यवस्था, मल-वहन, जल-निकास, मल-सफाई, सार्वजनिक निर्माण कार्य और ऐसी अन्य उपयोगिताएं, सेवाएं एवं सुविधाएं आती हैं जिनका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सुख-सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;

(3) ''प्राधिकरण'' से धारा 3 के अधीन गठित कोटा विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(4) ''भवन-संकार्य'' में भवनों के पुनर्निर्माण-संकार्य, भवनों के संरचनात्मक परिवर्तन या उनमें परिवर्धन और भवनों के निर्माण के संबंध में हाथ में लिये गये अन्य संकार्य सम्मिलित हैं;

(5) ''विकास'' से, इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित, भूमि (जिसमें नदी, झील या अन्य कोई जल के अधीन भूमि सम्मिलित है) में, उस पर या उसके नीचे की जाने वाली कोई भी भवन संक्रियाएं, इंजीनियरी, खनन या अन्य संक्रियाएं या किसी भवन या भूमि के उपयोग में कोई तात्विक परिवर्तन करना और किसी भूमि का पुनर्विकास और अभिन्यास, और उप-विभाजन तथा कृषि, उद्यान-कृषि, फूलों की खेती, वन लगाना, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन और अन्य ऐसे ही क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं; और ''विकास करना'' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(6) "विकास क्षेत्र" से धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें स्कीमों, परियोजनाओं द्वारा या अन्यथा, किसी समुचित कालावधि के भीतर विकास का किया जाना प्रस्तावित है;

(7) ''सरकार'' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(8) "कोटा रीजन" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट शहर, नगरों और गांवों की सीमाओं में के क्षेत्र अभिप्रेत हैं। राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी और तदुपरान्त उपान्तरित क्षेत्र कोटा रीजन होगा;

(9) ''भूमि'' में भूमि से उत्पन्न फायदे, और जमीन से संलग्न वस्तुएं या जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं सम्मिलित हैं;

(10) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगरपालिका या पंचायत अभिप्रेत है;

(11) ''नगरपालिका'' से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) के अधीन कोटा रीजन में स्थापित नगरपालिका अभिप्रेत है;

(12) ''अधिभोगी'' के अन्तर्गत आता है,-

(क) स्वामी अथवा कोई व्यक्ति जो, अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के सिवाय, किसी भवन या भूमि के स्वामी को किराया संदत्त कर रहा हो या संदाय करने का दायी हो; या

(ख) कोई भी व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के स्वामी को ऐसे किसी संपूर्ण भवन या भूमि का या उसके किसी भाग का सदोष अधिभोग करने के लिए नुकसानी का संदाय करने का दायी हो; और

(ग) किसी भवन या भूमि का किराया-मुक्त अधिभोगी;

(13) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के सिवाय, चाहे अपने स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी धार्मिक अथवा पूर्त संस्था के लिए एक अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक, प्रबन्धक अथवा रिसीवर के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया या लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है;

(14) ''पंचायत'' से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) के अधीन कोटा रीजन में स्थापित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(15) "योजना" से इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी अथवा तैयार की हुई समझी गयी कोई मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "कोई योजना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(16) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(17) "लोक प्रयोजन" में ऐसा कोई भी प्रयोजन सम्मिलित है जो जनता या जनता के किसी वर्ग या प्रवर्ग और इस अधिनियम के अधीन किसी योजना, परियोजना अथवा स्कीम में आरक्षित या अभिहित भूमि की अपेक्षा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोगी है;

(18) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है;

(19) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया नियम अभिप्रेत है;

(20) "अधिकरण" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;

(21) "जोन" से उन खण्डों में से कोई खण्ड अभिप्रेत है जिनमें कोटा रीजन को इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाये; और

(22) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ लगाया जायेगा जो उनको राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) में दिया गया है।

अध्याय 2

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3. कोटा विकास प्राधिकरण की स्थापना.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो "कोटा विकास प्राधिकरण" कहलायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है)।

(2) उक्त प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और जिसकी सामान्य मुहर होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन

जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन, धारण एवं व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में यथापरिभाषित पद "स्थानीय प्राधिकारी" के अर्थान्तर्गत प्राधिकारी को स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

4. कोटा विकास प्राधिकरण की संरचना.- (1) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(ii) कोटा विकास आयुक्त, कोटा जो उपाध्यक्ष होगा;

(iii) शासन सचिव, नगरीय शासन (विकास और आवासन विभाग); या उसका प्रतिनिधि जो उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव जब वह उस विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(iv) उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर (कोटा रीजन);

(v) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कोटा;

(vi) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा;

(vii) जिला कलक्टर, कोटा;

(viii) जिला कलक्टर, बूंदी;

(ix) पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर;

(x) पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण;

(xi) पुलिस अधीक्षक, बूंदी;

(xii) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;

(xiii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता की रैंक से नीचे का न हो;

(xiv) महापौर/प्रशासक, नगर निगम, कोटा उत्तर;

(xv) महापौर/प्रशासक, नगर निगम, कोटा दक्षिण;

(xvi) अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका बोर्ड, कैथून;

(xvii) अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका बोर्ड, केशवरायपाटन;

(xviii) जिला प्रमुख, जिला परिषद्, कोटा;

(xix) जिला प्रमुख, जिला परिषद्, बूंदी;

(xx) वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा;

(xxi) प्रबंध निदेशक, कोटा डेयरी, कोटा;

(xxii) सात से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे; और

(xxiii) सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण - जो सदस्य-सचिव होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे तो किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त कर सकेगी।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की ओर से समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किये गये हों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे। वह प्राधिकरण के अधिकारियों और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित समितियों के विनिश्चयों का, प्राधिकरण द्वारा उसकी अगली बैठक में पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए, उपांतरण भी कर सकेगा।

(4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण का अध्यक्ष, आदेश द्वारा, उसे प्रत्यायोजित करे और वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) सदस्य, प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या निकाय की बैठकों में हाजिर होने या सदस्य के रूप में किन्हीं अन्य कृत्यों का सम्पादन करने में किये गये व्यक्तिगत खर्च के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किये जायें।

(6) जब कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करने के आधार पर या संसद् या राज्य विधान-मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी, निगम, परिषद्, बोर्ड या निकाय का, चाहे वह निगमित हो या नहीं, सदस्य होने के कारण प्राधिकरण का सदस्य हो जाता है या नामनिर्देशित किया जाता है तो वह, यथास्थिति, ऐसे पद का धारक या सदस्य न रहने पर प्राधिकरण का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, प्राधिकरण का कोई भी सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष को स्वयं द्वारा लिखित संबोधन द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा किन्तु वह तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार न कर लिया जाये।

(8) उप-धारा (1) के खण्ड (xxi) के अधीन नामनिर्देशित प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी:

परन्तु उस दशा में जब उपर्युक्त किसी सदस्य का पद मृत्यु हो जाने, हटाये जाने, त्यागपत्र दे देने के कारण या अन्यथा रिक्त हो गया हो तो उस रिक्ति को उप-धारा (1) के खण्ड (xxi) के उपबंधों के अनुसार नये नामनिर्देशन द्वारा भरा जायेगा।

(9) प्राधिकरण, या उसके किसी बोर्ड, समिति या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किसी सदस्य का नामनिर्देशन या नियुक्ति नहीं की गयी है या किसी अन्य कारणवश प्राधिकरण या ऐसे निकाय के गठन के या बैठक के समय वह अपना पद संभालने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से सदस्य है या प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किन्हीं सदस्यों के पदों की एक या अधिक रिक्तियां हैं।

5. प्राधिकरण की बैठकें.- (1) प्राधिकरण की छह मास में कम से कम एक बार बैठक ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष विनिश्चित करे, और धारा 6 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसकी बैठक के कार्य संचालन (उसमें गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए) संबंधी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों तो प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य, जो बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाये, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति.- (1) प्राधिकरण का कोई सदस्य, जो प्राधिकरण द्वारा उसके निमित्त की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा, उधार, प्रबन्ध या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शेयर अथवा धन संबंधी अन्य हित रखता है या अर्जित करता है, प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु किसी सदस्य को केवल इसी कारण ऐसा शेयरधारी या हितधारी नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसी किसी संविदा, उधार, प्रबन्ध या प्रस्ताव में किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/समुत्थान का

शेयरधारी है या कि वह स्वयं या उसका कोई संबंधी प्राधिकरण द्वारा उसके निमित्त नियोजित है या कि प्राधिकरण के सदस्य की हैसियत से उसका ऐसा कोई शेयर या हित है या कि उसकी सम्पत्ति या ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें उसका शेयर या हित है, करार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उसके निमित्त अर्जित की या पट्टे पर ली जाती है अथवा की या ली जा रही है।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या प्राधिकरण का कोई सदस्य उप-धारा (1) में उल्लखित निरर्हताओं के अधीन आ गया है तो यह प्रश्न राज्य सरकार को विनिश्चय के लिए भेजा जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. कार्यकारी समिति का गठन और शक्तियां.- (1) प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) कोटा विकास आयुक्त, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) सचिव, नगरीय शासन (विकास तथा आवासन) का प्रतिनिधि, जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(iii) जिला कलक्टर, कोटा;

(iv) पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर;

(v) पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण;

(vi) सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा;

(vii) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा रीजन, कोटा, राजस्थान;

(viii) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा रीजन, कोटा, राजस्थान;

(ix) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि, जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता की रैंक से नीचे का न हो;

(x) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;

(xi) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;

(xii) उप निदेशक, पर्यटन, कोटा;

(xiii) प्राधिकरण का निदेशक, अभियांत्रिकी;

(xiv) प्राधिकरण का निदेशक, नगर नियोजन;

(xv) प्राधिकरण का निदेशक, वित्त;

(xvi) प्राधिकरण का निदेशक, विधि;

(xvii) आयुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर;

(xviii) आयुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण;

(xix) कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिक बोर्ड, कैथून; और

(xx) कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिक बोर्ड, केशवरायपाटन।

(2) कार्यकारी समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण के डिवीजनों और क्रियाशील इकाइयों का संगठन;

(ii) विनियमों के प्रारूप तैयार करना और प्राधिकरण को उनके बनाने की सिफारिश करना;

(iii) कोटा रीजन विकास निधियों का प्रचालन;

(iv) परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करना;

(v) परियोजनाओं और स्कीमों के लिए निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार करना;

(vi) सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के अधीन पदों का सृजन ऐसे स्तर तक करना जो विनियमों द्वारा अवधारित हो;

(vii) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित धनराशि उधार लेना और पुन: उधार लेना;

(viii) कोटा रीजन विकास निधि की अधिशेष राशि का विनियोजन;

(ix) परियोजनाओं और स्कीमों के लिए किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को अनुदान, धन संबंधी सहायता, उधार या अग्रिम देना या उसके खर्चों में हिस्सा देना;

(x) प्राधिकरण के निमित्त विधिक कार्यवाही संस्थित करना या प्रत्याहृत करना; और

(xi) अपने अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी का प्रत्यायोजन करना।

(3) कार्यकारी समिति इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) कार्यकारी समिति की बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर होगी जैसाकि उसके अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये और वह कार्य संचालन संबंधी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

8. कोटा विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को कोटा विकास आयुक्त के रूप में ऐसे वेतन और भत्तों पर और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें। वह प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड या उसके किसी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर समय-समय पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों सहित प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा। वह प्राधिकरण को देय समस्त राशियों के संग्रह और उसके द्वारा संदेय समस्त राशियों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्राधिकरण की नकद शेष राशि सहित समस्त आस्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उपर्युक्त शक्तियों और कर्तव्यों तथा प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड या उसके किसी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों तथा कर्तव्यों के अलावा वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण की प्रवर्तन इकाइयों का प्रबन्ध और पर्यवेक्षण करना;

(ii) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, जिसमें प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार उनको हटाया जाना, पदच्युत किया जाना या अन्यथा दण्ड देना भी सम्मिलित है;

(iii) प्राधिकरण के प्रबन्ध के लिए आन्तरिक प्रक्रिया प्रख्यापित करना;

(iv) प्राधिकरण की परियोजनाओं एवं स्कीमों का प्रशासन;

(v) प्राधिकरण की ओर से इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित कोई अनुज्ञा देना या उसे देने से इन्कार करना;

(vi) निविदाएं आमंत्रित करना, उनकी संवीक्षा करना और यदि उनका मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो तो उनका अनुमोदन करना या उनको रद्द करना और जब मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक हो तो कार्यकारी समिति को सिफारिश करना;

(vii) प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से करार करना और संविदाएं करना; और

(viii) अन्य सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य, जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) कोटा विकास आयुक्त को सहयोग और सलाह देने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति करेगी:-

(i) निदेशक, अभियांत्रिकी, जो सिविल संनिर्माण के मुख्य अभियंता की रैंक से नीचे का नहीं होगा;

(ii) निदेशक, नगर नियोजन, जो वरिष्ठ नगर नियोजक और स्थापत्य सलाहकार की रैंक से नीचे का नहीं होगा;

(iii) निदेशक, वित्त, जो वरिष्ठ लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा; और

(iv) निदेशक, विधि, जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार, प्राधिकरण के लिए सचिव की नियुक्ति करेगी जो कार्यकारी समिति, अन्य समितियों, यदि कोई हों और समस्त कृत्यकारी बोर्डों के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। वह कोटा विकास आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, समस्त कृत्यकारी बोर्डों, प्राधिकरण की समितियों या किसी निकाय का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और उससे सुसंगत समस्त अभिलेखों के साथ कार्यवृत्त पुस्तिका रखेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, कोटा विकास आयुक्त या किसी कृत्यकारी बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) राज्य सरकार कोटा विकास आयुक्त की सहायता के लिए एक या अधिक अतिरिक्त आयुक्त और अतिरिक्त सचिव भी नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उनको कोटा विकास आयुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

(5) उप-धारा (2), (3) और (4) के अधीन नियुक्त अधिकारी प्राधिकरण के अधिकारी समझे जायेंगे और उनके वेतन और भत्ते तथा उनके सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें।

9. कर्मचारिवृंद आदि की संख्या का अवधारण.- प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाय, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति, किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समस्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन, जैसाकि वह आवश्यक समझे, सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें, संवर्ग संख्या और शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

10. समितियों का गठन.- (1) प्राधिकरण, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों और कृत्यों के लिए, जो प्राधिकरण के द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जिनमें समस्त सदस्य उक्त प्राधिकरण के या कुछ सदस्य प्राधिकरण के और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे।

(2) इस धारा के अधीन गठित समितियों की बैठकें ऐसे स्थान और समय पर होंगी और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन संबंधी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का पालन होगा जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जायें।

(3) समितियों के सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने या समिति के अन्य कार्य करते समय किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऐसे भत्ते दिये जायेंगे, जो विहित किये जायें।

11. आदेशों आदि का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, अन्य समितियों और कृत्यकारी बोर्डों की समस्त कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन, प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, अन्य समिति या, यथास्थिति, कृत्यकारी बोर्डों के अध्यक्ष या, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत उसके किसी सदस्य के हस्ताक्षरों द्वारा होगा और प्राधिकरण के समस्त अन्य आदेशों एवं लिखतों को, कोटा विकास आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत, प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

12. सहायता करने या सलाह देने के लिए सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए उपबन्ध.- प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, कोटा विकास आयुक्त या कृत्यकारी बोर्ड अपनी बैठक या बैठकों में हाजिर होने के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी मामले या मामलों में सहायता करने या सलाह देने के प्रयोजन के लिए विशिष्ट या स्थायी आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी या व्यक्ति बैठक की कार्यवाहियों में भाग ले सकेंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

अध्याय 3

कृत्यकारी बोर्डों का गठन

13. कोटा यातायात नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना.- (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अधीन एक कृत्यकारी बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम "कोटा यातायात नियन्त्रण बोर्ड" होगा।

(2) कोटा यातायात नियन्त्रण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) कोटा विकास आयुक्त, जो अध्यक्ष होगा;
(ii) जिला मजिस्ट्रेट, कोटा;
(iii) पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर;
(iv) पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण;
(v) सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण;
(vi) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कोटा, राजस्थान;
(vii) मुख्य प्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटा जोन;
(viii) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा;
(ix) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा;
(x) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो;
(xi) प्राधिकरण का निदेशक, अभियांत्रिकी;
(xii) प्राधिकरण का निदेशक, नगर नियोजन;

(xiii) प्राधिकरण का निदेशक, वित्त;

(xiv) महापौर/प्रशासक, नगर निगम, कोटा उत्तर;

(xv) महापौर/प्रशासक, नगर निगम, कोटा दक्षिण;

(xvi) अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका बोर्ड, कैथून;

(xvii) अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका बोर्ड, केशवरायपाटन; और

(xviii) दो व्यक्ति, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(3) कोटा यातायात नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(i) कोटा शहर, कैथून और केशवरायपाटन में यातायात नियंत्रण के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उसके कार्यान्वयन के लिए क्रमबद्ध रीति से कदम उठाना;

(ii) यातायात नियंत्रण व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना;

(iii) हल्के और भारी यानों के यातायात लाईसेंस जारी करने के लिए नीति अधिकथित करना;

(iv) एकतरफा यातायात की नीति अवधारित करना, कुछ सड़कों पर कतिपय प्रकार के यातायात कतिपय समय के लिए निर्बन्धित करना, कतिपय सड़कों पर कतिपय यानों को वर्जित करना, पार्किंग स्थानों, स्टैण्डों, रुकने के स्थानों और साईकिल मार्गों और उनसे सम्बद्ध अन्य मामलों का अवधारण करना;

(v) संकेत-चिह्न, रोध और गतिरोधक लगाने के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करना;

(vi) विभिन्न प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति, सरकारी विभाग (केन्द्रीय या राज्य) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय को सड़क काटने के लिए अनुज्ञा देना और उसके लिए शर्तें अधिरोपित करना;

(vii) यातायात के परिसंकटों, अवरोधों को तोड़ना और ऐसे मामलों में विनियमों के अनुसार प्रतिकर अवधारित करना;

(viii) यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिए नागरिकों और ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से, सलाह देने और निधि इकट्ठी करने के लिए नियमों के अनुसार सहायता मांगना;

(ix) यातायात शिक्षा की व्यवस्था करना; और

(x) यातायात के सुधार और नियंत्रण से सम्बन्धित अन्य समस्त क्रियाकलाप और ऐसे कृत्य करना जो प्राधिकरण द्वारा निदेशित किये जायें।

14. अन्य कृत्यकारी बोर्डों का गठन और शक्तियां.- (1) प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकरण की सलाह पर राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा (i) परिवहन तथा संचार बोर्ड (ii) जल-संसाधन प्रबन्ध बोर्ड (iii) आवासन, नगरीय नवीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड और ऐसे नामों से, जिन्हें

विनिर्दिष्ट करना वह ठीक समझे, समय-समय पर अन्य कृत्यकारी बोर्डों का गठन करेगी जिनमें प्रत्येक में, उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित सदस्य होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक कृत्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य (पांच से अनधिक) होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें। सदस्यों में से कम से कम दो ऐसे होंगे जो कृत्यकारी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विषय के बारे में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों।

(3) राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना ठीक समझे तो, उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी या किसी भी समय उसका पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) प्रत्येक कृत्यकारी बोर्ड अपने कार्य क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों के विषयों के संबंध में,–

(क) परियोजनाओं और स्कीमों की आयोजना करेगा, उन्हें परिलक्षित करेगा, सर्वेक्षण प्रारम्भ करेगा और अन्वेषणों का संचालन करेगा (स्वयं या किन्हीं अन्य समुचित एजेन्सियों को लगाकर) तथा प्राधिकरण के विचारार्थ विनिधान प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम एवं प्रस्ताव तैयार करेगा जिसमें उसके निष्पादन के लिए लगाये जाने वाले प्राधिकारी और एजेन्सियां भी उपदर्शित की जायेंगी;

(ख) प्राधिकरण, कार्यकारी समिति या कोटा विकास आयुक्त को सलाह देगा;

(ग) प्राधिकरण या कार्यकारी समिति द्वारा उसे सौंपी गयी किसी परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करेगा; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें या जो कार्यकारी समिति या कोटा विकास आयुक्त द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किये जायें।

15. कृत्यकारी बोर्ड की बैठकें.- (1) इस अध्याय के अधीन गठित समस्त कृत्यकारी बोर्डों की बैठकें ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होंगी जैसाकि उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये और उसकी बैठक में कार्य संचालन संबंधी ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) कृत्यकारी बोर्डों के सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने और बोर्ड के अन्य कार्य करते समय किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय 4

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

16. प्राधिकरण के कृत्य.- प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य कोटा रीजन का एकीकृत विकास करना होगा और उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(क) नगर आयोजना जिसके अन्तर्गत मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजनाएं तैयार करना और इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण करवाना और उनमें ऐसे परिवर्तन भी करना, जो आवश्यक समझे जायें;

(ख) कोटा रीजन या उसके किसी भाग के विकास के लिए परियोजनाएं बनाना और उनको स्वीकृत करना;

(ग) परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन सीधे ही स्वयं करना या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा करवाना;

(घ) कोटा रीजन के सम्पूर्ण विकास के लिए ऐसे किसी मामले या किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करना जिसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो;

(ङ) कोटा रीजन के विकास के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के साथ भागीदारी करना;

(च) कोटा रीजन के विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों के निष्पादन में समन्वय स्थापित करना;

(छ) ऐसी किसी परियोजना या स्कीम की, जिसका खर्चा सम्पूर्णत: या भागत: कोटा रीजन विकास निधि में से किया जाना है, आयोजना और निष्पादन का पर्यवेक्षण या उस पर अन्यथा यथोचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना;

(ज) स्कीमें तैयार करना और कृषि, उद्यान कृषि, फल कृषि, वन लगाना, डेयरी विकास, परिवहन, संचार, स्कूल खोलना, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, खेलकूद, चिकित्सा, पर्यटन, मनोरंजन और ऐसे अन्य क्रियाकलापों के विस्तार के लिए स्कीमें तैयार करने और उन्हें हाथ में लिये जाने के संबंध में विभागों और एजेन्सियों को सलाह देना;

(झ) राज्य सरकार के निदेशानुसार परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन कराना;

(ञ) कोटा रीजन में आवासीय कार्य हाथ में लेना:

परन्तु राजस्थान आवासन बोर्ड और प्राधिकरण के बीच आवासन के उत्तरदायित्व का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जो उसके द्वारा नियत की जाने वाली तारीख से प्रभावित हो;

(ट) जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जैसाकि वह आवश्यक समझे, अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्ययन करना;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाने पर किसी व्यक्ति या से गठन के साथ संविदा, करार या व्यवस्था करना;

(ड) यातायात नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए मास्टर योजना तैयार करना, यातायात को सुगम बनाने और उससे संबंधित मामलों के लिए नीति और कार्यवाही के कार्यक्रम बनाना;

(ढ) नगर नवीनीकरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, परिवहन एवं संचार और जल शक्ति संसाधनों के प्रबन्ध के लिए राज्य सरकार द्वारा सीधे ही या अन्य विभागों/एजेन्सियों के, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, माध्यम से उसे प्रत्यायोजित किये गये कृत्य करना;

(ण) कोटा रीजन में या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी भाग में बिलों, विज्ञापन-पट्टों, मार्गपट्टों और नाम बोर्डों के लगाये जाने का विनियमन करना;

(त) प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोटा रीजन या उसके किसी भाग में भवनों या भवनों के निकले हुए भागों के निर्माण या पुनर्निर्माण, उसमें किये जाने वाले तात्विक परिवर्तन, और खुले स्थानों की व्यवस्था करने के कार्यों को विनियमित करना;

(थ) सार्वजनिक मार्गों, खुले स्थानों और सरकार या प्राधिकरण में निहित सम्पत्तियों से अतिक्रमणों एवं बाधाओं को हटाना;

(द) ऐसे अन्य कृत्य और बातें करना जो उन मामलों के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या साधक हों, जो इसके क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हुए हों और जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों जिनके लिए प्राधिकरण की स्थापना की गयी है; और

(ध) ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित किये जायें।

17. प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना कोई अन्य प्राधिकारी या व यक्ति विकास कार्य नहीं करवायेगा.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात होने पर भी कोई प्राधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोटा रीजन के भीतर उस प्रकार का विकास कार्य नहीं करवायेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये और जिसके कारण कोटा रीजन के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विकास कार्य करने का इच्छुक कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा विकास कार्य करने के लिए अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण को लिखित आवेदन करेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के जरिए ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी उसके आवेदन को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हों, के साथ प्राधिकरण को भेजेगा।

(3) प्राधिकरण ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और उप-धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर किन्हीं शर्तों के बिना या ऐसी किन्हीं शर्तों के साथ, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ऐसी अनुज्ञा दे देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार कर देगा। यदि ऐसी अनुज्ञा यथापूर्वोक्त साठ दिन के भीतर नहीं दी जाती है या उससे इन्कार नहीं किया जाता है तो आवेदक, प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अन्य अधिकारी को वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत लिखित संसूचना के द्वारा, अनुज्ञा देने या उसे देने से इन्कार करने में हो रहे लोप या उपेक्षा की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, और यदि ऐसा लोप या उपेक्षा, ऐसी संसूचना के प्राप्त होने से तीस दिन की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि प्राधिकरण

ने प्रस्तावित विकास की अनुज्ञा दे दी है और ऐसे विकास को, आवेदन में विनिर्दिष्ट रीति से, अग्रसर किया जा सकेगा:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या किये गये आदेश के किन्हीं भी उन उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी सुधार का जिम्मा लेने या उसे कार्यान्वित करने से पहले प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा से भिन्न किसी भी मामले से सम्बन्धित हैं।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु ऐसी अपील प्रस्तुत करने वाला व्यथित प्राधिकारी यदि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हो तो अपील केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(5) उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस धारा के अधीन किये गये विनिश्चय के प्रतिकूल कोई कार्य करे तो प्राधिकरण को ऐसे विनिश्चय के प्रतिकूल किये गये किसी विकास कार्य को गिराने, तोड़ने या हटाने और इस प्रकार गिराने, तोड़ने या हटाने का खर्चा संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी से वसूल करने की शक्ति होगी।

18. प्राधिकरण की निदेश देने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात होने पर भी प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी किसी परियोजना या स्कीम की, जिसे धारा 16 के अधीन वित्तीय सहायता दी गयी है, कार्यान्विति के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे निदेशों का पालन करने को आबद्ध होगा।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को कोई निदेश दिया जाता है तो ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे निदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्राधिकरण धारा 16 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि प्रत्येक परियोजना या स्कीम का निष्पादन कोटा रीजन के समग्र विकास के हित में और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुमोदित या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी योजना, परियोजना या स्कीम के अनुसार किया जा रहा है।

19. कतिपय मामलों में स्थानीय प्राधिकारी से उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति.- (1) जहां प्राधिकरण द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हों वहां प्राधिकरण उन सुविधाओं के रख-रखाव का उत्तरदायित्व संभाल लेगा जो उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी हों या वह स्थानीय प्राधिकारी

या किसी अन्य प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता के भीतर इस प्रकार विकसित क्षेत्र आता है, ऐसा उत्तरदायित्व सम्भाल लेने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो जाये, और जहां ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सहमति नहीं हो सके वहां स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी अन्य प्राधिकारी और प्राधिकरण के साथ परामर्श करके ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए उपबन्ध करने की अपेक्षा भी कर सकेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें और जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है।

20. प्राधिकरण की किसी योजना को निष्पादित करने की शक्ति.- (1) जब प्राधिकरण का यह समाधान हो जाये कि धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा किसी परियोजना या स्कीम के संबंध में दिये गये किसी निदेश को उसमें निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किया गया है या ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति कोटा रीजन के किसी भाग के विकास के लिए अपने द्वारा हाथ में ली गयी किसी परियोजना या स्कीम का कार्यान्वयन पूरी तौर से करने में असमर्थ है तो प्राधिकरण राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसे निर्माण कार्यों को स्वयं करवायेगा और ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन या, यथास्थिति, ऐसी स्कीमों की कार्यान्विति के लिए कोई खर्चा उपगत कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के निदेशानुसार कोटा रीजन में मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना या किसी अन्य परियोजना या, यथास्थिति, स्कीम के अनुसार कोई कार्य हाथ में ले सकेगा और ऐसा व्यय कर सकेगा जो निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हो। ऐसा निदेश प्राधिकरण को केवल तब ही जारी किया जायेगा जब राज्य सरकार की राय में –

(क) ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने वाला कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकरण नहीं हो, या

(ख) ऐसा प्राधिकरण हो किन्तु वह ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने में अनिच्छुक या असमर्थ हो, या

(ग) जब प्राधिकरण ने ऐसा कार्य उसे सौंपने के लिए राज्य सरकार से विशेष रूप से निवेदन किया हो।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया गया हो तो उसे ऐसे कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए वे समस्त शक्तियां होंगी जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या उसके अधीन प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजन के लिए कोटा रीजन के भीतर किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा:-

(क) ऐसी भूमि के तल मापन के लिए किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करना;

(ख) अधोमृदा की खुदाई या बेधन;

(ग) चिह्न लगाकर और खाई खोदकर तल माप और सीमाओं के चिह्न लगाना; और

(घ) जब अन्यथा सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो सकता हो या तल माप और सीमाएं चिह्नित नहीं की जा सकती हों, तो बाड़ या जंगल काटना या साफ करना:

परन्तु किसी भूमि पर प्रवेश करने के पूर्व प्राधिकरण ऐसा करने के अपने आशय का नोटिस ऐसी रीति में देगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाये।

अध्याय 5

मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजनाएं

21. नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना तैयार करना.- (1) प्राधिकरण भूमि के योजनाबद्ध एकीकृत विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोटा रीजन का नागरिक सर्वेक्षण करेगा और उसके लिए मास्टर विकास योजना तैयार करेगा।

(2) मास्टर विकास योजना में कोटा रीजन के नागरिकों के उस जीवन को जिसके निर्वाह की इच्छा वे (i) वर्ष 2031 ई. में मध्यम श्रेणी के परिप्रेक्ष्य में (ii) वर्ष 2040 ई. में और उसके पश्चात् दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में, तथा (iii) राज्य सरकार के निदेशानुसार ऐसे अन्य अन्तर्वर्ती चरणों में रखते हैं, कोटा नगर और कोटा रीजन के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुलित और समयबद्ध विकास को, लोक उपयोगिताओं, नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवासीय, संचार और परिवहन के जाल बिछाने को, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों को और कोटा रीजन के एकीकृत विकास पर प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टत: परिभाषित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित के लिए विशेष उपबन्ध किया जा सकेगा:-

(i) परिवहन और संचार जैसे सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, नहरें, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और बस-सेवा तथा उनका विकास सम्मिलित है;

(ii) जल-प्रदाय, जल-निकास, मल-नाली, मल-निकास और अन्य लोक उपयोगिताएं, सुविधाएं और सेवाएं जिनमें विद्युत् और गैस भी सम्मिलित हैं;

(iii) प्राकृतिक दृश्यावली, शहर के वनों, वन्य प्राणियों, प्राकृतिक संसाधनों और स्थल दृश्यों के क्षेत्रों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास;

(iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रुचि और शैक्षणिक मूल्यों की वस्तुओं, आकृतियों, इमारतों या स्थानों का परिरक्षण;

(v) भूमि कटाव रोकना, वनरोपण या पुन: वनरोपण की व्यवस्था करना, जलप्लावित क्षेत्रों, नदियों, नालों, झीलों और तालाबों का सुधार करना;

(vi) सिंचाई, जल-प्रदाय एवं जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल और वायु प्रदूषण को रोकना;

(vii) शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं;

(viii) जिला व्यावसायिक केन्द्र, अन्य शापिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यातोन्मुख औद्योगिक क्षेत्र, निकास गृह, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार;

(ix) खेलकूद काम्प्लेक्स जो अन्तरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने योग्य हों;

(x) आमोद-प्रमोद के लिए उद्यान जिनमें डिज्नीलैण्ड, शैली के काम्प्लेक्स, सफारी उद्यान और अन्य बाग और उद्यान, पिकनिक स्थान और दिन के आमोद-प्रमोद जिनमें कृत्रिम झीलें और जलाशय सम्मिलित हैं;

(xi) सांस्कृतिक काम्प्लेक्स जिसमें नाट्य गृह, सिनेमा, रंगमंच, स्टूडियो, मनोरंजन केन्द्र, सम्मेलन हाल कॉम्प्लेक्स, कन्सर्ट हाल, टाउन हाल और सभा भवन सम्मिलित हैं;

(xii) पर्यटन कॉम्प्लेक्स जिसमें होटल और मोटल, कार किराये पर लेने की सेवाएं, पर्यटन और यात्राएं आयोजित करना सम्मिलित है;

(xiii) नये कस्बों के विकास के साथ-साथ कोटा रीजन में उपनगरों का विकास और कोटा शहर के साथ उनका समुचित एकीकरण;

(xiv) विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आबंटन करना, भूमि का सामान्य वितरण करना और वह सामान्य स्थिति और सीमा बतलाना जिस तक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में या खनिज समुपयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सके;

(xv) खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन स्थानों, चिड़ियाघरों, प्राकृतिक आरक्षितियों, पशु अभयारण्य, दुग्धशालाओं तथा स्वास्थ्य स्थलों और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण करना;

(xvi) अधिक जनसंख्या वाले और औद्योगिक रूप से संकुलित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योग को पुन: स्थापित करना और कोटा रीजन के किसी भी क्षेत्र में मंजूर किये जाने वाले जनसंख्या के घनत्व या उद्योगों के केन्द्रीकरण को इंगित करना;

(xvii) आवासन, जिसमें ग्रामीण आवासन भी सम्मिलित है;

(xviii) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या ठीक करना या भूमियों को समतल करना;

(xix) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुन: विकास और सुधार करना;

(xx) "आबादी" के विकास को सम्मिलित करते हुए भिन्न-भिन्न जोनों के लिए योजना मानक और जोनिंग विनियम बनाना; और

(xxi) नगरीय विकास प्रबंध के लिए कोटा रीजन की योजना बनाना और उससे संबंधित समस्त मामलों और इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत अन्य मामलों के लिए योजना बनाना।

(3) मास्टर विकास योजना में वे विभिन्न जोन भी परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें विकास के प्रयोजनों के लिए कोटा रीजन को विभाजित किया जायेगा और उसमें वह रीति जिसमें विकास किया जाना है, और प्रत्येक जोन की भूमि, जिसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकास कार्य करके अथवा अन्यथा), और वे चरण जिनमें ऐसा विकास किया जायेगा, बतलाये जायेंगे और वह उस ढाचे का आधारभूत नमूना होगी जिसके भीतर विभिन्न जोनों की जोनल विकास योजना तैयार की जा सकेगी:

परन्तु प्राधिकरण, यदि लोकहित में ऐसा आवश्यक समझे तो, किसी भी जोन के क्षेत्र को बदल सकेगा।

22. जोनल विकास योजनाएं.- (1) मास्टर विकास योजना तैयार करने के साथ-साथ या उसके तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण प्रत्येक उस जोन के लिए, जिसमें कोटा रीजन को विभाजित किया जाये, जोनल विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

(2) जोनल विकास योजना में,-

(क) धारा 21 की उप-धारा (2) में यथा-उल्लिखित विकास क्रियाकलापों के लिए उपबन्ध होगा;

(ख) जोन के विकास का एक स्थल रेखांक होगा और ऐसी बातें जैसे कि सार्वजनिक भवन और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य और उपयोगिताएं, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान, और अन्य सार्वजनिक और निजी उपयोग की सीमावर्ती स्थितियों और जोन में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की सीमा दिखलाई जायेगी;

(ग) आबादी की सघनता और भवनों की सघनता के स्तरमान विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) जोन का ऐसा प्रत्येक क्षेत्र दिखाया जायेगा, जो प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिए अपेक्षित हो या घोषित किया जा सकता हो; और

(ङ) विशेषत:, निम्नलिखित सभी बातों से या उन में से किसी से संबंधित उपबन्ध होंगे, अर्थात्:-

(i) भवन निर्माण के लिए किसी स्थल का भू-खण्डों में विभाजन;

(ii) सड़कों, खुले स्थानों, बागों, आमोद-प्रमोद के स्थलों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन या आरक्षण;

(iii) किसी क्षेत्र का कस्बे या कालोनी के रूप में विकास और वे निर्बन्धन और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या क्रियान्वित किया जा सकेगा;

(iv) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण और भवनों में या उनके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थान के बारे में निर्बंधन और शर्तें और भवनों की ऊंचाई और उनका स्वरूप;

(v) किसी स्थल पर भवनों का पंक्ति-बन्धन;

(vi) किसी स्थल पर निर्मित किये जाने वाले किसी भवन की ऊंचाई या अग्रभाग का स्थापत्य स्वरूप;

(vii) किसी प्लाट या स्थल पर बनायें जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(viii) किसी स्थल या ऐसे स्थल पर बने भवनों के संबंध में उपलब्ध करायी जाने वाली सुख-सुविधाएं जो चाहे भवनों के निर्माण से पूर्व उपलब्ध करायी जायें या उसके पश्चात् और व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके खर्चे पर ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी हैं;

(ix) किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजन के लिए परिकल्पित दुकानों, वर्कशापों, भाण्डागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकला संबंधी स्वरूप के भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बन्धन;

(x) दीवारों, बाड़बन्दियों, झाड़बन्दियों या किसी अन्य संरचनात्मक निर्माण या वास्तु संबंधी निर्माणों का रख-रखाव और वह ऊंचाई जहां तक उन्हें बनाए रखना है;

(xi) किसी स्थल के भवन-निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में निर्बन्धन; और

(xii) कोई अन्य बातें जो जोन या उसके किसी क्षेत्र की योजना के अनुसार समुचित विकास के लिए और ऐसे जोन या क्षेत्र में भवनों के अक्रमिक निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक हों।

23. योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.- (1) किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने के पूर्व प्राधिकरण योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करायेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध करायेगा और एक नोटिस ऐसे प्ररूप और रीति में प्रकाशित करायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, योजना के प्ररूप के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित भूमि को योजना स्पर्श करती है, उस योजना की बाबत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) प्राधिकरण उन समस्त आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर, जो उसे प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् योजना को अन्तिम रूप देगा।

(4) योजना के आकार और उसकी अन्तर्वस्तु की बाबत और उसके बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की बाबत ऐसी योजना तैयार करने एवं मंजूर करने से संबंधित किसी अन्य मामले में विनियमों द्वारा उपबन्ध किये जा सकेंगे।

(5) उप-धारा (1) से (4) तक में कोई बात होने पर भी उक्त उप-धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया का उस मामले में अपनाया जाना अपेक्षित नहीं होगा जब किसी जोन में किसी परियोजना या स्कीम का विकास या उसमें कोई सुधार प्राधिकरण में निहित किसी भूमि पर कार्यान्वित किया जाना हो।

24. योजना के प्रवर्तित होने की तारीख.- प्राधिकरण द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरन्त पश्चात् वह एक नोटिस ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित हो जिसमें यह कथन होगा कि योजना का अनुमोदन कर दिया गया है और उसमें उस स्थान का भी नाम होगा जहां सभी युक्तियुक्त समयों पर योजना की प्रति का निरीक्षण किया जा सकेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को वह योजना प्रवर्तित हो जायेगी।

25. योजनाओं का पश्चातवर्ती उपांतरण.- (1) धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् किसी भी समय प्राधिकरण योजना में ऐसे उपान्तरण कर सकेगा जो वह उचित समझे, उपान्तरण उसकी राय में ऐसे हों जिनसे योजना के स्वरूप में तात्विक परिवर्तन न आने पायें और जो भूमि के उपयोग के विस्तार या जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित न हों।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से कोटा रीजन के किसी भाग के योजनाबद्ध विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से उन्नयन करने के लिए योजना में कोई अन्य उपान्तरण कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण या नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगरपालिक बोर्ड, कैथून और नगरपालिक बोर्ड, केशवरायपाटन या कोई भी अन्य निकाय या समिति, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, कोटा रीजन में किसी भाग के योजनाबद्ध विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से संप्रवर्तन करने के लिए, ऐसे क्षेत्र की योजना की भूमि के उपयोग में ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(4) योजना में कोई भी उपान्तरण किये जाने के पूर्व प्राधिकरण, नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगरपालिक बोर्ड, कैथून और नगरपालिक बोर्ड, केशवरायपाटन या कोई भी अन्य निकाय या, यथास्थिति, समिति एक नोटिस ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगी जिसके द्वारा उस नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और प्राधिकरण, नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगरपालिक बोर्ड, कैथून और नगरपालिक बोर्ड, केशवरायपाटन या किसी भी अन्य निकाय या यथास्थिति समिति द्वारा प्राप्त समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया जायेगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को प्रकाशित किया जायेगा और उपान्तरण का प्रवर्तन या तो प्रकाशन की तारीख से होगा या उस तारीख से होगा जो प्राधिकरण, नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगरपालिक बोर्ड, कैथून और नगरपालिक बोर्ड, केशवरायपाटन या कोई अन्य निकाय या, यथास्थिति, समिति राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा नियत करे, जिसके उपरान्त उपान्तरित योजना ही इस अधिनियम के समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए प्रवर्तित होगी।

(6) किसी उपान्तरित योजना का प्रवर्तन होने पर इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं के सिवाय अन्य किसी धारा में मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस धारा के उपबन्धों के अधीन यथा-उपान्तरित मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना के प्रति निर्देश से लगाया जायेगा।

26. योजना का क्रियान्वयन.- प्राधिकरण किसी योजना का प्रवर्तन होने पर यथाशीघ्र योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवश्यक समझी जाये।

27. इस अधिनियम से पूर्व तैयार की गयी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी.- इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी कोई भी मास्टर योजना या जोनल योजना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी जिस पर मास्टर योजना/मास्टर विकास योजना की स्वीकृति, उपान्तरण और प्रवर्तन से संबंधित पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे:

परन्तु कोटा के नगरीय क्षेत्र के लिए विधि के किन्हीं भी अन्य उपबन्धों के अधीन स्वीकृत कोई मास्टर योजना या जोनल योजना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी योजना के स्वीकृत होते ही प्रवृत्त नहीं रहेगी।

28. योजना का पुनर्विलोकन.- इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के प्रवर्तित हो जाने की तारीख से दस वर्ष के भीतर किसी भी समय यदि राज्य सरकार या प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है तो राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसी योजना का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगी, या प्राधिकरण स्वप्रेरणा से, यदि आवश्यक हो, कोटा रीजन का नवीन नागरिक सर्वेक्षण करा लेने और वर्तमान में उपयोग में आयी भूमि का नक्शा तैयार करा लेने के पश्चात् उसका पुनरीक्षण कर सकेगा और तब इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्ध, जहां तक वे लागू किये जा सकते हैं, ऐसी योजना के पुनरीक्षण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि ये उपबन्ध किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और स्वीकृति पर लागू होते हैं।

अध्याय 6

योजनाओं में सम्मिलित भूमि के विकास और उपयोग का नियंत्रण

29. विकास क्षेत्रों की घोषणाएं.- (1) धारा 24 में यथा-उपबन्धित किसी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्राधिकरण यथासंभव शीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोटा रीजन के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम में यथा-उपबन्धित को छोड़कर, प्राधिकरण किसी भी ऐसे क्षेत्र में भूमि के विकास का उत्तरदायित्व नहीं लेगा या उसका विकास नहीं करेगा जो विकास क्षेत्र नहीं है।

(3) राजपत्र में उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात्, कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण या नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगरपालिक बोर्ड, कैथून और नगरपालिक बोर्ड, केशवरायपाटन की उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर लिखित अनुज्ञा के बिना संबंधित अधिकारिता में की किसी भी भूमि के उपयोग के आरंभ या परिवर्तन या भूमि के विकास का क्रियान्वयन, किसी लोकमार्ग को तोड़कर, खोलने के सिवाय, जिसके लिए कोटा यातायात नियंत्रण बोर्ड की लिखित पूर्वानुज्ञा ली जायेगी, नहीं करेगा:

परन्तु निम्नलिखित के लिए ऐसी कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी:-

(i) किसी भवन के रखरखाव, सुधार या अन्य फेरबदल के ऐसे कार्य के लिए जो केवल भवन के अन्दरूनी भाग को प्रभावित करते हैं या जो उसके बाहरी स्वरूप को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश के अनुपालन में किये जाने वाले कार्यों के लिए;

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये जाने वाले कार्यों के लिए;

(iv) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले किन्हीं भी कार्यों के लिए जो-

(क) किसी राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग के रखरखाव या सुधार के लिए अपेक्षित हों; वे ऐसे कार्य हों जो ऐसे राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग की सीमा में आयी भूमि पर किये गये हों;

(ख) किन्हीं नालियों, मलनालियों, मुख्य नालियों, पाइपों, केबलों, टेलीफोनों या अन्य साधित्रों के निरीक्षण, मरम्मत या नवीकरण के प्रयोजन के लिए हों;

(v) कृषि कार्यों के सामान्य अनुक्रम के दौरान साधारणत: किये गये उत्खनन (कुओं सहित) के लिए;

(vi) सड़क के संनिर्माण के लिए जो केवल कृषि प्रयोजन के लिए भूमि पर पहुंचने के आशय से हों;

(vii) उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अस्थायी रूप से उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो;

(viii) ऐसी भूमि के मामले में जिसका उपयोग सामान्यत: एक कार्य के लिए होता हो और यदाकदा किसी अन्य प्रयोजन के लिए होता हो तब यदाकदा उस अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए; और

(ix) मानव आवास के लिए किसी भवन के उपयोग के आनुषंगिक प्रयोजन के लिए या ऐसे भवन से संलग्न किसी भवन या भूमि के उपयोग के लिए।

30. विकास की अनुज्ञा के प्रतिसंहरण और उपान्तरण की **शक्ति.**- (1) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि तैयार की गयी या तैयार की जा रही किसी योजना को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन है कि इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी भूमि के विकास के लिए दी गयी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण कर दिया जाये तो प्राधिकरण ऐसे प्रतिसंहरण या उपान्तरण के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश द्वारा अनुज्ञा का उस सीमा तक प्रतिसंहरण या उपान्तरण कर सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु-

(क) जहां विकास किसी भवन या अन्य किसी संक्रिया के निष्पादन से संबंधित हो तो ऐसा कोई भी आदेश ऐसी किन्हीं संक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही निष्पादित की जा चुकी हों या आदेश तभी पारित किया जायेगा जबकि इन संक्रियाओं की सारवान् प्रगति हो चुकी हो या संक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हों;

(ख) जहां विकास भूमि के उपयोग में परिवर्तन से संबंधित हो वहां परिवर्तन हो जाने के पश्चात् किसी भी समय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपांतरण लोकहित में आवश्यक हो वहां प्रथम परन्तुक के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश द्वारा किसी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण किया गया हो और कोई भी स्वामी विहित समय में और रीति से ऐसी अनुज्ञा के जो प्रतिसंहरण या उपान्तरण द्वारा बेकार कर दी गयी हो, अनुसरण में किये गये विकास में हुए व्यय के लिए प्रतिकर का दावा करे तो प्राधिकरण स्वामी को उसकी सुनवाई ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उसने इस निमित्त नियुक्त किया है, की जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे प्रतिकर का निर्धा रण करेगा और स्वामी को समुचित प्रतिकर देने का प्रस्ताव करेगा।

(3) यदि स्वामी यह प्रतिकर स्वीकार नहीं करता है और अपनी इन्कारी का नोटिस तीस दिन के भीतर देता है तो प्राधिकरण इस मामले को न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण को भेजेगा और अधिकरण का विनिश्चय उक्त स्वामी और प्राधिकरण के लिए आबद्धकर होगा।

31. अप्राधिकृत विकास या योजना के अनुरूप से अन्यथा उपयोग के लिए शास्ति.- (1) कोई व्यक्ति जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई विकास प्रारम्भ करता है, विकास का दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का ऐसा प्रारम्भ या परिवर्तन करता है जो-

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है; या

(ख) जो मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसरण में नहीं है या जो किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या

(ग) विकास की अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या

(घ) उस अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण किया गया है,

दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रतिदिन एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(2) कोई भी व यक्ति जो धारा 17 के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किये बिना किसी योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भवन या भूमि का उपयोग जारी रखता है या अनुज्ञात करता है या जहां ऐसे उपयोग को जारी रखना उस धारा के अधीन अनुज्ञात किये जाने पर ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात् भी जारी रहता है जिसके लिए यह अनुज्ञात किया गया था, या उन निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन किये बिना जिनके अधीन ऐसे उपयोग का जारी रखना अनुज्ञात किया गया है, उसका उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर, उसे ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा; और अपराध जारी रहने पर ऐसे जुर्माने से और दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

32. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति.- (1) जहां धारा 31 की उप-धारा (1) में उपदर्शित के अनुसार भूमि का कोई विकास किया गया हो वहां प्राधिकरण, इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे विकास के दस वर्षों के भीतर स्वामी को नोटिस दे सकेगा जिसमें उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह

नोटिस की तामील के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के भीतर जो एक मास से अधिक की नहीं होगी, निम्नलिखित ऐसे कदम उठाए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों-

(क) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों में भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करना जो उसकी स्थिति उक्त विकास के होने के पहले थी;

(ख) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट मामलों में शर्तों या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना:

परन्तु जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना अपेक्षित हो, वहां प्राधिकरण अधिभोगी पर भी नोटिस की तामील करायेगा।

(2) विशिष्टत:, ऐसे नोटिस में उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जायेगी कि-

(i) किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाये या उसमें फेरबदल किया जाये;

(ii) भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य संक्रियाएं की जायें; या

(iii) भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाये।

(3) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति नोटिस में विहित कालावधि के भीतर और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से भूमि पर किसी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के लिए या भूमि के किसी उपयोग को जारी रखने के लिए जिससे नोटिस संबंधित है, धारा 17 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा और आवेदन का अन्तिम रूप से अवधारण होने या उसे वापस ले लिये जाने के दौरान भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण या ऐसे उपयोग को जारी रखने पर केवल नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्ध, जहां तक ये लागू हों, उप-धारा (3) के अधीन किये गये आवेदन पर लागू होंगे।

(5) आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर कर ली जाती है तो नोटिस प्रत्याहृत माना जायेगा; किन्तु ऐसी आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर नहीं की जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा या यदि अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के केवल किसी भाग के उपयोग को जारी रखे जाने के लिए दी गयी हो तो नोटिस ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में प्रत्याहृत माना जायेगा किन्तु अन्य भवनों या संकर्मों या भूमि के अन्य भागों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में यथावत बना रहेगा और तब स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भागों के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कदम उठाये।

(6) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात् उसी कालावधि के भीतर नोटिस का, जितना भी यह यथावत रहता है, अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण-

(क) नोटिस का अनुपालन न करने पर स्वामी का और जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग के जारी न रखे जाने की अपेक्षा की गयी हो वहां किसी अन्य व्यक्ति का भी, जो भूमि का उपयोग करता है

या नोटिस के उल्लंघन में भूमि का उपयोग कराता है या उसकी अनुज्ञा देता है, अभियोजन कर सकेगा; और

(ख) जहां नोटिस में किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिये जाने या उसमें परिवर्तन करने या किसी भवन अथवा अन्य संक्रियाओं के निष्पादन की अपेक्षा की गयी हो वहां पर स्वयं विकास होने के पहले वाली स्थिति का प्रतिधारण करायेगा और अनुज्ञा की शर्तों या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन कराने हेतु किसी भवन या संकर्म को तोड़ने या उसमें परिवर्तन करने अथवा किसी भवन या अन्य संक्रियाओं के निष्पादन सहित ऐसे कदम उठायेगा जो प्राधिकरण आवश्यक समझे और इस निमित्त उसके द्वारा खर्च की गयी रकम स्वामी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा।

(7) उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई व्यक्ति दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध जारी रहने के दौरान इस प्रकार जारी रखने के लिए दो षसिद्धि पर उसे ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

33. अप्राधिकृत विकास रोकने की शक्ति.- (1) जहां धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा-उपदर्शित भूमि का विकास किया जा रहा हो किन्तु पूर्ण नहीं हुआ हो तो वहां प्राधिकरण स्वामी पर और विकास करने वाले व्यक्ति पर एक नोटिस तामील करायेगा जिसमें अपेक्षा की जायेगी कि भूमि का विकास नोटिस की तामील के समय से बन्द कर दिया जाये और तब धारा 32 की उप-धारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध, जहां तक ये लागू हो सकें, ऐसे नोटिस के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 32 के अधीन नोटिस के संबंध में लागू होते हैं।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस के तामील हो जाने के पश्चात्, चाहे अपने लिए या चाहे स्वामी अथवा किसी अन्य व यक्ति के लिए भूमि का विकास जारी रखता है तो वह दो षसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और यदि उसका अननुपालन जारी रखा जाता है तो वह ऐसे और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा जो नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् अननुपालन किये जाने या अननुपालन जारी रखे जाने के दौरान प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(3) इस अध्याय में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् अनधिकृत विकास जारी रखता है, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन, प्रारम्भ किये जा सकने वाले किसी भी अभियोजन या अन्य कार्यवाहियों या कार्रवाई के अतिरिक्त, किसी भी पुलिस अधिकारी से उस व्यक्ति को जिसके द्वारा भवन का परिनिर्माण जारी रखा जाता है और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को, ऐसे समय के भीतर जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाये, अनधिकृत विकास के स्थान से हटाने की अपेक्षा करने के लिए सशक्त होगा और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यपेक्षा का तदनुसार अनुपालन करेगा। व्यक्तियों के ऐसे हटाये जाने के

अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसी निर्माण सामग्री, औजारों, आदि को अधिहृत भी कर सकेगा जिसे ऐसा व्यक्ति अनधिकृत विकास के लिए उपयोग में ला रहा था।

(4) उप-धारा (3) के अधीन के अध्यपेक्षा आदेश का अनुपालन हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, जो बाद में अनधिकृत विकास जारी रखते हैं, दोषसिद्धि पर, उप-धारा (3) के अधीन की कार्रवाई के अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 69 के अधीन दण्डनीय होंगे।

(5) ऐसे किसी भी नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जायेगा जिसे वह अनधिकृत विकास के, इस अधिनियम के अधीन बंद किये जाने के परिणामस्वरूप उठाये।

34. अप्राधिकृत विकास का प्रशमन.- इस अध्याय में इसके पूर्व किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां किसी भी व्यक्ति ने स्थायी प्रकृति का कोई भी विकास या भूमि के उपयोग का परिवर्तन,-

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना, या

(ख) जो किसी प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या किन्हीं भी ऐसी शर्तों के उल्लंघन में है जिनके अध्यधीन रहते हुए कोई भी अनुज्ञा दी गयी है, या

(ग) प्रदत्त या सम्यक् रूप से उपांतरित किसी भी अनुज्ञा के उल्लंघन में,

कर लिया है वहां ऐसा विकास या भूमि के उपयोग का परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी फीस तथा प्रभारों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें, संदाय पर प्रशमित किया जा सकेगा।

35. संक्षिप्त प्रक्रिया से अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाना या बन्द करना.- (1) इस अध्याय में इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा-उपदर्शित अस्थायी प्रकार का विकास अप्राधिकृत रूप से कर लिया है तो प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर किसी परिनिर्मिति या निर्माण कार्य को हटाने या भूमि का यथापूर्वोक्त अप्राधिकृत उपयोग बन्द करने का निदेश दे सकेगा और यदि उसके पश्चात् वह व्यक्ति उक्त कालावधि के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी संक्षिप्त प्रक्रिया से ऐसे निर्माण कार्य को हटा सकेगा या आदेश में यथानिर्देशित उपयोग को बिना किसी नोटिस के संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बन्द करा सकेगा और अप्राधिकृत रूप से फिर से किया गया कोई विकास इसी प्रकार संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा यथापूर्वोक्त कोई आदेश जारी किये बिना हटा दिया या बन्द कर दिया जायेगा:

परन्तु खड़ी फसलों को संक्षिप्त प्रक्रिया से नहीं हटाया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को फसल काटने और एकत्र करने के लिए प्राधिकरण द्वारा छह मास से अनधिक की समुचित कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।

(2) अस्थायी प्रकार का विकास क्या है, इस प्रश्न पर प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

36. अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, धारा 32 या धारा 33 या धारा 35 के अधीन किसी विकास को हटाने या बंद करने के लिए आदेश देने से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, इस

अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे विकास की प्रकृति और विस्तार के बारे में किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए ऐसे विकास को विहित रीति से सील किये जाने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

37. प्राधिकृत विकास या उपयोग को हटाये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति.- (1) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि तैयार की गयी योजना को ध्यान में रखते हुए इसके क्षेत्रों (सुख-सुविधाओं सहित) को उपयुक्त रूप से योजनाबद्ध करने के लिए यह समीचीन है,-

(क) कि भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर देना चाहिए; या

(ख) कि उसके जारी रखने पर कोई शर्तें अधिरोपित की जानी चाहिएं; या

(ग) कि किसी भवन या निर्माण-कार्य को परिवर्तित कर दिया या हटा दिया जाना चाहिए,

तो प्राधिकरण स्वामी पर नोटिस तामील करवाकर-

(i) उस उपयोग को बंद किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा; या

(ii) उसे जारी रखे जाने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जायें; या

(iii) नोटिस की तामील के पश्चात्, यथास्थिति, किन्हीं भवनों या संकर्मों को हटाने या उनमें फेरबदल करने के ऐसे कदम, उसमें विनिर्दिष्ट एक मास से अन्यून की ऐसी अवधि में उठाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त कालावधि के भीतर और विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दायर की गयी किसी अपील पर अधिकरण अपीलार्थी और प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील खारिज कर सकेगा या नोटिस को अभिखंडित करते हुए या उसमें फेरफार करते हुए, जैसा भी वह ठीक समझे, अपील मंजूर कर सकेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति,-

(i) जिसे नोटिस के अनुपालन के परिणामस्वरूप उस भूमि में, जिसका वह हकदार है, किसी हित के अवक्षयण द्वारा या भूमि के उपयोग में विघ्न द्वारा या अन्यथा नुकसान हुआ है; या

(ii) जिसने नोटिस के अनुपालन में कोई निर्माण कार्य कराये हैं, विहित समय में और रीति से प्राधिकरण से उस नुकसान या नोटिस के अनुपालन के लिए अपने द्वारा युक्तियुक्त रूप से किये गये खर्चों के संबंध में प्रतिकर का दावा किया है तो ऐसे दावे के संबंध में धारा 30 की उप-धारा (2) और (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इन उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के दावों पर लागू होते हैं।

38. भू-खण्ड के उप-विभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 23 के अधीन राजपत्र में प्रारूप योजना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् अपनी भूमि या भू-खण्ड को उप-विभाजित करने का या ऐसी भूमि या भू-खण्ड पर निजी मार्ग बनाने या उसका अभिन्यास करने का आशय रखता है, ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित प्रारूप अभिन्यास विनियमों या सरकार के आदेशों द्वारा अवधारित विशिष्टियों और ऐसी फीस सहित, मंजूरी के लिए प्राधिकरण को पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण, विनियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या तो बिना उपान्तरणों के या ऐसे उपान्तरणों या शर्तों के अधीन, जो वह समीचीन समझे, ऐसी योजना को मंजूर कर सकेगा या यदि प्राधिकरण की यह राय हो कि इस प्रकार उप-विभाजित किया जाना या मार्ग का बनाया जाना योजना के प्रस्तावों से किसी भी रूप में संगत नहीं है तो मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) किसी मंजूरी की इन्कारी के लिए या मंजूरी में अधिरोपित उपान्तरण या शर्तों के लिए कोई भी प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उल्लंघन में या उप-धारा (2) के अधीन दी गयी मंजूरी में किन्हीं उपान्तरणों या शर्तों के उल्लंघन में या उक्त उप-धारा (2) के अधीन मंजूरी से इन्कारी के बावजूद भी कोई निर्माण कार्य करता है तो प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को चालू निर्माण कार्य को रोकने का निदेश दे सकेगा और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से जांच करने के पश्चात् किसी भी निर्माण कार्य को हटा सकेगा या गिरा सकेगा या भूमि को उसकी मूल स्थिति में ला सकेगा।

39. किये गये खर्चों की वसूली.- प्राधिकरण द्वारा धारा 32, 33, 35, 37, और 38 के अधीन किया गया खर्च इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा या भूमि अथवा भू-खण्ड के स्वामी द्वारा प्राधिकरण को देय राशि होगी और वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय 7

परियोजनाएं और स्कीमें

40. परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और उनकी अन्तर्वस्तु.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण किसी भी योजना में प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए कोटा रीजन अथवा उसके किसी भाग के एकीकृत विकास हेतु ऐसी परियोजनाएं और स्कीमें बना सकेगा जो आवश्यक हों।

(2) किसी परियोजना या स्कीम में निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(i) धारा 21 और 22 में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी मामलों के लिए;

(ii) लोक उपयोगिताओं, जैसे सड़कें, मार्ग, खुली जगह, पार्कों, उद्यानों, मनोरंजन और खेल-मैदान, अस्पताल, औषधालय, शिक्षण-संस्थाओं, हरित-पट्टियों, दुग्ध शालाओं, आवासन विकास, बाजारों का विकास, शापिंग सेंटरों, वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों, परिवहन सुविधाओं और समस्त प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन, विकास, आरक्षण और विक्रय या उसे पट्टे पर देने के लिए;

(iii) खाली भूमि या निर्मिति वाली भूमि का अर्जन, अभिन्यास या पुन: अभिन्यास गलत ढंग से अंकित या गन्दी बस्तियों या कच्ची बस्तियों के रूप में विकसित या विकृत ऐसे क्षेत्रों का पुन: निर्माण या पुन: स्थापन, नीचे, दलदली अथवा अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों की भूमियों को भरना या काम में लाने योग्य बनाना या भूमियों के समतल बनाने के लिए;

(iv) वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन, कृषि-मंडीयों और अन्य समान प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का अर्जन और विकास करने के लिए;

(v) सड़कें बिछाने या मार्गों की प्रणाली को नया रूप देने के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन और विकास, नये मार्गों या सड़कों को बिछाने, मार्गों और सड़कों के संनिर्माण, मोड़े जाने, विस्तारण, परिवर्तन, सुधार, बन्द किये जाने और संचार रोक दिये जाने के लिए;

(vi) भवनों, सड़कों, जल निकास, मलवहन, सतही और अधोमृदा जल निकास, मल निर्वर्तन सहित और ऐसी ही अन्य सुविधाओं के प्रयोजन के लिए भू-खण्डों का पुन: संनिर्माण करने के लिए;

(vii) भवनों, पुलों और अन्य निर्मितियों के संनिर्माण, परिवर्तन और हटाये जाने के लिए;

(viii) प्रकाश व्यवस्था एवं जल प्रदाय के लिए;

(ix) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय अभिरुचि या प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तुओं और उन भवनों के परिरक्षण के लिए जिनका वास्तव में धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है;

(x) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबकों के सदस्यों के लिए आवास स्थान उपलब्ध कराने हेतु किसी स्कीम में उस सीमा तक भूमि का आरक्षण करने के लिए जैसाकि विनियमों द्वारा उपबंधित हो;

(xi) भवनों के चारों तरफ रखी जाने वाली जगहों के, भू-खण्ड के लिये भवन निर्माण क्षेत्र के प्रतिशत के, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुज्ञात भवनों की संख्या, आकार, ऊंचाई और स्वरूप के, उन प्रयोजनों के, जिनके लिए भवन या विनिर्दिष्ट क्षेत्र विनियोजित किये जायें या न किये जायें, भू-खण्डों के उप- विभाजन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधियों में किसी क्षेत्र में भूमियों के आक्षेपणीय उपयोगों को बन्द करने के, पार्किंग स्थानों के लिए किसी भी भवन के, लदाई तथा उतराई की जगह के और निकले हुए भागों, विज्ञापन संकेतों और विज्ञापन-पट्टों के आकार, या अवस्थापन के संबंध में शर्तों और निबन्धनों के अधिरोपण;

(xii) तत्समय प्रवृत्त ऐसी किसी विधि के अधीन जिसे बनाने के लिए राज्य विधान-मण्डल सक्षम हो, बनाये गये किसी नियम, उप-विधि, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या आदेश को स्कीम के समुचित क्रिया न्वयन के लिए निलम्बित करने के लिए, जहां तक ऐसा करना आवश्यक हो:

परन्तु इस खण्ड के अधीन किया गया कोई निलम्बन स्कीम के प्रत्याहरण की दशा में या अन्तिम स्कीम के लागू हो जाने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा;

(xiii) इस प्रकार के अन्य कार्य के लिए जो पर्यावरणीय सुधार लाए और जो प्राधिकरण द्वारा हाथ में लिये जायें और अन्य ऐसे समस्त मामलों के लिए जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत न हों।

(3) प्रारूप परियोजना या स्कीम में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक मूल भू-खण्ड का क्षेत्रफल, स्वामित्व और भूधृति;

(ख) उप-धारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन आवंटित या आरक्षित भूमि की विशिष्टियां साथ ही उन उपयोगों के साधारण संकेत जिनके लिए ऐसी भूमि रखी जानी है और वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन ऐसी भूमि ऐसे उपयोगों के लिए रखी जानी है;

(ग) वह परिसीमा जहां तक मूल भू-खण्डों की सीमाओं को परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) समुचित प्राधिकारी द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम की शुद्ध लागत का प्राक्कलन;

(ङ) उप-धारा (2) के अधीन स्कीम के ब्यौरे का पूर्ण वर्णन जो कि लागू हो;

(च) उस भूमि का अभिन्यास या पुन: अभिन्यास जो या तो खाली हो या जिस पर पहले से ही कोई निर्माण किया हुआ हो;

(छ) निचले, दलदली, या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का भरा जाना या सुधार करना या भूमि को समतल करना; और

(ज) अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

41. परियोजनाओं और स्कीमों का तैयार किया जाना.- (1) प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, किसी विकास क्षेत्र में धारा 40 में यथा उपबंधित के अनुसार परियोजना या स्कीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण घोषणा को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्राधिकरण परियोजना या स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा और इसे एक नोटिस के साथ, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त परियोजना या स्कीम के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख से पूर्व, जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से पूर्व की नहीं होगी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये हों ऐसे रूप में और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (3) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होने वाले समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा और उससे प्रभावित और सुनवाई के लिए इच्छुक ऐसे व्यक्तियों को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथा प्रकाशित प्रारूप परियोजना या स्कीम को अनुमोदित करेगा या उसमें ऐसे उपान्तरण करेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या स्कीम का उपान्तरणों सहित या रहित अनुमोदन किये जाने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण राजपत्र में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, अंतिम परियोजना या स्कीम प्रकाशित करेगा और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको यह प्रवर्तित होगी।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होने पर भी, उनमें अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा उन मामलों में नहीं की जायेगी जबकि परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन किसी ऐसी भूमि पर करना हो जो प्राधिकरण में निहित हो और किसी भवन का तोड़ना या उसमें रहने वाले व्यक्तियों का हटाया जाना इसके निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त न हो।

42. किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बन्धन.- (1) उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको धारा 41 के अधीन प्रारूप स्कीम प्रकाशित हुई है, कोई भी व्यक्ति परियोजना या स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर किसी भवन या भूमि के उपयोग का तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा या उसे नहीं बदलेगा या किसी विकास को क्रियान्वित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा करने के लिए इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसरण में आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन न किया हो और उसे प्राप्त न कर लिया हो:

परन्तु ग्राम आबादी परिसीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विकास स्थानीय पंचायत द्वारा दी गयी अनुज्ञा के अनुसार उस सीमा तक करना विधिपूर्ण होगा जहां तक ऐसी अनुज्ञा ऐसी प्रारूप स्कीम या स्कीमों से संगत हो।

(2) धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम के लिए अध्याय 6 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

43. स्कीम का व्यपगत होना.- यदि प्राधिकरण धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित किसी परियोजना या स्कीम को उसके धारा 41 की उप-धारा (5) के अधीन प्रकाशित हो जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कार्यान्वित करने में विफल रहता है तो यह परियोजना या स्कीम पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जायेगी।

44. परियोजना या स्कीम का उपान्तरण या प्रत्याहरण.- (1) प्राधिकरण की राय, यदि उसके द्वारा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, यह हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम का प्रत्याहरण कर लिया गया है और ऐसी घोषणा करने पर ऐसी परियोजना या स्कीम के संबंध में आगे कोई कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

(2) यदि प्राधिकरण धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् उसमें किसी भी समय कतिपय उपान्तरण करना आवश्यक समझे, जो उसकी राय में परियोजना या स्कीम के स्वरूप में सारवान् परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह उसमें उपयुक्त उपान्तरण कर सकेगा।

45. किसी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति.- इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन स्वीकृत किसी योजना में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, उक्त योजना में समाविष्ट न की गयी ऐसी कोई परियोजना या स्कीम बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसको क्रियान्वित किया जाना प्राधिकरण की राय में लोकहित में आवश्यक या समीचीन हो, और उक्त योजना उस सीमा तक उपान्तरित समझी जायेगी।

अध्याय 8

भूमि का अर्जन और निपटारा

46. करार द्वारा क्रय करने या पट्टे पर देने की शक्ति.- प्राधिकरण किसी ऐसी भूमि को क्रय करने, पट्टे पर देने या विनिमय करने के लिए किसी भी व्यक्ति से करार कर सकेगा जिसे प्राधिकरण अर्जित करने या ऐसी भूमि में कोई हित रखने के लिए प्राधिकृत है।

47. भूमि अर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति.- जहां प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन, किन्हीं कर्तव्यों के पालन या अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या अपनी किन्हीं परियोजनाओं या स्कीमों या विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कोटा रीजन के किसी भाग में कोई भी भूमि अर्जित की जानी चाहिए तो राज्य सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) के अधीन और अनुसरण में इस भूमि का अर्जन कर सकेगी।

48. प्राधिकरण को कब्जा उपलब्ध कराया जाना.- जहां कोई भूमि कब्जे में ली जाये, वहां राज्य सरकार, वह भूमि प्राधिकरण को उसके कृत्यों का पालन करने, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध करा देगी।

49. भूमि का प्राधिकरण में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में किसी बात के होने पर भी, उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट भूमि को और कोटा रीजन में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के पास रखी गयी नजूल भूमि को छोडकर, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण को सौंपी गयी और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो उस भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगा और उसका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगा और उसका आवंटन, नियमितीकरण या नीलाम के रूप में व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसा कि यह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु प्राधिकरण किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना; या

(ख) ऐसा विकास किये या कराये जाने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदा और शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे।

(2) प्राधिकरण के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि प्राधिकरण में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगर पालिक बोर्ड, कैथून या नगर पालिक बोर्ड, केशवरायपाटन द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगर निगम, कोटा उत्तर, नगर निगम, कोटा दक्षिण, नगर पालिक बोर्ड, कैथून या नगर पालिक बोर्ड, केशवरायपाटन या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सौंप सकेगी, जो उचित समझी जायें।

(4) प्राधिकरण द्वारा अर्जित, या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और प्राधिकरण को अन्तरित समस्त भूमियों का व्ययन प्राधिकरण द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि के लिए विहित की जाये।

50. कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण आदि.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की समेकित निधि में और प्राधिकरण की निधि में, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, जमा किये जायेंगे।

51. अन्तरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधृति आधार पर होना.– (1) धारा 49 या धारा 50 के अधीन भूमि का प्रत्येक अंतरण या तो पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टाधृति आधार पर होगा।

(2) पट्टाधृति आधार पर विक्रीत, आवंटित, नियमित या अन्यथा अन्तरित किसी भी भूमि को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसे संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किये जायें, पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पूर्ण स्वामित्व भूमि" से विरासत और अन्यसंक्रामण के अधिकार सहित शाश्वत भूधृति अभिप्रेत है।

52. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति

आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, न्यास के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की तारीख न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो प्राधिकरण, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगा और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निदिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगा और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवायेगा।

53. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।

अध्याय 9

वित्त, बजट और लेखे

54. प्राधिकरण की निधियां.– (1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी जो "कोटा रीजन विकास निधि" (जिसे इसमें इसके पश्चात "निधि" कहा गया है) कहलायेगी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां जमा होंगी और जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे-

(क) अभिदाय की ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक या प्रत्येक वर्ष में ऐसी किस्तों में, जो राज्य की योजना में सम्मिलित स्कीमों के अनुसार अवधारित की जाये और इस निमित्त सम्यक् रूप से किये गये विनियोग के अधीन दी जाती है, ऐसे अभिदाय का उपयोग प्राधिकरण द्वारा कोटा रीजन के विकास के लिए किया जायेगा;

(ख) ऐसे अन्य धन जो कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा अनुदान, उधार, अग्रिम या अन्यथा प्राधिकरण को संदत्त किये जायें;

(ग) खाली भूमि के द्वितीय और पश्चातवर्ती विक्रय के प्रीमियम से व्युत्पन्न आय;

(घ) रिक्त भूमि पर उद्ग्रहण से आय;

(ङ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गयी समस्त फीसें, लागतें और प्रभार;

(च) प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति, जंगम और स्थावर के व्ययन से तथा पट्टे की धनराशि नगर निर्धारण, विकास प्रभार और भू-खण्ड धारकों से वसूले गये ऐसे ही प्रभारों को सम्मिलित करते हुए अन्य संव्यवहारों से प्राप्त समस्त धन;

(छ) वित्तीय संस्थानों से लिये गये उधार को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण द्वारा उधार लिया गया समस्त धन;

(ज) प्राधिकरण द्वारा किराये और लाभ के रूप में या किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन; और

(झ) प्रा धिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने वाले समस्त दान।

(2) प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य बैंक में चालू खाता या जमा खाता रख सकेगा, इस निधि में से ऐसी धनराशि, जो प्राधिकरण

द्वारा अवधारित की जाये और उक्त राशि से अधिक कोई धन राशि ऐसी रीति से वि निहित की जायेगी जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) ऐसे खातों का संचालन कोटा विकास आयुक्त द्वारा या प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

55. उधार निधि.- (1) निधि के भागरूप में, प्राधिकरण वि भिन्न बैंक खातों में (क) उधार लेने वालों द्वारा उधार पर ब्याज के संदाय के साथ-साथ उधार की किस्तों के प्रति संदायों को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा उधार लिये गये समस्त धन को प्राप्त करने, (ख) प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों या व्यक्तियों को उधार अथवा अग्रिम के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए समस्त धन का प्रबन्ध करने, (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा लिये गये उधारों का प्रतिसंदाय करने और (घ) परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय करने के प्रयोजनों के लिए एक उधार निधि स्थापित करेगा।

(2) उधार निधि से संबधित समस्त मामले इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

56. आरक्षित और अन्य नि धियां.– (1) प्राधिकरण आरक्षित निधि के लिए उपबन्ध करेगा और अन्य विशिष्टत: अंकित मूल्य निधियों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निधियों का प्रबंध और उधार के लिए समय-समय पर अन्तरित होने वाली रकम और उसमें समाविष्ट होने वाले धन का उपयोजन प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

57. निधियां इत्यादि का उपयोजन.- प्राधिकरण में निहित समस्त सम्पत्ति निधियां और अन्य आस्तियां उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए और इसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारित की जायेंगी और उपयोजित की जायेंगी।

58. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति.- प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए या इसके द्वारा अभिप्राप्त उधार के शोधन के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर जो, कि राज्य सरकार धन उधार लेते समय अवधारित करे, कोई भी धन उधार ले सकेगा।

59. परियोजना और स्कीमों को वित्त और उनके लिए शर्तें अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति.– प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकारी या कोटा रीजन में अन्य प्राधिकारी या किसी सरकारी विभाग या व्यक्ति को धारा 16 के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अनुदान, अग्रिम या उधार देने के लिए या उनके व्ययों में हिस्सा लेने के लिए सक्षम होगा और तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होने पर भी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, सरकारी विभाग या किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अनुदानों, अग्रिमों या उधारों या व्ययों में हिस्से स्वीकार करना विधिपूर्ण होगा जो कि प्राधिकरण समय-समय पर, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, सरकारी विभाग या, यथास्थिति, किसी व्यक्ति के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे।

60. प्राधिकरण द्वारा लिये गये या दिये गये उधारों पर राज्य की प्रत्याभूति.- राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, लिये गये या दिये गये या इसको अन्तरित किये गये किसी उधार के

मूलधन और उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगी जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे।

61. लेखे और संपरीक्षा.- (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से लेखे रखेगा जो कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(2) प्राधिकरण के लेखे, परीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा किये जाने के अध्यधीन होंगे।

(3) प्राधिकरण संपरीक्षा के लिए ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो विहित किये जायें।

62. बजट.– (1) प्राधिकरण का वित्त निदेशक ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और संवितरणों को कोटा विकास आयुक्त को दिखाते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष बजट तैयार करेगा जो ऐसे उपान्तरण करने के पश्चात्, जैसाकि वह उचित समझे, प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) कोटा विकास आयुक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट की प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

63. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण पूर्व वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों की प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् (31 मार्च की समाप्ति पर) रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे 30 सितम्बर के पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार लेखा विवरण सहित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखवायेगी।

अध्याय 10

कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्ति

64. कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्ति.- प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर और तारीख से और ऐसी रीति से, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, निम्नलिखित प्रभारों का उद्ग्रहण करेगा, अर्थातः-

(क) कोटा रीजन में रिक्त भूमि के द्वितीय या पश्चातवर्ती विक्रय पर प्रीमियम;

(ख) कोटा रीजन में रिक्त भूमि पर वार्षिक उद्ग्रहण; और

(ग) आवासीय प्रयोजन से वाणिज्यिक प्रयोजन या अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन प्रभार।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय में प्रयुक्त की गयी अभिव्यक्ति "रिक्त भूमि" से ऐसी समस्त भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार, प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टाधृति आधार पर आवंटित की गयी है या बेची गयी है या जो भूमि अन्यथा स्वामित्वाधीन अथवा धारित है और जिस पर कोई भवन संनिर्मित नहीं किया गया है या यदि किसी भवन का संनिर्माण किया गया है तो आच्छादित क्षेत्र भूमि के कुल क्षेत्र के 1/5 से कम हो।

65. प्राधिकरण की निधि में जमा किया जाने वाला नगरीय निर्धारण (भू-किराया).- (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टाधृति आधार पर बेची गयी भूमि या भू-खण्ड के धारकों से नगरीय निर्धारण या भू-किराया ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से वसूल करेगा जो विहित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल किया गया नगरीय निर्धारण या भू-किराया प्राधिकरण की निधि में जमा किया जायेगा।

66. कतिपय अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण फीस वसूल कर सकेगा.- जब इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है या इसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञा दी जाती है तो प्राधिकरण ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए ऐसी फीस वसूल कर सकेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

अध्याय 11

अभियोजन, वाद और पुलिस की शक्तियां

67. अप्राधिकृत बाधाओं के लिए शास्ति.– जो कोई -

(i) धारा 83 के अधीन उस धारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए कोटा रीजन के किसी भाग में किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा पहुंचाता है; या

(ii) ऐसे प्रवेश के पश्चात् यथापूर्वोक्त ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है; या

(iii) प्राधिकरण के किसी सदस्य या कर्मचारी का या सरकार के किसी कर्मचारी का उस समय प्रतिरोध करता है, उसे बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जबकि वह प्राधिकरण या सरकार या ऐसे सदस्य या प्राधिकरण के कर्मचारी या सरकार के किसी कर्मचारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन या किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा होता है; या

(iv) किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जिसके साथ प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य के किसी अधिकारी ने संविदा की है या प्राधिकरण के किसी ऐसे कर्मचारी को बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जो प्राधिकरण के या सरकार के या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के कर्तव्यों के पालन या कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में किसी भी बात को करने में विधिपूर्ण तौर पर लगा है,

ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

68. किसी भी कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए खड़ी की गयी बाड़ इत्यादि को हटाने के लिए शास्ति.- यदि कोई भी व्यक्ति बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई कार्य करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा किसी भवन, दीवार या अन्य वस्तु को आधार लगाने या सहारा देने हेतु उपयोग में ली गयी किसी भी बाड़ या किसी भी काष्ठ को हटाता है या किसी भी प्रकाश को बुझाता है जो ऐसे किसी भी स्थान पर किया गया है जहां गली या अन्य जमीन को प्राधिकरण द्वारा खोला गया है या तोड़ा गया है; या

(ख) ऐसे किसी भी चिह्न को हटाता है जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी भी कार्य के निष्पादन में कोई सतह या दिशा उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए खड़ा करना आवश्यक है; या

(ग) दिये गये किसी भी आदेश का अतिलंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्य के निष्पादन के दौरान यातायात के लिए किसी भी गली को बन्द करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा नियत किसी भी शलाका, जंजीर या चौकी को हटाता है,

तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

69. अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने और मिथ्या सूचना इत्यादि देने के कारण शास्ति.- जो कोई भी –

(क) जानबूझकर या बिना किसी भी युक्तियुक्त कारण के, इस अधिनियम के अधीन या इसके किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में जारी किसी भी अध्यपेक्षा या अन्य वि धिपूर्ण आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है; या

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के भी अधीन कोई विवरणी या कोई सूचना देने की अपेक्षा किये जाने पर मिथ्या विवरणी या मिथ्या सूचना देता है,

वह इतने जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक हो सकेगा, या इतनी अवधि के कारावास से जो कि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

70. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा.- (1) जो कोई ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, अतिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अतिक्रमण कारित किया है।

(4) जो कोई भी इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होते हुए, पूर्वोक्त किसी भी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होने पर भी, प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबंधित की गयी कार्रवाई के अतिरिक्त इस धारा में निर्दिष्ट भूमि या स्थान पर पायी गयी या, यथास्थिति, ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न या ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकडी़ हुयी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(6) जहां प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह प्राधिकरण को ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट तत्काल करेगा।

(7) प्राधिकरण, अधिहरण की कार्यवाहियों के निष्कर्ष के लंबित रहते, अभिगृहीत या कुर्क सम्पत्ति की समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे और यदि सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो या ऐसा करना अन्यथा समीचीन हो तो प्राधिकरण उसे विक्रीत या अन्यथा व्ययनित किये जाने के आदेश दे सकेगा।

(8) यदि पूर्वोक्त रूप से कोई सम पत्ति विक्रीत की जाती है तो उसके विक्रयागम का संदाय ऐसे किसी विक्रय के व्ययों या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात्-

(क) जहां प्राधिकरण द्वारा अधिहरण का कोई आदेश अन्ततोगत्वा पारित नहीं किया गया हो; या

(ख) जहां अपील में पारित आदेश के द्वारा ऐसा अपेक्षित हो,

उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को किया जायेगा जिससे वह अभिगृहीत की गयी है।

(9) जहां उप-धारा (5) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है वहां प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(10) उप धारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है –

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर,

नहीं दे दिया जाये।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश ऐसे किसी दण्ड के अधिरोपण को नहीं रोकेगा जिससे अधिहरण से प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

(12) जब कभी कोई सम्पत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब ऐसी सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता प्राधिकरण या इस अधिनियम की धारा 80 के अधीन गठित अधिकरण को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय, अन्य अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को नहीं होगी।

(13) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित होता है, तो यह साबित करने का भार कि उसने अपराध कारित नहीं किया है, स्वयं उस पर होगा।

(14) इस धारा के अधीन दण्डनीय अतिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विशेष रूप से न्यस्त जो कोई भी प्राधिकरण का कर्मचारी ऐसे अतिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने में जान-बूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जान-बूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(15) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जायेगा।

71. अपराधों के दण्ड के लिए सामान्य उपबन्ध.- जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों मे से किसी भी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या किसी स्वीकृत योजना, परियोजना या स्कीम का उल्लंघन करता है, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए कोई भी अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं की गयी है तो वह –

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा,

दण्डनीय होगा।

72. कंपनियों द्वारा अपराध.– (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण:– इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

73. अपराधों का संज्ञान.– कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम, विनियम या आदेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा या उस निमित्त प्राधिकरण द्वारा स्पष्टत: प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के तथ्यों की लिखित शिकायत पर किये जाने के सिवाय नहीं करेगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसका उसकी स्वयं की सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा दर्शित अनधिकृत विकास से प्रतिकूलत: प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त अनधिकृत विकास का दायित्व लिया है, इसी रीति से शिकायत भी कर सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसी कार्यवाहियों का सम्यक् नोटिस प्राधिकरण को भी दिया जायेगा और यदि प्राधिकरण एक युक्तियुक्त कालावधि के भीतर कार्यवाही के हेतुक को हटा देता है तो न्यायालय की कार्यवाहियों का, किसी भी ऐसी अन्य कार्रवाई या कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिन्हें प्राधिकरण ने प्रारम्भ किया हो या उसके पश्चात् कर सकता हो, उपशमन हो जायेगा।

74. जुर्माना वसूल हो जाने पर प्राधिकरण को उसका संदाय किया जाना.- इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के संबंध में वसूल किये गये समस्त जुर्माने प्राधिकरण को संदत्त किये जायेंगे।

75. विधिक मामलों में प्राधिकरण की शक्ति.- प्राधिकरण-

(क) किसी भी विधिक कार्यवाही को संस्थित कर सकेगा, उसका प्रतिवाद कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा;

(ख) इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का शमन कर सकेगा; और

(ग) किसी भी विधिक कार्यवाही में या अन्यथा किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकेगा, उसका शमन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन न्यायालय की अनुमति के सिवाय वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

76. प्राधिकरण की उन्मुक्ति.– प्राधिकरण के विरुद्ध या प्राधिकरण या उसकी कार्यकारी समिति या अन्य समितियों या किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या किसी अधिकारी या कर्मचारी

के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किन्हीं बातों में कोई दावा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही ग्राह्य नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन विधित: और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सावधानी और सतर्कता से की गयी है।

77. प्राधिकरण के विरुद्ध वाद का नोटिस.– (1) इस अधिनियम या तदधीन किये गये किसी आदेश, बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध या प्राधिकरण या उसकी कार्यकारी समिति, उसके किसी कृत्यकारी बोर्ड, अधिकरण, किसी समिति या उसके किसी निकाय के किसी सदस्य, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के निदेशाधीन किसी व्यक्ति द्वारा किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के बारे मे उसके विरुद्ध कोई वाद उस तारीख से दो मास की समाप्ति के पूर्व संस्थित नहीं किया जायेगा जिसको उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध वाद लाया जाना है, कार्यालय या निवास स्थान पर एक लिखित नोटिस छोड़ा गया है जिसमें कि वाद हेतुक का, इच्छित अनुतोष के प्रकार का, दावाकृत प्रतिकर की रकम का और संभाव्य वादियों के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट कथन हो और जब तक कि ऐसे वाद में यह कथन न किया जाये कि ऐसा नोटिस छोड़ा या परिदत्त किया जा चुका है।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित ऐसा कोई वाद, जब तक कि वह स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण या उसके स्वत्व की घोषणा के लिए न हो, ऐसी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संस्थित नहीं किया जायेगा जिसको वाद हेतुक उत्पन्न होता है।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे वाद पर लागू नहीं मानी जायेगी जिसमें अनुतोष के रूप में केवल ऐसे व्यादेश की ही मांग की गयी है जिसका उद्देश्य वाद का नोटिस देने या वाद संस्थित किया जाना स्थगित करने पर विफल हो जायेगा।

78. अभिलेख के सबूत की रीति.– प्राधिकरण के कब्जे में की किसी रसीद, आवेदन, योजना, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज को यदि वह उसके वैध अभिरक्षक द्वारा या कोटा विकास आयुक्त द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया है तो वह उस प्रविष्टि या दस्तावेज के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जायेगा और वह उनसे प्रत्येक में अभिलिखित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में उसी सीमा तक ग्राह्य होगा जहां तक ऐसे मामले को प्रमाणित करने के लिए मूल प्रविष्टि या दस्तावेज ग्राह्य होता यदि वह प्रस्तुत किया गया होता।

79. प्राधिकरण के कर्मचारियों को दस्तावेज पेश करने के लिए समन करने पर प्रतिबन्ध.– प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें प्राधिकरण पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर या दस्तावेज, जिसकी अन्तर्वस्तु प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा पूर्ववर्ती धारा के अधीन साबित की जा सकती है, पेश करने की और उसमें अभिलिखित मामलों एवं संव्यवहारों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय आदेश न दे।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

80. अधिकरण का गठन.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अधिकरण का गठन करेगी।

(2) अधिकरण में एक व्यक्ति होगा जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और उसे ऐसा वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(3) राज्य सरकार, अधिकरण की सहायता के लिए प्राधिकरण को इतनी संख्या में और ऐसे संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(4) अधिकरण के व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जायेंगे।

(5) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट अपीलों या विवादों के विनिश्चय में अधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाये।

(6) अधिकरण को उसे निर्दिष्ट अपील या किसी विवाद की सुनवाई या विनिश्चय के सम्बन्ध में वे ही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय को हैं।

(7) जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध से उत्पन्न विवाद प्राधिकरण द्वारा अधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसके समस्त पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(8) यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय,–

(क) प्राधिकरण के किसी आदेश या नोटिस से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे आदेश या नोटिस से संसूचित किये जाने से तीस दिन के भीतर-भीतर अधिकरण में अपील फाइल कर सकेगा; और

(ख) प्राधिकरण की ओर से किसी ऐसे आशंकित कार्य या क्षति से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जो उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाली हो, ऐसे आशंकित कार्य या क्षति की संसूचना या जानकारी उसे प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर विवाद को अधिकरण को निदेशित कर सकेगा;

और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

81. निपटारा समिति का गठन.– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण और अन्य व्यक्तियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्यों से, जितने वह उचित समझे, मिलकर बनने वाली निपटारा समिति का गठन कर सकेगी और ऐसी समिति, संबंधित व्यक्ति द्वारा जब भी निवेदन किया जाये, विवाद को सुलझाने का जिम्मा लेगी।

(2) निपटारा समिति को ऐसी शक्तियां होंगी और वह ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(3) इस प्रयोजन के लिए पूर्व में गठित कोई भी समिति इस अधिनियम के अधीन गठित की हुई समझी जायेगी।

(4) ऐसी समिति द्वारा किया गया विनिश्चय प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

82. प्राधिकरण को देय धन की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली.- जहां कोई रकम (जो प्राधिकरण के किसी परिसर के सम्बन्ध में संदेय किराया न हो) जो चाहे किसी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से किसी करार के अधीन या अन्यथा प्राधिकरण को संदेय हो और निश्चित तारीख पर या इसके पूर्व संदत्त नहीं की गयी है–

(क) तथा दावा विवादग्रस्त नहीं है तो कोटा विकास आयुक्त, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकरण को देय या प्राधिकरण द्वारा दावाकृत राशि उपदर्शित करते हुए जिला कलक्टर को अपने हस्ताक्षर से ऐसा प्रमाणपत्र भेजेगा जिसमें वह रकम बतलायी गयी है जो प्राधिकरण को देय है या जिसका दावा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और तदुपरान्त जिला कलक्टर, देय या दावा की गयी रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा;

(ख) यदि दावा विवादग्रस्त है तो वह अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, और उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा धन का संदेय होना अभिकथित है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा और अपने विनिश्चय की संसूचना प्राधिकरण को तुरन्त देगा। अधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर राजस्व बोर्ड को अपील कर सकेगा। राजस्व बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा। तब कलक्टर उस राशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा जिसका देय होना अवधारित किया गया है।

83. प्रवेश की शक्ति.– (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति या उसके किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय का अध्यक्ष या सदस्य, कोटा विकास आयुक्त और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना किसी भी भूमि या भवन में या उसके ऊपर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकेगा–

(क) कोई जांच करने, निरीक्षण करने, मापने या सर्वेक्षण करने या ऐसी भूमि या भवन का लेवल अंकित करने के लिए;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करने और मलनालियों और नालियों का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए;

(ग) अवमृदा को खोदने या बेधने के लिए;

(घ) निर्माण कार्यों की बाउण्ड्री और आशयित रेखाएं निश्चित करने के लिए;

(ङ) चिह्न लगाकर और खाईयां खोदकर ऐसे लेवल, बाउण्ड्री और रेखाएं चिह्नित करने के लिए;

(च) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी भी भूमि का विकास किसी योजना के उल्लंघन में या बिना अनुज्ञा के या किसी शर्त के उल्लंघन में किया गया है जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत की गयी है; या

(छ) कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक हो:

परन्तु –

(i) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी नहीं हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को कम से कम चौबीस घंटे का युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा;

(ii) जब भी किसी परिसर में बिना नोटिस के अन्यथा प्रवेश किया जाये तो प्रत्येक बार पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा ताकि महिलाओं के लिए रखे गये किसी भाग से महिलाएं परिसर के किसी अन्य भाग में जा सकें जहां उनकी वैयक्तिक एकान्तता में विघ्न न हो; और

(iii) जिस परिसर में प्रवेश किया जाये उसके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक कि प्रवेश की आवश्यकताओं से संगत है, सदैव सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोधों को खोलने या खुलवाने के लिए प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा,–

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोलना आवश्यक समझता है; और

(ख) यदि स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

84. इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील.– (1) वे सब दस्तावेज, जिनमें ऐसे नोटिस या आदेश भी आते हैं जिनका इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करवाया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सम्यक् रूप से तामील हुए समझे जायेंगे,–

(क) जब ऐसा दस्तावेज किसी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, रेल्वे, कम्पनी, सोसायटी या व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय, जो चाहे निगमित हो या नहीं, पर तामील किया जाना है, तब यदि दस्तावेज उस विभाग के अध्यक्ष, रेलवे के महाप्रबन्धक, स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी या सोसायटी या ऐसे ही किसी अन्य निकाय के सचिव या प्रधान अधिकारी को सम्बोधित, उसके प्रधान कार्यालय, उसकी शाखा या स्थानीय या, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर किया गया है और या तो वह –

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(ii) कारबार के उक्त स्थान पर परिदत्त किया जाता है; या

(ख) वह व्यक्ति, जिस पर तामील करायी जानी है, यदि किसी फर्म का भागीदार है तो, यदि दस्तावेज भागीदारी फर्म के नाम उसके प्रधान कारबार स्थान के पते पर भेजा जाता है जिससे उसके नाम या अभिनाम की पहचान हो जाये जिसमें व्यवसाय चलाया जा रहा है और या तो वह–

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाता है; या

(ii) कारबार के उक्त स्थान पर परिदत्त किया जाता है; या

(ग) किसी अन्य दशा में, यदि ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति को संबोधित किया गया है जिस पर उसकी तामील करायी जानी है और वह -

(i) उसे दिया या निविदत्त किया जाता है; या

(ii) उस व्यक्ति के न मिलने पर उसे उसके निवास स्थान या कारबार के अन्तिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका दिया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया या निविदत्त किया जाता है या उस भूमि अथवा भवन के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका दिया जाता है जिससे कि वह संबंधित है; या

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

(2) ऐसा कोई दस्तावेज, जिसका किसी भू मि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील कराया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत है उस भू मि या भवन के (भूमि या भवन का नाम या वर्णन देते हुए) "स्वामी" या, यथास्थिति, "अधिभोगी" को बिना नाम और वर्णन दिये सम्बोधित किया जायेगा और वह सम्यक् रूप से तामील कराया गया समझा जायेगा,-

(क) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार भेजा गया या परिदत्त किया गया है; या

(ख) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज या इस प्रकार संबोधित उसकी प्रतिलिपि भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को परिदत्त की गयी है।

(3) जहां कोई दस्तावेज इस धारा के अनुसार भागीदारी फर्म पर तामील कराया गया है वहां दस्तावेज प्रत्येक भागीदार पर तामील कराया गया समझा जायेगा।

(4) किसी दस्तावेज को किसी सम्पत्ति के स्वामी पर तामील कराये जाने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए कोटा विकास आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस सम्पत्ति के अधिभोगी से, यदि कोई हो, उसके स्वामी का नाम और पता प्रकट करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) जहां इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में उपदर्शित रीति से किसी व्यक्ति पर किसी दस्तावेज की तामील कराने का प्रयास असफल हो गया है, वहां यदि तामील किये जाने वाले दस्तावेज का नोटिस किसी प्रमुख

दैनिक स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति पर उस दस्तावेज की प्रभावकारी तामील समझी जायेगी।

85. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचा रियों का लोक सेवक समझा जाना.- प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी और प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य उसकी कार्यकारी समिति, अन्य समितियों और उसके कृत्यकारी बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित अन्य निकायों का प्रत्येक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

86. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उद्ग्रहणीय करों के बदले में प्राधिकरण द्वारा एकमुश्त अभिदाय.- (1) ऐसे नियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाये जा सके और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों में समस्त या किन्हीं सुख-सुविधाओं का उपबन्ध, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाते हैं, प्राधिकरण स्वयं करता है तो प्राधिकरण ऐसे कोई कर जिनमें सम्पत्ति कर, यदि कोई हो, भी आता है, देने का दायी नहीं होगा, किन्तु स्थानीय प्राधिकारी के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्राधिकरण के साथ यह करार करना विधिपूर्ण होगा कि वह समस्त उद्ग्रहीत करों या किसी भी उद्ग्रहीत कर या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी सेवाओं के बदले में प्राधिकरण से एकमुश्त अभिदाय प्राप्त करे।

(2) जहां उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसा कोई करार नहीं किया जा सके तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और स्थानीय प्राधिकारी और प्राधिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ऐसे अभिदाय की रकम का विनिश्चय कर सकेगी। राज्य सरकार का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

87. कतिपय मामलों में प्राधिकरण के दावों को चुकाने के लिए वेतन या मजदूरी में से कटौती.- (1) प्राधिकरण के साथ संव्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में एक करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबन्ध होगा कि नियोजक द्वारा उसको संदेय वेतन या मजदूरी में से नियोजक ऐसी रकम, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये, काटने और इस प्रकार काटी गयी रकम का संदाय प्राधिकरण को उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिकरण के किसी उधार या मांग की तुष्टि में करने में सक्षम होगा। ऐसे करार के साथ नियोजक की लिखित सम्मति होगी।

(2) ऐसे करार के निष्पादन पर प्राधिकरण द्वारा लिखित अध्यपेक्षा द्वारा अपेक्षा किये जाने पर नियोजक करार के अनुसार तब तक कटौती करेगा जब तक कि प्राधिकरण ऐसे सारे ऋण या मांग के संदत्त किये जा चुकने की सूचना नहीं देता, और ऐसी काटी गयी रकम का संदाय प्राधिकरण को करेगा मानो कि वह मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) के अनुसार नियोजक द्वारा संदेय वेतन या मजदूरी का भाग उस तारीख को है जिस पर नियोजक संदाय करता है।

(3) पूर्वगामी उप-धारा के अधीन की गयी अध्यपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् यदि नियोजक ऐसे व्यक्ति को संदेय वेतन या मजदूरी में से अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम को काटने में किसी भी समय असफल हो जाता है

या काटी हुई रकम को प्राधिकरण को भेजने में चूक करता है तो नियोजक उसका भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और प्राधिकरण की ओर से ऐसी रकम नियोजक से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

88. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.– (1) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन इस अधिनियम के अधीन कोटा रीजन के क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार करेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए समय-समय पर जारी किये जायें।

(3) यदि प्राधिकरण के इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

89. स्थानान्तरण करने की शक्ति.- प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 91 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी नगर सुधार न्यास या किसी भी नगरपालिका में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर नहीं हो:

परन्तु इस प्रकार से स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार प्राधिकरण में बना रहेगा और जब कभी प्राधिकरण में उसके काडर में के उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये, तब आगे पदोन्नति के लिए उस पर विचार किया जायेगा।

90. प्राधिकरण की विवरणियां, रिपोर्टें आदि मंगवाने की शक्ति.- प्राधिकरण को कोटा रीजन में के किसी स्थानीय प्राधिकारी से या अन्य प्राधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति से जिससे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग और इसके कर्तव्यों के पालन करने की इसके द्वारा अपेक्षा की जाये, कोई विवरणी, लेखों का विवरण, रिपोर्ट, आंकडे या अन्य सूचना मंगवाने की शक्ति होगी और ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

91. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात से असंगत होने पर भी प्रभावी होंगे।

92. शक्तियों का प्रत्यायोजन.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से भिन्न अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

(2) कोई मास्टर विकास योजना, जोनल विकास योजना या विनियम बनाने की अपनी शक्ति को छोडकर प्राधिकरण इस अधिनियम या इसके अधीन के विनियमों द्वारा प्रयोक्तव्य अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी का प्रत्यायोजन सरकार के किसी अधिकारी को, कोटा रीजन में कार्य कर रहे किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या निकाय को या कार्यकारी समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड को या कोटा विकास

आयुक्त को या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को एक संकल्प द्वारा इस संकल्प में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अधीन कर सकेगा:

परन्तु सरकार के किसी अधिकारी को, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या निकाय को इस उप-धारा के अधीन शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या, यथास्थिति, निकाय की सम्मति से किया जायेगा।

93. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित या पारित किये गये तात्पर्यित किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगवाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।

94. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निरन्तर कर्तव्यों का पालन करना.- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी कोटा रीजन में समस्त स्थानीय प्राधिकारी, अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने कृत्यों का निर्वहन और अपने कर्तव्यों का पालन जो प्राधिकरण की किसी योजना, परियोजना या स्कीम से अंसगत न हो, निरन्तर करते रहेंगे।

(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किसी योजना, स्कीम, परियोजना या इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी निदेश की क्रियान्विति किये जाने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण, कोटा रीजन के विकास के लिए यदि उचित समझे तो राज्य सरकार की मंजूरी से और राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ग्रहण कर सकेगा और उस दशा में ऐसा स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी उक्त तारीख से ऐसी शक्तियों, कृत्यों, और कर्तव्यों का प्रयोग करना बन्द कर देगा।

95. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार समय-समय पर, सामान्यत: इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए और उसके अधीन किसी ऐसे विशिष्ट मामले को विनियमित

करने के लिए नियम बना सकेगी जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसके संबंध में नियम बनाये जाने अपेक्षित हैं या बनाये जा सकते हैं।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष जब कि वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक पश्चातवर्ती सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो ऐसा नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपा न्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

96. विनियम बनाने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण समय-समय पर विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किये जाने वाले समस्त या किन्हीं मामलों के लिए और सामान्यत: अन्य समस्त मामलों के लिए विनियम बना सकेगा जिनके लिए प्राधिकरण की राय में इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध आवश्यक है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो गया हो।

(3) राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम को पूर्णत: या भागत: निरसित या उपान्तरित कर सकेगी परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार प्राधिकरण को वे आधार संसूचित करेगी जिन पर ऐसा किया जाना वह प्रस्तावित करती है, और प्राधिकरण के लिए प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बतलाने के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी, और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(4) किसी विनियम का निरसन या उपान्तरण, यदि उसमें कोई तारीख विनिश्चित नहीं की गयी है तो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और ऐसी तारीख के पूर्व की गयी, लोपित की गयी या होने दी गयी कोई बात उससे प्रभावित नहीं होगी।

97. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जब भी अवसर हो लेकिन वह उस तारीख से जिसको प्राधिकरण की स्थापना हुई है दो वर्ष पश्चात् नहीं हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो और जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो।

98. प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि वे प्रयोजन, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी, सारवान् रूप से पूरे किये जा चुके हैं जिसके कारण राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक नहीं रह गया है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से विघटित हो जायेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी है और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से –

(क) समस्त आस्तियां, सम्पत्तियां, निधियां जो प्राधिकरण में निहित थीं और बकाया जो उसके द्वारा वसूलीय हैं, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगी;

(ख) प्राधिकरण में निहित, उससे संबधित या उसके व्ययनाधीन सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी;

(ग) समस्त देयताएं, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और

(घ) किसी विकास के निष्पादन के प्रयोजन के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णत: निष्पादित नहीं किया गया है और खण्ड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों, सम्पत्तियों, निधियों और बकायाओं की वसूली के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

99. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे मामले का संज्ञान नहीं करेगा जिसका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, कोटा विकास आयुक्त, कृत्यकारी बोर्ड, उसके किसी निकाय, अधिकरण या राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाना या किया जा सकना अपेक्षित है।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, या प्राधिकरण को दिया गया निदेश या प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश या जारी किया गया नोटिस अन्तिम होगा और किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

100. नगर सुधार न्यास, कोटा का विघटन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है और उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, और उप-विधियों में कोई बात होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोटा रीजन के लिए प्राधिकरण के गठन की तारीख से, जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा गठन कहा गया है,–

(क) कोटा का नगरीय क्षेत्र नगर सुधार न्यास, कोटा (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यास कहा गया है) में निहित नहीं रहेगा तथा न्यास उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करना या कृत्य करना बंद कर देगा;

(ख) कोटा के नगरीय क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र में कार्य करने वाला न्यास ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व विघटित हो जायेगा;

(ग) ऐसे गठन के पूर्व कोटा के नगरीय क्षेत्र में स्थित और ऐसे क्षेत्र के विकास अथवा सुधार करने या कराने के प्रयोजन के लिए न्यास में निहित समस्त भूमि, भवन और अन्य स्थावर सम्पत्तियां (उसमें हर प्रकार के और किस्म के समस्त हितों सहित) इस प्रकार गठित प्राधिकरण को चली जायेंगी, और उसमें निहित हो जायेंगी;

(घ) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार करने या कराने के प्रयोजन के लिए न्यास से संबंधित उसके द्वारा धारित समस्त स्टोर, वस्तुएं या अन्य जंगम सम्पत्तियां इस प्रकार स्थापित प्राधिकरण को चली जायेंगी और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ङ) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व या ऐसे क्षेत्र के संबंध में न्यास द्वारा किये गये समस्त निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं वहां तक बने रहेंगे और जब तक वे प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन द्वारा अतिष्ठित नहीं किये जायेंगे तब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे;

(च) कोटा के नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित किये गये किसी क्षेत्र के विकास या सुधार के लिए और उक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समस्त योजनाएं, स्कीमें, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हों, इस के अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी और ऐसी कोई योजना या स्कीम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त हुई थी, वह प्रवृत्त रहेगी जहां तक कि उसका निर्वाह इस अधिनियम के अधीन अन्यथा किया गया है;

(छ) न्यास से संबद्ध और ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार और इससे संबंधित योजनाओं और स्कीमों और कागजातों को सम्मिलित करते हुए जो कि खण्ड (च) में निर्दिष्ट किये गये हैं, समस्त अभिलेख और कागजात प्राधिकरण में निहित होंगे और इसको अन्तरित हो जायेंगे;

(ज) ऐसा गठन होने के तुरन्त पूर्व के न्यास के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसा गठन होने पर और गठन के समय प्राधिकरण को छह मास की कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित समझे जायेंगे जिस कालावधि के भीतर जब तक कि वह अन्यथा बढ़ाई न जाये, प्राधिकरण उनके ऐसी रीति से स्क्रीनिंग के पश्चात् जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, उनको ऐसे पदों तथा ऐसे पदनामों पर जो कि प्राधिकरण अवधारित करे, सेवा में आमेलित करेगा। प्राधिकरण की सेवा में इस प्रकार आमेलित अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पदावधि तक, ऐसे पारिश्रमिक पर और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण कर सकेंगे जैसाकि वह उस समय धारण करते यदि प्राधिकरण गठित नहीं होता, और इस प्रकार तब तक निरन्तर धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं। ऐसे अधिकारियों और

कर्मचारियों में से वे जो प्राधिकरण द्वारा इसकी सेवा में आमेलित नहीं किये जाते हैं, न्यास के अधिशेष अधिकारी और कर्मचारी समझे जायेंगे और राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी की सेवा में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, ऐसे पदों पर, ऐसे पदनामों पर, ऐसे वेतन तथा भत्तों पर, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, आमेलित किये जायेंगे किन्तु उन्हें पदों पर ऐसे निबन्धनों पर आमेलित नहीं किया जायेगा जो वेतन और भत्तों के मामले में उनके लिए कम लाभप्रद हों:

परन्तु –

(i) ऐसे गठन के पूर्व इस प्रकार आमेलित किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा की गयी कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गयी सेवा समझी जायेगी; और

(ii) इस प्रकार आमेलित न किये गये अधिशेष अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की सेवा में बने रहेंगे और उनके वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निधि से तब तक संदत्त किये जायेंगे जब तक कि वे उपर्युक्त प्रकार से राज्य सरकार द्वारा आमेलित न कर लिये जायें;

(झ) उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य जिसमें की गयी कोई नियुक्ति, प्रत्यायोजन, आदेश, बनायी गयी स्कीम, नियम, उप-विधियां, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या स्वीकृत की गयी अनुज्ञा आती है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, वह प्रवृत्त रहेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी जब तक कि वह उक्त उपबंधों के अधीन की किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती है;

(ञ) ऐसे गठन के ठीक पूर्व उस क्षेत्र के लिए न्यास द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सब ऋण, बाध्यताएं और देयताएं, उसके द्वारा या उसके साथ ही की गयी समस्त संविदाएं, उसके द्वारा किये गये भूमि के समस्त आवंटन और अंतरण या कोटा के नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र में या उसके संबंध में उसके द्वारा बातों और कार्यों का किया जाना ठहराया गया है वे सब प्राधिकरण के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गयी या करने के लिए ठहरायी गयी समझी जायेंगी;

(ट) इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी, ऐसे गठन के पूर्व न्यास के द्वारा या उसकी ओर से की गयी कोई घोषणा, किये गये आवेदन, प्रकाशन, जारी अधिसूचना, नियुक्ति, आदेश, किया गया भूमि का आबंटन, प्रस्ताव, पंचाट, की गयी कार्यवाही, परामर्श, जांच, प्रमाणीकरण, किया गया समझौता, मंजूरी, करार, नोटिस, अनुमोदन, विनिश्चय, विवाद, किसी विधिक कार्यवाही का प्रत्याहरण करना, बनायी गयी किसी अंतिम स्कीम या किये गये कार्य की विधिमान्यता इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे वे

प्राधिकरण के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये, जारी किये गये, किये गये या बनायी गयी थीं;

(ठ) किसी विधिक कार्यवाही, किसी प्रशमनीय अपराध या किसी स्वीकृत दावे में या उससे न्यास द्वारा या उसकी ओर से ऐसे गठन के पूर्व, किये गये समस्त समझौते, प्रतिवाद या प्रत्याहरण, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किये गये समझे जायेंगे और प्राधिकरण के द्वारा या विरुद्ध उसी प्रकार प्रभावी हो सकेंगे जैसे कि वे गठन के पूर्व न्यास द्वारा उसके विरुद्ध प्रवृत्त होते थे;

(ड) न्यास द्वारा उसके लिए या उसके विरुद्ध संस्थित किये गये समस्त वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी;

(ढ) न्यास में निहित समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियां और किसी सम्पत्ति में समस्त अधिकार, स्वत्व, और हित प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और न्यास के कब्जे में की ऐसी समस्त सम्पत्तियां प्राधिकरण के कब्जे में समझी जायेंगी;

(ण) न्यास को देय समस्त किराये, फीस और अन्य धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी; और

(त) समस्त राशियां या प्रभार जिनका कि न्यास, ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व कोटा नगरीय क्षेत्र की किसी भूमि के विकास या सुधार के लिए या उसके संबंध में उद्ग्रहण, निर्धारण और वसूल करने का हकदार था, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उद्गृहित, निर्धारित और वसूल किये जाते रहेंगे।

(2) न्यास के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए जहां राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है तो वह उपर्युक्त विधियों के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार जारी रहेगी और पूर्ण की जायेगी।

अनुसूची-1

कोटा रीजन में आने वाले शहर, कस्बों और गांवों की सूची

शहर

1. कोटा शहर

कस्बा

2. कैथून (जिला कोटा)
3. केशवरायपाटन(जिला बून्दी)

गांव तहसील लाडपुरा (कोटा)

4. नांदना उर्फ बड़गांव
5. रामनगर
6. नान्ता
7. कुन्हाड़ी
8. सकतपुरा
9. भदाना
10. गणेशपुरा
11. डडवाड़ा
12. खेड़ली पुरोहित
13. खण्ड गांवड़ी
14. दोस्तपुरा
15. लाड़पुरा
16. रामपुरा
17. किशोरपुरा
18. कोटड़ी
19. गुमानपुरा
20. बालाकुण्ड़
21. श्योपुरा
22. केशोपुरा
23. गणेशपुरा
24. रंगबाड़ी
25. आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब
26. सोगरिया
27. रंग तालाब उर्फ काला तालाब
28. अर्जुनपुरा
29. बोरखेड़ा
30. मानपुरा
31. देवली अरब
32. बोरखण्डी

33. नया नोहरा
34. तेखड़ा
35. हनुवतखेड़ा
36. रामचन्द्र पुरा
37. राजनगर
38. रायपुरा
39. छत्रपुरा
40. कन्सुआ
41. आनन्दपुरा
42. लखावा
43. हाथीखेड़ा
44. धाकड़खेड़ी
45. उम्मेदगंज
46. खेड़ा जगपुरा
47. सुखपुरा
48. दौलतगंज उर्फ नया गांव
49. बालीता
50. रोझड़ी
51. नयाखेड़ा
52. गिरधरपुरा
53. कंवरपुरा
54. रोटेदा
55. चन्द्रेसल
56. दसलाना
57. मण्डानिया
58. आंवली
59. झालीपुरा
60. रथकांकरा
61. बन्दा
62. धर्मपुरा
63. रानपुर
64. चकरानपुरा
65. कोथला तलाई
66. उम्मेदपुरा
67. भीमपुरा
68. शम्भुपुरा
69. देवनगर उर्फ बोरतलाई

70. गोरधनपुरा
71. गंगायचा
72. गांवड़ी
73. अरन्या
74. रसूलपुर
75. खेड़ा
76. भोजपुरा
77. चड़ीन्दा
78. छत्रपुरा
79. मोतीपुरा
80. नगपुरा
81. प्रहलादपुरा
82. ताथेड़
83. बृजेशपुरा
84. खेड़ली पाण्डया
85. चैनपुरा
86. रंगपुर
87. किशनपुरा तकिया
88. देवली मच्छियान
89. नोटाना
90. रामराजपुरा
91. पीपल्दा शेखान
92. राम खेड़ली
93. गोदल्याहेड़ी
94. मोरपा
95. रामनगर
96. जामपुरा
97. अभयपुर
98. लाड़पुरा कैथून
99. जाखोड़ा
100. किशनपुरा कैथून
101. रूपारेल
102. विजयपुरा
103. पाचन कुई
104. केवल नगर
105. रूपपुरा
106. बावड़ी खेड़ा

107. आलनिया
108. भीलोत
109. फाटा खेड़ा
110. बनियानी
111. मण्डाना
112. मुकन्दपुरा
113. खानपुरिया
114. कसार
115. चोरडा
116. चन्द्रेसल
117. बडोदिया
118. छीपनहेड़ी
119. शंकरपुरा
120. सीमलहेडी
121. पीपलहेडी
122. चारणहेडी
123. परल्या
124. दीपपुरा
125. कीतलहेडा
126. अरण्डखेडा
127. बालापुरा
128. गलाना
129. भगवानपुरा
130. अरल्या जागीर
131. गन्दीफली
132. कादीहेडा
133. राजपुरा
134. डाहरा
135. कैथोडी
136. मानसगांव
137. घंघटाना
138. बोराबास
139. अखावा
140. चांदबावडी
141. डोल्या
142. सबलपुरा
143. रेल

144. रोझाला
145. कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा
146. रेनक्याखेडी
147. पचपहाड
148. श्यामपुरा
149. झीत्या उर्फ रामनगर
150. सारंगपुर
151. हनोतिया
152. हीरापुर
153. मांदलिया
154. मानपुरा
155. किशनपुरा डोल्या
156. जसपुरा
157. केशवपुरा
158. मन्दरगढ़
159. दौलतपुरा
160. जोधपुरा
161. बख्शपुरा
162. नीमखेडी
163. ढाणी
164. मवासा
165. हरिपुरा
166. रानीपुरा
167. सोहनपुरा
168. गोपालपुरा
169. रांवठा
170. भंवरिया
171. उम्मेदपुरा
172. बीलखेडी
173. सिंहपुरा
174. थोलपुरा
175. काल्याखेडी
176. नयागांव
177. डोबडा
178. पदमपुरा
179. कोथला
180. झामरा

181. डडवाड़ा
182. कंवरपुरा
183. लक्ष्मीपुरा
184. मोहनपुरा
185. दामोदरपुरा
186. जालिमपुरा
187. आमा का पानी
188. गणेशपुरा
189. खरली बावड़ी
190. नारायणपुरा
191. इन्द्रपुरा
192. दोहनिया
193. खंगारपुरा
194. अमरपुरा
195. पृथ्वीपुरा
196. उदपुरा
197. भगवानपुरा
198. मोतीपुरा
199. गिरधपुरा
200. बोरकुई
201. बुगचाच खुर्द
202. बुगचाच कलां
203. बाछडिया
204. श्योदानपुरा
205. नीमखेडा
206. रूपपुरा
207. रातड़िया
208. कोलीपुरा
209. कोटबावड़ी
210. घोड़ों का गांव
211. थोलनपुरा

गांव तहसील दीगोद (कोटा)

212. कराडिया
213. बृजपुरा
214. पोलाई कलां
215. नोहती
216. चारहेड़ी

217. चार
218. पाड़लिया
219. सीमलिया
220. मंडोला
221. पोलाई खुर्द
222. डगारिया
223. मूंडला
224. भीमपुरा
225. कासमपुरा

गांव तहसील तलेड़ा (बूंदी)

226. जाखमुण्ड
227. गोविन्दपुर बावड़ी
228. भोपतपुरा
229. संवर
230. सीन्ता
231. तीरथ
232. महराना
233. विनायका
234. बल्लोप
235. तुलसी
236. रामपुरिया
237. कैथूदा
238. बालापुरा
239. देवरिया (मौजा मानपुरिया)
240. कंणा
241. गामछ
242. डगलवाड़ा
243. चन्दनहेली
244. देहित
245. भवानीपुरा
246. सेन्दड़ी
247. बक्षपुरा
248. नोताड़ा
249. जमीतपुरा
250. खेड़ला
251. तालेड़ा
252. रघुनाथपुरा

253. लाम्बा पीपल
254. मांदड़ी
255. नया बरधा
256. गागोस
257. मोटूका
258. अल्फा नगर
259. खुराड़
260. सांदड़ी
261. तालाब बरधा
262. डोरा
263. जलोती
264. श्योपुरिया
265. खडीपुर
266. धनेश्वर
267. करोंदी
268. जवाहर सागर
269. भगवानपुरा उर्फ चैनपुरा
270. देलून्दा
271. पीतामपुरा
272. जाल की झोंपड़िया
273. खेरोली

गांव तहसील केशवरायपाटन (बूंदी)

274. नीमोदा
275. सूनगर
276. लाखेरी खुर्द
277. गुडली
278. गुड़ला
279. विजय नगर
280. खेडली

गांव कैथून शहरी सीमा (कोटा)

281. कैथून नगरीय क्षेत्र
282. भीमपुरा
283. आरामपुरा
284. जालखेडा

गांव केशवरायपाटन शहरी सीमा (बूंदी)

285. चड़ी
286. इन्द्रपुरिया

287. केशवरायपाटन
288. हथनापुर
289. ईश्वर नगर
290. रंगपुरिया
291. केशोनगर
292. पटोल्या

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 4, 2023

No. F. 2(36)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Kota Vikas Pradhikaran Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 31):-

(Authorised English Translation)
THE KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2023
(Act No. 31 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 4th day of October, 2023)

An
Act

for forming Kota City and certain contiguous areas into Kota Region, to provide for the establishment of an Authority for the purposes of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Kota Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected therewith.

Whereas, Kota City, Kaithoon and Keshavraipatan and areas contiguous to it are being progressively developed and populated, and the necessity is being increasingly felt for forming these areas into Kota Region and for setting up of an Authority for the purpose of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of these areas, in which several government departments, local authorities and other organizations are at present engaged within their own jurisdictions; to provide also that such Authority be enabled either itself or through other authority to formulate and execute plans, projects and schemes for the development of Kota Region so that housing, community facilities, civic amenities and other infrastructure are properly created for the population of Kota Region in

the perspective of 2040 A.D. or thereafter including the intermediate stages, and to provide for matters connected with the purpose aforesaid.

Be it enacted by the Rajasthan State legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Kota Development Authority Act, 2023.

(2) It shall extend to Kota Region Area.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) "agriculture" includes horticulture, fruit growing, seed growing, dairy farming, gardening, forestry, livestock breeding or the use of land as a nursery, grazing land or any other use of land which is ancillary to its cultivation or other agricultural purposes and the word "agricultural" shall be construed accordingly;

(2) "amenities" include roads, bridges, any other means of communication, transport, streets, open spaces, parks, recreational grounds, play grounds, water, gas and electric supply, and source of energy, street lighting, sewerage, drainage, conservancy, public works and such other utilities, services and convenience as the State Government in consultation with the Authority may, by notification in the Official Gazette, specify to be an amenity for the purpose of this Act;

(3) "Authority" means the Kota Development Authority constituted under section 3;

(4) "building operations" include rebuilding operations, structural alterations of or additions to buildings and other operations undertaken in connection with the construction of buildings;

(5) "development", with its grammatical variations, means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in, or over, or under any land (including land under river, lake or any other water) or the making of any material change in any building or land or in the use of any building or land and includes re-development and lay out, and sub-division of any land and also the provision of amenities and projects and schemes for development of agriculture, horticulture, floriculture, forestry, dairy development, poultry farming, piggery, cattle breeding, fisheries and other similar Activities and "to develop" shall be construed accordingly;

(6) "development area" means the area declared as such under sub-section (1) of section 29 and in which development is proposed to be undertaken within a reasonable period through schemes, projects or otherwise;

(7) "Government" means Government of the State of Rajasthan;

(8) "Kota Region" means the areas in the limits of the city, towns and villages specified in the Schedule. The State Government may, from time to time, in the notification published in the Official Gazette, amend that Schedule by adding thereto or deleting therefrom any area specified in such notification and thereupon the modified area shall be the Kota Region;

(9) "land" includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;

(10) "local authority" means a Municipality or Panchayat;

(11) "Municipality" means a Municipality established under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) in Kota Region;

(12) "occupier" includes-

(a) an owner or any person who, but for a contract, express or implied, is paying or is liable to pay rent to the owner of any building or land; or

(b) any person who is liable to pay to the owner of any land or building, damages for wrongful occupation of the whole or part of any such building or land; and

(c) rent-free occupant of any building or land;

(13) "owner" includes the person who, but for a contract, express or implied, for the time being is receiving or is entitled to receive, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian, manager or receiver for another person, or for any religious or charitable institution, the rent or profits of any building or land;

(14) "Panchayat" means a panchayat established under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) in Kota Region;

(15) "plan" means a master development plan or a zonal development plan prepared or deemed to be prepared under this Act, and the expression "any plan" shall be construed accordingly;

(16) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(17) "public purpose" includes any purpose which is useful to the public or any class or section of the public and the requirement of land reserved or designated in a plan, project or scheme or for any other purpose under this Act;

(18) "regulation" means a regulation made by the Authority under this Act;

(19) "rule" means a rule made by the Government under this Act;

(20) "Tribunal" means Tribunal constituted under the provisions of this Act;

(21) "Zone" means any of the division in which Kota Region may be divided for the purposes of development under this Act; and

(22) words and expressions used in this Act, but not defined herein, shall have the same meanings as assigned to them in the Rajasthan Urban Improvement Act,1959 (Act No. 35 of 1959) and the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009).

CHAPTER-II

Establishment and Constitution of the Authority

3. Establishment of the Kota Development Authority.- (1) As soon as may be, after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish for the purposes of this Act, an Authority to be called "the Kota Development Authority" (hereinafter referred to as "the Authority").

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may sue or be sued by its corporate name aforesaid.

(3) The Authority shall be deemed to be a local authority within the meaning of the term "local authority" as defined in the Rajasthan General Clauses Act,1955 (Act No. 8 of 1955).

4. Composition of the Kota Development Authority.- (1) The Authority shall consist of the following members, namely:-

(i) a Chairman, who shall be appointed by the State Government;

(ii) Kota Development Commissioner, Kota who shall be the Vice-Chairman;

(iii) Secretary to the Government, Urban Governance (Development and Housing Department) or his representative not below the rank of Deputy Secretary;

Explanation.-For the purpose of this clause, the expression "Secretary" means the Secretary to the Government in charge of a department and including an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is in charge of the department;

(iv) Deputy Housing Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jaipur (Kota Region);

(v) Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Kota;

(vi) Additional Chief Engineer, Public Works Department, Kota;

(vii) District Collector, Kota;

(viii) District Collector, Bundi;

(ix) Superintendent of Police, Kota City;

(x) Superintendent of Police, Kota Rural;

(xi) Superintendent of Police, Bundi;

(xii) Managing Director, Rajasthan State Industrial and Investment Corporation Limited or his representative not below the rank of a General Manager;

(xiii) representative of the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, not below the rank of an Additional Chief Engineer;

(xiv) Mayor/Administrator, Municipal Corporation, Kota North;

(xv) Mayor/Administrator, Municipal Corporation, Kota South;

(xvi) Chairman/Administrator, Municipal Board, Kaithoon;

(xvii) Chairman/Administrator, Municipal Board, Keshavraipatan;

(xviii) Zila Pramukh of Zila Parishad, Kota;

(xix) Zila Pramukh of Zila Parishad, Bundi;

(xx) Senior Town Planner, Kota Zone, Kota;

(xxi) Managing Director, Kota Dairy, Kota;

(xxii) Non-official members, not exceeding seven, to be nominated by the State Government; and

(xxiii) Secretary, Kota Development Authority - Who shall be the Member-Secretary.

(2) Besides the members referred to in sub-section (1) the State Government, if it so thinks fit, may also appoint the Chairman of any Functional Board as member of the Authority.

(3) The Chairman of the Authority shall supervise and control all the activities on behalf of the Authority and shall exercise such powers and perform such duties as are

conferred on him under this Act and exercise such other powers and perform such other duties as the Authority may, by regulations, from time to time, determine. He may also modify, subject to confirmation by the Authority, in its next meeting, the decisions of officers of Authority and committees constituted under the provisions of this Act.

(4) The Vice-Chairman shall exercise such powers and perform such duties as the Chairman of the Authority may, by order, delegate to him and shall, during the absence of the Chairman, perform the functions and exercise the powers of the Chairman.

(5) The members shall receive such allowances for meeting the personal expenditure in attending the meetings of the Authority or any committee or body thereof or in performing any other functions as members, as may be prescribed.

(6) Where a person becomes or is nominated as a member of the Authority by virtue of holding any office or being a member of the Parliament or State Legislature or any local authority or any other authority, Corporation, Council, Board or body, whether incorporated or not, he shall cease to be a member of the Authority as soon as he ceases to be holder of that office or such member as the case may be.

(7) A member of the Authority, other than *ex-officio* members, may, at any time by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his office but shall continue as member until his resignation is accepted by the Chairman.

(8) The term of the non-official members of the Authority nominated under clause (xxi) of sub-section (1) shall be for a period of two years:

Provided that in the event of the office of any aforesaid member becoming vacant by reason of death, removal, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled up by fresh nomination according to the provisions of clause (xxi) of sub-section (1).

(9) No act or proceeding of the Authority, or of any board, committee or other body thereof shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that any of the members of the Authority or such body are not nominated, appointed or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or any meeting of the Authority, or such body or any person is a member in more than one capacity, or there are one or more vacancies in the offices of any members of the Authority or such body.

5. Meetings of the Authority.- (1) The Authority shall meet atleast once in six months at such place and at such time as the Chairman may decide and shall, subject to the provisions of section 6, observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting (including the quorum thereat) as may be laid down by regulations.

(2) The Chairman or in his absence, the Vice-Chairman shall preside at every meeting of the Authority. If for any reason both the Chairman and the Vice-Chairman are unable to attend any meeting, any other member of the Authority, elected by the members thereof, present at the meeting, shall preside.

6. Cessation of membership.- (1) A member of the Authority, who has or acquires, directly or indirectly any share or pecuniary or other interest in any contract, loan, arrangement or proposal entered into, or proposed to be entered into, by or on behalf of the Authority shall cease to be a member of the Authority:

Provided that a member shall not be deemed to have any such share or interest by reason only of his being a share holder of a public limited company/concern in any such contract, loan, arrangement or proposal or that he himself or any relation of his, is employed

by or on behalf of the Authority or he has such share or interest in his capacity as a member of the Authority or his property, or any property in which he has a share or interest, is or is being acquired or taken on lease by or on behalf of the Authority by agreement or according to any law for the time being in force.

(2) If any question arises whether a member of the Authority has become subject to the disqualifications mentioned in sub-section (1), the question shall be referred for the decision of the State Government and its decision shall be final.

7. Constitution and powers of Executive Committee.- (1) There shall be an Executive Committee of the Authority consisting of the following members, namely:-

(i) Kota Development Commissioner; who shall be the Chairman;

(ii) representative of Secretary, Urban Governance (Development and Housing) not below the rank of Deputy Secretary;

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression "Secretary" means the Secretary to the Government in charge of a department and including an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is in charge of the department;

(iii) District Collector, Kota;

(iv) Superintendent of Police, Kota City;

(v) Superintendent of Police, Kota Rural;

(vi) Secretary, Kota Development Authority who shall be the Member-Secretary of the Committee;

(vii) Additional Chief Engineer, Public Works Department, Kota Region, Kota, Rajasthan;

(viii) Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Kota Region, Kota Rajasthan;

(ix) representative of the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, not below the rank of an Additional Chief Engineer;

(x) Managing Director, Rajasthan State Industrial and Investment Corporation Limited or his representative not below the rank of a General Manager;

(xi) Managing Director, Rajasthan State Road Transport Corporation or his representative not below the rank of a General Manager;

(xii) Deputy Director, Tourism, Kota;

(xiii) Director, Engineering of the Authority;

(xiv) Director, Town Planning of the Authority;

(xv) Director, Finance of the Authority;

(xvi) Director, Law of the Authority;

(xvii) The Commissioner, Municipal Corporation, Kota North;

(xviii) The Commissioner, Municipal Corporation, Kota South;

(xix) Executive Officer, Municipal Board, Kaithoon; and

(xx) Executive Officer, Municipal Board, Keshavraipatan;

(2) The Executive Committee shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

(i) organisation of the divisions and operational units of the Authority;

(ii) preparation of drafts of regulations and recommending to the Authority for making them;
(iii) operation of the Kota Region Development Funds;
(iv) preparation of projects and schemes;
(v) approval or rejection of tenders for projects and schemes;
(vi) creation of posts under the Authority upto such level as may be determined by regulations with the prior approval of the Government;
(vii) borrowing and reborrowing of money required by the Authority;
(viii) investment of surplus money of the Kota Region Development Fund;
(ix) making of grants, subventions, loans or advances to, or sharing expenses with, any local or other authority or person for projects and schemes;
(x) institution or withdrawal of legal proceedings on behalf of the Authority; and
(xi) delegation of any of its powers and duties to its Chairman or any officer of the Authority.

(3) In addition to the powers and duties conferred on it under other provisions of this Act, the Executive Committee shall exercise such other powers and perform such other duties as may be delegated to it by the Authority from time to time.

(4) The Executive Committee shall meet at such place and at such time as may be determined by its Chairman and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of business as may be determined by regulations.

8. Appointment of Kota Development Commissioner, Directors, Secretary, etc..- (1) The State Government shall appoint any of its officer as Kota Development Commissioner on such salary and allowances and on such terms and conditions of service as may be determined by the State Government. He shall be the Chief Executive of the Authority and shall supervise and control all its officers and servants, including any officer of Government appointed, from time to time, on deputation to the Authority, or to the Executive Committee, or any other committee or any Functional Board or any body thereof. He shall be responsible for collection of all sums due to the Authority and payment of all sums payable by it. He shall ensure adequate security of all assets including cash balances of the Authority. Besides the said powers and duties and the powers and duties delegated by the Authority or the Executive Committee or any other committee or any Functional Board or any body thereof, he shall also exercise the following powers, perform the following functions and discharge the following duties, namely:-

(i) management and supervision of operational units of the Authority;
(ii) except as otherwise provided, appointment of the staff as per strength sanctioned by the Authority or the Executive Committee, as the case may be, including their removal, dismissal or otherwise punishing them in accordance with the regulations made by the Authority;
(iii) promulgation of internal procedure for management of the Authority;
(iv) administration of Projects and Schemes of the Authority;
(v) grant of any permission required to be given under this Act or refusal thereof on behalf of the Authority;

(vi) calling tenders, scrutinise them and approve or reject them where the value does not exceed rupees one crore and where the value exceeds rupees one crore making recommendation to the Executive Committee;

(vii) executing agreements and entering into contract for and on behalf of the Authority; and

(viii) all other powers, functions and duties as may be determined by regulations.

(2) To aid and advise the Kota Development Commissioner, the State Government shall appoint the following Directors:-

(i) Director, Engineering who shall not be below the rank of Chief Engineer of civil construction;

(ii) Director, Town Planning who shall not be below the rank of Senior Town Planner and Architectural Advisor;

(iii) Director, Finance who shall be not below the rank of Senior Accounts Officer; and

(iv) Director, Law who shall be not below the rank of a District Judge or a Joint Legal Remembrancer of the Rajasthan State Legal Service.

(3) The State Government shall appoint a Secretary of the Authority who shall also act as Secretary of the Executive Committee, other committees, if any, and all Functional Boards. He shall, subject to the control and supervision of the Kota Development Commissioner, record the minutes of the proceedings of the Authority, Executive Committee, all Functional Boards, committees or any body of the Authority, maintain the minute book for the same along with all record relevant thereto and shall exercise such powers, perform such functions and discharge such duties as may be delegated to him by the Authority, the Executive Committee, Kota Development Commissioner or any Functional Board.

(4) The State Government may also appoint one or more Additional Commissioners and Additional Secretaries to assist the Kota Development Commissioner and they shall perform such functions and discharge such duties as may be delegated to them by the Kota Development Commissioner.

(5) The officers appointed under sub-sections (2), (3) and (4) shall be deemed to be officers of the Authority and their salary and allowances and their terms and conditions of service shall be such as may be determined by the State Government.

9. Determination of strength of the Staff, etc. .- The Authority or in case the powers are delegated by it, the Executive Committee may, from time to time, sanction creation of posts of all other officers and servants with the prior approval of the Government, except the officers referred to in section 8, subordinate to the Authority including Executive Committee, any other committee, any Functional Board or any other body as it thinks necessary. The conditions of appointment and service, strength of the cadre and the powers, functions and duties of such officers and servants shall be such as may be determined by regulations.

10. Constitution of Committees.- (1) The Authority may constitute committees consisting wholly of members of such Authority or partly of members of such Authority and partly of other persons in such manner and for such purposes and functions as may be specified by the Authority by regulations.

(2) The committees constituted under this section shall meet at such place and at such time and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be provided by regulations.

(3) The members of the committees may be paid such allowances for meeting the personal expenditure in attending the meetings and for attending to any other work of the committees as may be prescribed.

11. Authentication of orders, etc. .- All proceedings of the Authority, the Executive Committee, other committees and the Functional Boards shall be authenticated by the signatures of the Chairman of the Authority, the Executive Committee, other committee, or the Functional Board, as the case may be, or of any member thereof authorised by the Chairman in this behalf and all other orders and instruments of the Authority shall be authenticated by the Kota Development Commissioner or by any other officer of the Authority authorised by him in this behalf.

12. Provision for inviting Government and Local Authority Officers to assist for advice.- The Authority, the Executive Committee, the Kota Development Commissioner or a Functional Board may invite any officer of the State Government or local authority or other authority or any person to attend its meeting or meetings as a special or permanent invitee for the purpose of assisting or advising it on any matter or matters. The officers or the persons so invited may take part in the proceeding, but shall have no right to vote.

CHAPTER-III

Constitution of Functional Boards

13. Establishment of Kota Traffic Control Board.- (1) As soon as may be after the Authority is established under sub-section (1) of section 3, the State Government shall, by order, constitute a Functional Board to be called as the "Kota Traffic Control Board" under the Authority.

(2) The Kota Traffic Control Board shall consist of the following members, namely:-

(i) Kota Development Commissioner, who shall be the Chairman;
(ii) District Magistrate, Kota;
(iii) Superintendent of Police, Kota City;
(iv) Superintendent of Police, Kota Rural;
(v) Secretary, Kota Development Authority;
(vi) Regional Transport Officer, Kota, Rajasthan;
(vii) Chief Manager (Operation), Rajasthan State Road Transport Corporation, Zone Kota;
(viii) Additional Chief Engineer, Public Works Department, Kota;
(ix) Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Kota;
(x) representative of the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, not below the rank of an Additional Chief Engineer;
(xi) Director, Engineering of the Authority;
(xii) Director, Town Planning of the Authority;
(xiii) Director, Finance of the Authority;
(xiv) Mayor/Administrator, Municipal Corporation, Kota North;

(xv) Mayor/Administrator, Municipal Corporation, Kota South;

(xvi) Chairman/Administrator, Municipal Board, Kaithoon;

(xvii) Chairman/Administrator, Municipal Board, Keshavraipatan; and

(xviii) two persons to be nominated by the Chairman of the Authority.

(3) The Kota Traffic Control Board shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

(i) to prepare a Master Plan for traffic control in Kota City, Kaithoon and Keshavraipatan and to take steps in a phased manner for its implementation;

(ii) to take steps to modernise the traffic control system;

(iii) to lay down the policy for issuing traffic licences of light and heavy vehicles;

(iv) to determine policy for one way traffic, to impose restrictions for certain hours on certain kind of traffic on certain roads, to bar certain vehicles on certain roads, to determine parking places, stands, stops and cycle ways and other matters connected therewith;

(v) to lay down guidelines for raising sign-signals, barriers and speed breakers;

(vi) to grant permission to any person, Government Department (Central or State), any local authority or any other body to cut the roads for various purposes and to impose conditions thereof;

(vii) to demolish traffic hazards, obstacles and to determine compensation in such cases in accordance with regulations;

(viii) to solicit help of the citizens and associations of repute to advise and raise funds for traffic control and traffic education in accordance with the rules;

(ix) to organise traffic education; and

(x) to perform all other activities pertaining to the improvement and control of traffic and such other functions as may be directed by the Authority.

14. Constitution and powers of other Functional Boards.- (1) On the advice of the Authority, the State Government may, from time to time, by order published in the Official Gazette, constitute, (i) a Transport and Communications Board, (ii) a Water Resources Management Board, (iii) a Housing, Urban Renewal and Ecology Board and other Functional Boards for achieving the objects of the Authority with such names as it deems fit to specify, each having membership as provided in sub-section (2).

(2) Each Functional Board constituted by the State Government under sub-section (1) shall consist of a Chairman and such other members (not exceeding five) as may be appointed by the State Government. At least two of the members shall be persons who have special knowledge and experience of the subject to be dealt with by the Functional Board.

(3) The State Government may, if it thinks fit in public interest so to do, terminate the appointment of Chairman or any member of any Functional Board constituted under sub-section (1) or reconstitute the same at any time.

(4) Each Functional Board shall, in respect of the subject, on areas within its purview,-

(a) plan, identify projects and schemes, initiate surveys and conduct investigations (either by itself or engaging other agencies as appropriate) and prepare

programmes and proposals for investment purposes for the consideration of the Authority, indicating the authorities and agencies to be entrusted with the execution thereof;

(b) advise the Authority, Executive Committee or the Kota Development Commissioner;

(c) implement any project or scheme, entrusted to it by the Authority or Executive Committee; and

(d) exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be delegated to it by the Authority or as may be assigned to it by the Executive Committee or the Kota Development Commissioner from time to time.

15. Meetings of the Functional Board.- (1) All Functional Boards constituted under this Chapter shall meet at such place and at such time as may be determined by its Chairman and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting as may be determined by regulations.

(2) The members of the Functional Boards may be paid such allowances for meeting the personal expenditure in attending meeting and for attending to any other work of the Board, as may be prescribed.

CHAPTER-IV

Powers and Functions of the Authority

16. Functions of the Authority.- The main object of the Authority shall be to secure the integrated development of the Kota Region and for that purpose the functions of the Authority shall be:-

(a) urban planning including the preparation of Master Development Plan and Zonal Development Plans and carrying out surveys for the purpose and also making alterations therein as may be deemed necessary;

(b) formulation and sanction of the projects and schemes for the development of the Kota Region or any part thereof;

(c) execution of projects and schemes directly by itself or through a local authority or any other agency;

(d) to make recommendations to the State Government on any matter or proposal requiring action by the State Government, Central Government, any local authority or any other authority for overall development of the Kota Region;

(e) participation with any other authority for the development of the Kota Region;

(f) co-ordinating execution of projects or schemes for the development of the Kota Region;

(g) supervision or otherwise ensuring adequate supervision over the planning and execution of any project or scheme, the expenses of which, in whole or in part are to be met from the Kota Region Development Fund;

(h) preparing schemes and advising the concerned authorities, departments and agencies in formulating and undertaking schemes for development of

agriculture, horticulture, floriculture, forestry, dairy development, transport, communication, schooling, cultural activities, sports, medicare, tourism entertainment and similar other activities;

(i) execution of projects and schemes on the directions of the State Government;

(j) undertaking housing activity in Kota Region:

Provided that the delineation of responsibility for housing between Rajasthan Housing Board and the Authority will be made by the State Government effective from the date to be fixed by it;

(k) to acquire, hold, manage and dispose of property, movable or immovable, as it may deem necessary;

(l) to enter into contracts and agreements or arrangements with any person or organisation as the Authority may deem necessary for performing its functions;

(m) to prepare Master Plan for traffic control and management, devise policy and programmes of action for smooth flow of traffic and matters connected therewith;

(n) to perform functions designated by the State Government in the areas of urban renewal, environment and ecology, transport and communication, water energy resource management directly or through its Functional Board or other departments/agencies as the State Government may specify;

(o) regulating the posting of bills, advertisement hoardings, signpost and name boards in Kota Region or in any part thereof as specified by the Authority;

(p) regulating the erection or re-erection of buildings and projections, making material alterations therein and providing for open spaces in Kota Region or in any part thereof as specified by the Authority;

(q) removing obstructions and encroachments upon public streets, open spaces and properties vesting in the Government or the Authority;

(r) to do all such other acts and things which may be necessary for, or incidental or conducive to, any matters which arise on account of its activity and which are necessary for furtherance of the objects for which the Authority is established; and

(s) to perform any other functions that the State Government may designate in furtherance of the objectives of this Act.

17. No other authority or person to undertake certain development without permission of the Authority.- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, except with the previous permission of the Authority, no authority or person shall undertake any development within the Kota Region of the type as the Authority may from time to time specify, by notification published in the Official Gazette, and which is likely to adversely affect the overall development of the Kota Region.

(2) Any authority or person desiring to undertake development referred to in sub-section (1) shall apply in writing to the Authority for permission to undertake such development:

Provided that such person may apply for such permission through the concerned local authority and such local authority shall forward his application to the Authority with its recommendations, if any.

(3) The Authority shall, after making such enquiry as it deems necessary and within sixty days from the receipt of an application under sub-section (2), grant such permission without any conditions or with such conditions as it may deem fit to impose or refuse to grant such permission. If such permission is not granted or refused within sixty days as aforesaid, the applicant may, by a written communication presented in person or through his authorised representative to the Secretary of the Authority or any other officer nominated by him in this behalf, call the attention of the Authority to the omission or neglect in granting or refusing permission, and if such omission or neglect continues for a further period of thirty days from the receipt of such communication, the Authority shall be deemed to have permitted the proposed development and such development may be proceeded within the manner specified in the application:

Provided that nothing herein contained shall be construed to authorise any person to act in contravention of any provision of this Act or the rules, regulations or order made thereunder, relating to any matters other than the requirement of obtaining permission of the Authority before undertaking or carrying out any improvement under this Act.

(4) Any authority or person aggrieved by the decision of the Authority under sub-section (3), may, within thirty days, appeal against such decision to the State Government whose decision shall be final:

Provided that where the aggrieved authority submitting such appeal is under the administrative control of the Central Government the appeal shall be decided by the State Government after consultation with the Central Government.

(5) In case any person or authority does anything contrary to the decision given under this section, the Authority shall have power to pull down, demolish or remove any development undertaken contrary to such decision and recover the cost of such pulling down, demolition or removal from the person or authority concerned.

18. Powers of the Authority to give directions.- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Authority may give such directions to any local authority or other authority or person, with regard to the implementation of any project or scheme financed under section 16, as it thinks fit and any such local authority or other authority or person shall be bound to comply with such directions.

(2) Where any direction is given to any local authority, other authority or person under sub-section (1), such authority or person may, within fifteen days from the date of receipt of such direction, appeal to the State Government against such direction, and the decision of the State Government thereon shall be final.

(3) The Authority shall so exercise the powers of supervision referred to in clause (g) of section 16, as may be necessary to ensure that each project or scheme is executed in the interest of the overall development of the Kota Region and in accordance with any plan, project or scheme duly approved under any law for the time being in force or by the State Government.

19. Power of the Authority to require local authority to assume responsibilities in certain cases.- (1) Where any amenities are provided by the Authority, the Authority may

assume responsibility for the maintenance of the amenities which have been provided by it or may require the local authority or any other authority, within whose jurisdiction the area so developed is situated, to assume such responsibility.

(2) The Authority, may also require the local authority or any other authority to make provision for such other amenities as may be specified by it and which have not been provided by the Authority, on such terms and conditions as may be agreed upon and where terms and conditions cannot be agreed upon, on such terms and conditions as may be specified by the State Government in consultation with the local authority or any other authority, as the case may be, and the Authority.

20. Power of the Authority to execute any plan.- (1) Where the Authority is satisfied that any direction given by it under sub-section (1) of section 18 with regard to any project or scheme has not been carried out by the local authority or other authority or person referred to therein, within the time specified in the direction, or that any such authority or person is unable to fully implement any project or scheme undertaken by it for the development of any part of the Kota Region, the Authority may, with the sanction of the State Government, itself undertakes any works and incur any expenditure for the execution of such projects or implementation of such schemes, as the case may be.

(2) The Authority may also undertake any works in the Kota Region in accordance with the Master Development Plan or the Zonal Development Plan or any other project or scheme, as the case may be, as may be directed by the State Government and may incur such expenditure as may be necessary for the execution of such work. Such direction may be issued to the Authority only where in the opinion of the State Government-

(a) there is no other suitable authority to undertake such work; or

(b) where there is such an authority but it is unwilling or unable to undertake such work; or

(c) where the Authority has specifically requested the State Government to entrust such work to it.

(3) Where any work is undertaken by the Authority under sub-section (1), it shall be deemed to have, for the purpose of the execution of such work, all the powers which may be exercised by or under any law for the time being in force by the local authority or other authority or person referred to in sub-section (1).

(4) The Authority may, for the purpose of sub-sections (1) and (2), undertake the survey of any area within the Kota Region and for that purpose it shall be lawful for any member, officer or servant of the Authority-

(a) to enter in or upon any land to take level of such land;

(b) to dig or bore into the sub-soil;

(c) to mark levels and boundaries by placing marks and cutting trenches; and

(d) where otherwise the survey cannot be completed or levels and boundaries can not be marked, to cut down and clear away any fence or jungle:

Provided that, before entering upon any land, the Authority shall give notice of its intention to do so in such manner as may be specified in the regulations.

CHAPTER-V

Master Development Plan and Zonal Development Plans

21. Civic Survey and preparation of Master Development Plan.- (1) The Authority, with a view to securing planned integrated development and use of land, shall carry out a civic survey of and prepare a Master Development Plan for Kota Region.

(2) The Master Development Plan shall precisely define the quality of life that a citizen of Kota Region could desirably be expected to lead in (i) medium range perspective of the year 2031 A.D. (ii) long term perspective of the year 2040 A.D. and thereafter, and (iii) such other intermediate stages, as the State Government may direct, balanced and time targeted development to sub-serve the needs of the growing city of Kota and other areas of Kota Region, the network of public utilities, civic amenities, community facilities, housing, communications and transport, the projects or schemes for conservation and development of natural resources and such other matters as are likely to have a bearing on the integrated development of the Kota Region and in particular may provide for-

(i) transport and communications such as roads, high-ways, railways, canals, international airports, air cargo complexes and bus service, including their development;

(ii) water supply, drainage, sewerage, sewage disposal and other public utilities, amenities and services, including electricity and gas;

(iii) preservation, conservation and development of areas of natural scenery, city forests, wild life, natural resources and landscaping;

(iv) preservation of objects, features, structures or places of historical, natural, architectural or scientific interest and educational value;

(v) prevention of erosion, provision for afforestation or reforestation, improvement of water front areas, rivers, nallahs, lakes and tanks;

(vi) irrigation, water supply and hydroelectric works, flood control and prevention of water and air pollution;

(vii) educational and medical facilities;

(viii) district business centres, other shopping complexes, export oriented industrial areas and clearing houses, permanent exhibition centres, cattle fairs and markets;

(ix) games and sports complexes worthy of holding international events;

(x) amusement parks including disney land, style complexes, safari parks and other gardens and parks, picnic centres and day amusement including artificial lakes and water reservoirs;

(xi) cultural complexes including theatres, cinemas, rangmanch, studios, recreation centres, conference hall complexes, concert halls, town halls and auditoria;

(xii) tourist complexes including hotels and motels, car hiring services, organised tours and treks;

(xiii) development of satellite towns in Kota Region and their appropriate integration with the City of Kota including development of new townships;

(xiv) allocation of land for different uses, general distribution and general location of land and the extent to which the land may be used as residential, commercial, industrial, agricultural or as forests or for mineral exploitation or for other purposes;

(xv) reservation of areas for open spaces, gardens, recreation centres, zoological gardens, nature-reserves, animal sanctuaries, dairies and health resorts and other purposes;

(xvi) the relocation of the population or industry from over populated and industrially congested areas and indicating the density of population or the concentration of industry to be allowed in any area of Kota Region;

(xvii) housing including rural housing;

(xviii) filling up or reclamation of low lying, swampy or unhealthy areas or levelling up of lands;

(xix) redevelopment and improvement of existing builtup areas;

(xx) planning standards and zoning regulations for different zones including development of "abadi"; and

(xxi) planning for Kota Region for management of urban growth and all matters connected therewith and other matters as are consistent with the objective of this Act.

(3) The Master Development Plan may also define the various zones into which the Kota Region shall be divided for the purposes of development and indicate the manner in which the development is to be carried out and the land in each zone is proposed to be used (whether by the carrying out therein development or otherwise) and the stages by which any such development shall be carried out and shall serve as a basic pattern of frame work within which the Zonal Development Plan of the various zones may be prepared:

Provided that the Authority may, if it so considers necessary in the public interest, alter the area of any zone.

22. Zonal Development Plan.- (1) Simultaneously with the preparation of the Master Development Plan or as soon as may be thereafter, the Authority shall proceed with the preparation of a Zonal Development Plan for each of the zones into which the Kota Region may be divided.

(2) A Zonal Development Plan may-

(a) contain the provision for the developmental activities to be carried out as mentioned in sub-section (2) of section 21;

(b) contain a site plan for the development of the zone and show the approximate locations and extents of land uses proposed in the zone for such things as public buildings and other public works and utilities, roads, housing, recreation, industry, business, markets, schools, hospitals, public and private open spaces and other categories of public and private uses;

(c) specify the standards of population density and building density;

(d) show every area in the zone which may, in the opinion of the Authority, be required or declared for development or redevelopment; and

(e) in particular, contain provisions regarding all or any of the following matters, namely:-

(i) the division of any site into plots for the erection of building;

(ii) the allotment or reservation of land for roads, open spaces, gardens, recreation grounds, schools, markets and other public purposes;

(iii) the development of any area into a township or colony and the restrictions and conditions subject to which such development may be undertaken or carried out;

(iv) the erection of buildings on any site and the restrictions and conditions in regard to the open space to be maintained in or around buildings and height and character of buildings;

(v) the alignment of buildings on any site;

(vi) the architectural features of the elevation or frontage of any building to be erected on any site;

(vii) the number of residential buildings which may be erected on any plot or site;

(viii) the amenities to be provided in relation to any site or buildings on such site whether before or after the erection of building and the person or authority by whom or at whose expense such amenities are to be provided;

(ix) the prohibitions or restrictions regarding erection of shops, workshops, warehouses or factories or buildings of a specified architectural feature or buildings designed for particular purposes in the locality;

(x) the maintenance of walls, fences, hedges or any other structural or architectural construction and the height at which they shall be maintained;

(xi) the restrictions regarding the use of any site for purposes other than erection of buildings; and

(xii) any other matter which is necessary for the proper development of the zone or any area thereof according to plan and for preventing buildings being erected haphazardly in such zone or area.

23. Procedure to be followed in the preparation and sanction of Plan.- (1) Before preparing any Plan finally the Authority shall prepare a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and manner as may be determined by regulations inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

(2) The Authority, shall also give reasonable opportunity to every local authority within whose local limits any land touched by the Plan is situated, to make any representation with respect to the Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that may have been received by the Authority, the Authority shall finally sanction the Plan.

(4) Provisions may be made by regulations with respect to the form and content of a Plan and with respect to the procedure to be followed and any other matter, in connection with the preparation and sanction of such Plan.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (4), the procedure as laid down in the said sub-sections shall not be required to be followed in case the development of any project or scheme or any improvement thereof, in any zone is to be carried out on any land vested in the Authority.

24. Date of operation of Plan.- Immediately after a Plan has been sanctioned by the Authority, it shall publish in such manner as may be determined by regulations a notice stating that a Plan has been approved and naming a place where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of the first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into operation.

25. Subsequent modification of Plans.- (1) At any time after a Plan has come into operation according to provisions of section 24, the Authority may make any modification to the Plan as it thinks fit, the modification, which in its opinion, does not affect material alterations in the character of the Plan and which does not relate to the extent of land uses or the standards of population density.

(2) The Authority with the approval of the State Government may make any other modifications into the Plan in order to promote planned development of any part of the Kota Region in more efficient manner.

(3) The Authority or the Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon and Municipal Board, Keshavraipatan or any other body or Committee, as may be authorised by the State Government in this behalf, may, in order to promote planned development of any part of the Kota Region in more efficient manner, make such modifications in land use of the Plan for such area, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette.

(4) Before making any modification to the Plan, the Authority, Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon and Municipal Board, Keshavraipatan or any other body or Committee, as the case may be, shall publish a notice, in such form and manner as may be determined by regulation inviting objections before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by the Authority, Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon and Municipal Board, Keshavraipatan or any other body or Committee as the case may be.

(5) Every modification made under the provisions of this section shall be published and the modification shall come into operation either on the date of publication or on such date as the Authority, Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon and Municipal Board, Keshavraipatan or any other body or Committee, as the case may be may fix by notice published in the Official Gazette whereupon the modified Plan shall come into operation to all intents and for all purposes of this Act.

(6) Upon coming into operation of any modified Plan, any reference in any other section except in the foregoing sections of this Chapter, to the Master Development Plan or to the Zonal Development Plan shall be construed as a reference to the Master Development Plan or as the case may be to a Zonal Development Plan as modified under the provisions of this section.

26. Implementation of Plan.- As soon as may be, on the coming into operation of any plan, the Authority shall take such action for implementation of the Plan as may be deemed necessary subject to the provisions of this Act.

27. Plans prepared prior to this Act deemed to have been prepared under this Act.- Any Master Plan or a Zonal Plan prepared under the provisions of any other law in force prior to the commencement of this Act shall be deemed to have been prepared under the provision of this Act, to which the provisions of the foregoing sections relating to the sanction, modification and operation of a Master Plan/Master Development Plan shall *mutatis mutandis* apply:

Provided that any Master Plan or Zonal Plan sanctioned for the urban area of Kota under any other provisions of law shall cease to operate as soon as a Plan is sanctioned under the provisions of this Act.

28. Review of Plan.- Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government or the Authority at any time within ten years from the date on which a Plan comes into operation under this Act is of the opinion that the revision of such Plan is necessary, the State Government may direct the Authority to revise, or the Authority may on its own motion undertake revision of, such Plan after carrying out if necessary fresh civic survey and preparing an existing and use map of the Kota Region and thereupon the foregoing provisions of this Chapter shall, so far as they can be made applicable, apply to the revision of such Plan as those provisions apply in relation to the preparation, publication and sanction of a Plan.

CHAPTER-VI

Control of Development and use of Land included in Plans

29. Declaration of Development Areas.- (1) As soon as may be after a plan comes into operation as provided in section 24, the Authority may, by notification in the Official Gazette, declare any area in Kota Region to be a development area for the purposes of this Act.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the Authority shall not undertake or carry out any development of land in any area which is not a development area.

(3) On or after the date on which notification under sub-section (1) is published in the Official Gazette, no person shall institute or change the use of any land or carry out any development of land within the jurisdiction of the Authority or Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon or Municipal Board, Keshavraipatan, without their respective permission except the breaking open of any public street for which the previous permission of the Kota Traffic Control Board shall be obtained:

Provided that, no such permission shall be necessary-

(i) for carrying out works for the maintenance, improvement or other alteration of any building, being works which affect only the interior of the building or which do not materially affect the external appearance thereof;

(ii) for carrying out of works in compliance with any order or direction made by any authority under any law for the time being in force;

(iii) for carrying out of works by any authority in exercise of its powers under any law for the time being in force;

(iv) for the carrying out by the Central or the State Government or any local authority of any works, required-

(a) for the maintenance or improvement of a highway, road or public street, being works carried out on land within the boundaries of such highway, road or public street;

(b) for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains, sewers, mains, pipes, cable, telephone or other apparatus;

(v) for the excavation (including wells) made in the ordinary course of agricultural operation;

(vi) for the construction of a road intended to give access to land solely for agricultural purposes;

(vii) for normal use of land which has been used temporarily for other purpose;

(viii) in case of land, normally used for one purpose and occasionally used for any other purpose, for the use of land for that other purpose on occasion; and

(ix) for use, for any purpose incidental to the use of a building for human habitation of any other building or land attached to such building.

30. Power of revocation and modification of permission for development.- (1) If it appears to the Authority that it is expedient, having regard to the Plan prepared or under preparation, that any permission to develop land granted under this Act or any other law should be revoked or modified, the Authority may after giving the person concerned an opportunity of being heard against such revocation or modification, by order, revoke or modify the permission to such extent as appears to it to be necessary:

Provided that -

(a) where the development relates to the carrying out of any building or other operation, no such order shall affect such of the operations as have been previously carried out or shall be passed after these operations have substantially progressed or have been completed;

(b) where the development relates to a change of use of land, no such order shall be passed at any time after the change has taken place:

Provided further that where the revocation or modification of the permission is necessary in public interest, the provisions of the first proviso shall not apply.

(2) Where permission is revoked or modified by an order made under sub-section (1) and any owner claims within the time and in the manner prescribed, compensation for the expenditure incurred in carrying out the development in accordance with such permission which has been rendered abortive by the revocation or modification, the Authority shall, after giving the owner reasonable opportunity of being heard by the office, appointed by it in this behalf and after considering his report assess and offer reasonable compensation to the owner.

(3) If the owner does not accept the compensation and gives notice within thirty days of his refusal to accept, the Authority shall refer the matter for the adjudication of the Tribunal and the decision of the Tribunal shall be final and be binding on the owner and the Authority.

31. Penalty for unauthorised development for use otherwise than in conformity with the Plan.- (1) Any person who, whether at his own instance or at the instance of any other person commences, undertakes or carries out development or institutes or changes the use of any land-

(a) without permission required under this Act; or

(b) which is not in accordance with any permission granted or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted; or

(c) after the permission for development has been duly revoked; or

(d) in contravention of any permission which has been duly modified,

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the offence.

(2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Plan without being allowed to do so under section 17, or where the continuance of such use has been allowed under that section continues such use after the period for which the use has been allowed, or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees; and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

32. Power to require removal of unauthorised development.- (1) Where any development of land has been carried out as indicated in sub-section (1) of section 31, the Authority may, subject to the provisions of this section, within ten years of such development, serve on the owner a notice requiring him within such period, being not exceeding one month, as may be specified therein after the service of the notice, to take such steps as may be specified in the notice-

(a) in cases specified in clause (a) or (c) of sub-section (1) of section 31 to restore the land to its condition existing before the said development took place;

(b) in cases specified in clause (b) or (d) of sub-section (1) of section 31 to secure compliance with the conditions or with the permission as modified:

Provided that where the notice requires the discontinuance of any use of land, the Authority shall serve a notice on the occupier also.

(2) In particular, such notice may, for purposes of sub-section (1), require-

(i) the demolition or alteration of any building or works;

(ii) the carrying out on land of any building or other operations; or

(iii) the discontinuance of any use of land.

(3) Any person aggrieved by such notice may, within the period specified in the notice and in the manner determined by regulations, apply for permission under section 17 for retention on the land, of any building or works or for the continuance of any use of the land, to which the notice relates and pending the final determination or withdrawal of the application, the mere notice itself shall not affect the retention of buildings or works or the continuance of such use.

(4) The foregoing provisions of this Chapter shall, so far as may be applicable, apply to an application made under sub-section (3).

(5) If the permission applied for is granted, the notice shall stand withdrawn; but if the permission applied for is not granted, the notice shall stand or if such permission is granted for the retention only of some buildings or works or for the continuance of use of only a part of the land, the notice shall stand withdrawn as respects such buildings or works or such part of the land, but shall stand as respects other buildings or works or other parts of the land, as the case may be, and thereupon the owner shall be required to take steps specified in the notice under sub-section (1) as respects such other buildings, works or part of the land.

(6) If within the period specified in the notice or within the same period after the disposal of the application under sub-section (4), the notice or so much of it as stands in not complied with, the Authority may-

(a) prosecute the owner for not complying with the notice and where the notice requires the discontinuance of any use of land, any other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice; and

(b) where the notice requires the demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations, itself cause the restoration of the land to its condition before the development took place and secure compliance with the conditions of the permission or with the permission as modified by taking such steps as the Authority may consider necessary including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operation and recover the amount of any expenses incurred by it in this behalf from the owner as arrears of land revenue.

(7) Any person prosecuted under clause (a) of sub-section (6) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

33. Power to stop unauthorised development.- (1) Where any development of land as indicated in sub-section (1) of section 31 is being carried out but has not been completed, the Authority may serve on the owner and the person carrying out the development, a notice requiring the development of land to be discontinued from the time of the service of the notice, and thereupon, the provisions of sub-sections (3),(4),(5) and (6) of section 32 shall, so far as may be applicable, apply in relation to such notice, as they apply in relation to notice under section 32.

(2) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and when the non compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non compliance has continued or continues.

(3) Notwithstanding anything contained in this Chapter, where any person continues to carry out unauthorised development after receiving a notice under sub-section (1), the

Authority or any officer authorised by it in this behalf, shall, in addition to any prosecution or other proceedings or action that may be initiated under this Act, have the power to require any Police Officer to remove the person by whom the erection of the building has been continued and all his assistants and workmen from the place of the unauthorised development within such time as may be specified in the requisition and such Police Officer shall comply with the requisition accordingly. In addition to such removal of persons the Authority may also confiscate such construction materials, tools, etc. which such person was using for unauthorised development.

(4) After a requisition order under sub-section (3) has been complied with, any person or his assistants and workmen subsequently continuing unauthorised development shall, on conviction, be punishable under section 69 of this Act, in addition to the action under sub-section (3).

(5) No compensation shall be claimed by any person for any damage which he may sustain in consequence of the discontinuation of the unauthorised development under this Act.

34. Composition of unauthorised development.- Notwithstanding anything herein before contained in this Chapter, where any person has carried out any development of a permanent nature or has changed the use of land-

(a) without permission required under this Act, or

(b) which is not in accordance with any permission granted or is in contravention of any conditions subject to which any permission has been granted, or

(c) in contravention of any permission granted or duly modified, such development or change of use of land may be compounded by the Authority on such terms and on payment of such fees and charges, as may be prescribed by the State Government from time to time.

35. Removal or discontinuance of unauthorised temporary development summarily.- (1) Notwithstanding anything herein before contained in this Chapter, where any person has carried out any development of a temporary nature unauthorisedly as indicated in sub-section (1) of section 31, the Authority may, by an order in writing, direct that person to remove any structure or work erected or discontinue the use of land made, unauthorisedly as aforesaid within fifteen days of the receipt of the order and thereafter, if the person does not comply with the order within the said period, the Authority or any officer authorised by it in this behalf may get such work summarily removed or get such use summarily discontinued without any notice as directed in the order and any development unauthorisedly made again shall similarly be summarily removed or discontinued without making any order as aforesaid:

Provided that standing crops shall not be summarily removed and reasonable period not exceeding six months shall be allowed to the person concerned by the Authority for the crop to be cut and gathered.

(2) The decision of the Authority on the question of what is development of a temporary nature shall be final.

36. Power to seal unauthorised Development.- (1) The Authority may, at any time before or after making an order for the removal or discontinuance of any development under

section 32 or section 33 or section 35, make an order directing the sealing of such development in the prescribed manner, for the purpose of carrying out the provisions of this Act, or for preventing any dispute as to the nature and extent of such Development.

(2) Where any development has been sealed, the Authority or the officer authorised by it in this behalf, with prior permission of the State Government or the officer authorised by it in this behalf, may, for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(3) No person shall remove such seal except by,-

(a) an order passed under sub-section (2); or

(b) an order of the Tribunal.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (3) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees.

37. Power to require removal of authorised development or use.- (1) If it appears to the Authority that it is expedient in the interest of proper planning of its areas (including the interest of amenities) having regard to the Plan prepared-

(a) that any use of land should be discontinued; or

(b) that any conditions should be imposed on the continuance thereof; or

(c) that any building or works should be altered or removed, the Authority may, by notice served on the owner,-

(i) require the discontinuance of that use; or

(ii) impose such conditions as may be specified in the notice on the continuance thereof; or

(iii) require such steps as may be specified in the notice to be taken for the alteration or removal of any building or works, as the case may be, within such period, being not less than one month, as may be specified therein, after the service of the notice.

(2) Any person aggrieved by such notice may, within the said period and in the manner prescribed, appeal to the Tribunal.

(3) On receipt of an appeal under sub-section (2), the Tribunal may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the appellant and the Authority, dismiss the appeal or allow the appeal by quashing or varying the notice as it may think fit.

(4) If any person-

(i) who has suffered damage in consequence of the compliance with the notice by the depreciation on any interest in the land to which he is entitled or by being disturbed in his enjoyment of the land or otherwise; or

(ii) who has carried out any works in compliance with the notice claims from the Authority, within the time and in the manner prescribed, compensation in respect of that damage, or of any expenses reasonably incurred by him for complying with the notice, then the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 30 shall apply in relation to such claim as those provisions apply to claims for compensation under those provisions.

38. Sanction for sub-division of plot or layout of private street.- (1) Every person who intends to sub-divide his land or his plot or make or layout a private street on such land or plot on or after the date of the publication of the draft plan under section 23 shall submit

the intended layout plan for such purpose together with such particulars and such fees, as may be determined by regulations or by Government orders, to the Authority for sanction.

(2) The Authority may, within the period specified in the regulations, sanction such plan either without modifications or subject to such modifications or conditions as it considers expedient or may refuse to give sanction, if the Authority is of opinion that such division or laying out of street is not in any way consistent with the proposal of the plan.

(3) No compensation shall be payable for the refusal of a sanction or for the imposition of modifications or conditions in the sanction.

(4) If any person does any work in contravention of sub-section (1), or in contravention of the modifications or conditions given under sub-section (2), or inspite of refusal of sanction under the said sub-section (2), the Authority may direct such person by notice in writing to stop any work in progress and after making an inquiry in the manner determined by regulations remove or pull down any work or restore the land to its original condition.

39. Recovery of expenses incurred.- Any expenses incurred by the Authority under sections 32,33,35,37 and 38 shall be a sum due to the Authority under this Act from the person in default or the owner of the land or plot and shall be recovered as arrears of land revenue.

CHAPTER-VII

Projects and Schemes

40. Making and contents of Projects and Schemes.- (1) Subject to the provisions of this Act or any other law for the time being in force, the Authority for the purpose of implementing the proposals in any plan may make such projects and schemes for the integrated development of Kota Region or any part thereof, as may be considered necessary.

(2) A project or scheme may make provisions for all or any of the following matters, namely:-

(i) any of the matters specified in sections 21 and 22;

(ii) acquisition, development, reservation and sale or leasing of land for purpose of public utilities such as road, streets, open spaces, parks, gardens, recreation and playgrounds, hospitals, dispensaries, educational institutions, green belts, dairies, housing development, development of markets, shopping centres, commercial complexes, cultural centres, administrative centres, transport facilities and public purposes of all kinds;

(iii) acquisition, laying out or relaying out of land either vacant or already built upon, rebuilding or relocating areas which have been badly laid out or which have development or degenerated into a slum or kachhi basti, the filling up or reclamation of laying, swampy or unhealthy areas or levelling up of land;

(iv) acquisition and development of areas for commercial, industrial, transportation, agricultural mandies and other similar purposes;

(v) acquisition of land and its development for the purpose of laying out or remodelling of roads and streets pattern, layout of new streets or roads,

construction, diversion, extension, alteration, improvement and closing up of streets and roads and discontinuance of communications;

(vi) reconstruction of plots for the purpose of buildings, roads, drainage inclusive of sewerage, surface or sub-soil drainage, sewerage disposal and other similar amenities;

(vii) the construction, alteration and removal of buildings, bridges and other structures;

(viii) lighting and water supply;

(ix) the preservation of objects of historical or national interest or natural beauty and of buildings actually used for religious purposes;

(x) the reservation of land in any scheme to such extent as may be provided by regulations for the purpose of providing housing accommodation to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes and weaker sections of the society;

(xi) the imposition of conditions and restrictions in regard to the open space to be maintained around buildings, the percentage of building area for a plot, the number, size, height and character of building allowed in specified areas the purpose to which buildings or specified areas may or may not be appropriated, the sub-division of plots, the discontinuance of objectionable uses of lands in any area in specified periods, parking space and loading and unloading space for any building and the sizes or locations of projections advertisement signs and hoardings;

(xii) the suspension, so far as may be necessary, for the proper carrying out of the schemes, of any rule, bye-law, regulation, notification or order made or issued under any law for the time being in force which the Legislature of the State is competent to make:

Provided that any suspension under this clause shall cease to operate in the event of the withdrawal of the scheme or on the coming into force of the final scheme;

(xiii) any other work of a nature such as would bring about environmental improvements which may be taken up by the Authority and all such other matters not inconsistent with the objects of this Act.

(3) The draft project or scheme shall contain the following particulars, namely:-

(a) the area, ownership and tenure of each original plot;

(b) the particulars of land allotted or reserved under clause (ii) of sub-section (2) with a general indications of the uses to which such land is to be put and the terms and conditions subject to which such land is to be put to such uses;

(c) the extent to which it is proposed to alter the boundaries of original plots;

(d) the estimate of the net cost of the scheme to be borne by the appropriate authority;

(e) a full description of all the details of the scheme under sub-section (2) as may be applicable;

(f) the laying out or relaying out of land either vacant or already built upon;

(g) the filling up or reclamation of low lying, swampy or unhealthy areas or levelling up of land; and

(h) any other particulars as may be determined by regulations.

41. Preparation of Projects and Schemes.- (1) The Authority may, by resolution, declare its intention to prepare a project or scheme as provided in section 40 in any development area.

(2) Not later than thirty days from the date of such declaration of intention to make such project or scheme, the Authority shall publish the declaration in the Official Gazette and in such other manner as may be determined by regulations.

(3) Not later than two years from the date of publication of the declaration under sub-section (2) the Authority shall prepare a project or scheme in draft form and publish it in such form and manner as may be determined by regulations together with a notice inviting objections and suggestions from any person with respect to the said draft project or scheme before such date as may be specified therein, such date being not earlier than thirty days from the date of publication of such notice.

(4) The Authority shall consider all the objections and suggestions as may be received within the period specified in the notice under sub-section (3) and shall, after giving a reasonable opportunity to such persons affected thereby as are desirous of being heard, approve the draft project or scheme as published or make such modifications, as it may deem fit.

(5) Immediately after a project or scheme is approved under sub-section (4), with or without modifications, the Authority shall publish in the Official Gazette and in such other manner as may determined by regulations a final project or scheme and specify the date on which it shall come into operation.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the procedure as laid down therein shall not be required to be followed in case the project or scheme is to be carried out on any land vested in the Authority and no demolition of any building or removal of persons living thereat is involved in its execution.

42. Restrictions on use and development of land after declaration of a Scheme.- (1) On or after the date on which a draft scheme is published under section 41, no person shall, within the area included in the project or scheme, institute or change the use of any land or building or carry out any development unless such person has applied for and obtained the necessary permission for doing so from the Authority in accordance with the regulations made in this behalf:

Provided that it shall be lawful for any person to undertake such development within the village abadi limits in accordance with the permission granted by the local panchayat so far as such permission is consistent with such draft scheme or schemes.

(2) The provisions of Chapter-VI shall be applicable *mutatis mutandis* for the project or scheme approved under sub-section (4) of section 41.

43. Lapse of Scheme.- If the Authority fails to implement the project or scheme approved under sub-section (4) of section 41 within a period of five years from the date of publication thereof under sub-section (5) of section 41, it shall, on the expiration of the said period of five years, lapse.

44. Modification or withdrawal of Project or Scheme.- (1) The Authority after making such inquiry as it may deem fit, may, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by notification published in the Official Gazette, declare that the project or scheme approved under sub-section (4) of section 41 is withdrawn and upon such declaration no further proceedings shall be taken in regard to such project or scheme.

(2) If the Authority, after approval of any project or scheme under sub-section (4) of section 41, at any time, considers it necessary to make certain modifications therein, which in its opinion do not affect material alteration in the character of the project and scheme, may make suitable modifications.

45. Saving to any Project or Scheme.- Notwithstanding anything contained in any provision of this Act or in any plan sanctioned under it, the Authority shall be at liberty to make and carry out any project or scheme not covered by the said plan in the opinion of the Authority, it is necessary to do so or expedient in public interest, and the said plan shall be deemed to be modified to that extent.

CHAPTER-VIII

Acquisition and Disposal of Land

46. Power to purchase or lease by agreement.- The Authority may enter into an agreement with any person for the purchase, leasing or exchange by the Authority from such person of any land, which the Authority is authorised to acquire, or any interest in such land.

47. Power of State Government to acquire land.- Where, on any representation from the Authority, it appears to the State Government that in order to enable the Authority to perform any of its functions or to discharge any of its duties or to exercise any of its powers or to carry out any of its projects or schemes or development Programmes, it is necessary that any land in any part of the Kota Region should be acquired, the State Government may acquire the land under and in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013).

48. Possession to be made available to the Authority.- Where any land is taken in possession of the State Government, it shall make that land available to the Authority for the purpose of performing its functions, discharging its duties and exercising its powers.

49. Land to vest in the Authority and its disposal.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102A of that Act in Kota Region, shall, immediately after establishment of the Authority under section 3 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Authority which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act and may dispose of the same by way of allotment, regularisation or auction subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Authority may dispose of any such land-

(a) without undertaking or carrying out any development thereon; or

(b) after undertaking or carrying out such development as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it

may consider expedient to impose for securing development according to plan.

(2) No development of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Authority.

(3) If any land vested in the Authority is required at any time by the Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon or Municipal Board, Keshavraipatan for carrying out its functions or by the State Government for any other purpose, the State Government may, by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Municipal Corporation, Kota North, Municipal Corporation, Kota South, Municipal Board, Kaithoon, Municipal Board, Keshavraipatan or any Department of the State Government, as the case may be, on such terms and conditions as may be deemed fit.

(4) All lands acquired by the Authority, or by the State Government and transferred to the Authority, shall be disposed of by the Authority in the same manner as may be prescribed for land in sub-section (1).

50. Allotment, regularisation etc. of certain lands.- (1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act. 1956 (Act No.15 of 1956) shall be available for allotment or regularisation by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.

(2) The charges realised under sub-section (1) shall be credited to the Consolidated Fund of the State and to the fund of the Authority as may be determined by the State Government.

51. Transfer to be on free hold or lease hold basis.- (1) Every transfer of land under section 49 or section 50 shall be either on free hold basis or on lease hold basis.

(2) Any land sold, allotted, regularised or otherwise transferred on lease hold basis may be converted in free hold basis subject to such terms and conditions, and on payment of such conversion charges, as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this section, "free hold" means tenure in perpetuity with right of inheritance and alienation.

52. Revocation of allotment and cancellation of lease deed.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, if, at any time, before or after the lease deed, executed and registered, in respect of land disposed of under this Chapter either on lease hold basis or on free hold basis, the Authority has reasons to believe that allotment of land has been obtained, and lease deed has been executed, by way of misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, it shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing to show cause why an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land should not be made.

(2) The notice shall-

(a) specify the grounds on which an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are or may be, in occupation of or claim interest in, the land, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under sub-section (1) and any evidence he may produce in support of the same and after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Authority is satisfied that the lease is obtained by misrepresentation of facts or on the basis of false documents or with collusion or in contravention of law, the Authority may, make an order of revocation of allotment and cancellation of the lease deed of the land and also make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the land shall be vacated by all persons who are or may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the land.

53. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or license issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).

CHAPTER-IX

Finance, Budget and Accounts

54. Funds of the Authority.- (1) There shall be a fund for the Authority to be called "the Kota Region Development Fund" (hereinafter referred to as "Fund"), to which shall be credited all moneys received by the Authority, including-

(a) such amount of contribution to be made by the State Government yearly or in such instalments in each year as it may determine in accordance with the schemes included in the State Plan and under appropriation duly made in this behalf, which contribution shall be utilised by the Authority for the development of Kota Region;

(b) such other moneys as may be paid to the Authority by the State Government, Central Government or any other authority or agency by way of grants, loans, advances or otherwise;

(c) income derived from premium on second and subsequent sale of vacant land;

(d) income from levy on vacant land;

(e) all fees, costs and charges received by the Authority under this Act or any other law for the time being in force;

(f) all moneys received by the Authority from the disposal of land, building and other property, movable and immovable and other transactions, including lease money, urban assessment, development charges and other similar charges recovered from plot holders;

(g) all moneys borrowed by the Authority including loans to be raised from the financing institutions;

(h) all moneys received by the Authority by way of rents and profits or in any other manner or from any other source; and

(i) all donations to be received by the Authority.

(2) The Authority may keep in current or deposit account with any Scheduled Bank or any Co-operative or other Bank approved by the State Government in this behalf, such sum of money out of its Fund as may be determined by the Authority and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner as may be determined by regulations.

(3) Such accounts shall be operated upon by the Kota Development Commissioner or by such other officer of the Authority as may be authorised by it by regulations made in this behalf.

55. Loans Fund.- (1) As a part of the Fund, the Authority shall establish in distinct Bank accounts a Loans Fund for the purpose of (a) receiving all moneys borrowed by it including all repayments of loan instalments together with payment of interest made by the borrower on loans, (b) providing all moneys to be made available by the Authority as loans or advances to local authorities and other authorities or persons, (c) repayment of loans raised by the Authority for the purposes of this Act, and (d) expenditure on projects and schemes.

(2) All matters connected with the Loans Fund shall be governed by the regulations made in this behalf.

56. Reserve and other Funds.- (1) The Authority shall make provisions for a reserve fund and may provide for other specially denominated funds, as it deems fit.

(2) The management of the funds referred to in sub-section (1), the sums to be transferred from time to time to the credit thereof, and the application of money comprised therein, shall be determined by the Authority.

57. Application of Funds, etc. .- All property, funds and other assets vesting in the Authority shall be held and applied by it for the purposes and subject to the provisions of this Act.

58. Power of the Authority to borrow.- The Authority may, with the previous approval of the State Government, borrow any money for carrying out the purpose of this Act or for servicing any loan obtained by it, at such rates and on such conditions as the State Government may determine at the time money is borrowed.

59. Power of the Authority to finance Project and Schemes and impose conditions therefor.- The Authority shall be competent to give grants, advances or loans to, or to share expenses with, any local authority or other authority in Kota Region, or any Government Department or any person, for any of the purposes of section 16 and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for such local authority, other authority, Government Department or any person to accept such grants, advances or loans or share in the expenses, subject to such terms and conditions as the Authority may, from time to time, in consultation with such local authority, other authority, Government Department or any person, as the case may be, specify.

60. State guarantee to loans taken or given by the Authority.- The State Government may guarantee repayment of the principal of, and interest on, any loan raised or given by the Authority or transferred to it, for the purposes of this Act, subject to such conditions as the State Government may think fit to impose.

61. Accounts and Audit.- (1) The Authority shall keep accounts in such form and in such manner, as it may, by regulations made in this behalf, determine.

(2) The Accounts of the Authority shall be subject to audit by the Examiner, Local Fund Audit in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. XXVIII of 1954).

(3) The Authority shall pay from the Fund such charges for the audit, as may be prescribed.

62. Budget.- (1) The Director, Finance of the Authority shall prepare, every year, in such form and at such time as may be determined by regulations, an annual budget estimate in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and disbursements of the Authority to the Kota Development Commissioner who shall after making such modifications as he deems fit, submit it to the Authority for approval.

(2) The Kota Development Commissioner shall forward to the State Government copies of the budget approved by the Authority.

63. Annual Report.- The Authority shall prepare after the end of each year (ending on the 31st day of March), a report of its activities during the previous year and submit it to the State Government before the 30th day of September. The State Government shall cause to be laid on the table of the House of the State Legislature such annual report including the statement of accounts.

CHAPTER-X

Powers to Levy Certain Charges

64. Power to levy certain charges.- The Authority shall levy at such rate and from such date as the State Government may direct by notification in the Official Gazette, and in such manner as may be prescribed by the State Government in this behalf, the following charges, namely:-

(a) a premium on second or subsequent sale of vacant land in Kota Region;

(b) an annual levy on vacant land in Kota Region; and

(c) conversion charges for conversion of the use of land from residential purpose to commercial or any other purpose.

Explanation.- The expression "vacant land" used in this Chapter shall mean all land allotted or sold by the State Government, the Authority, or any local authority on lease hold

basis or land owned or held otherwise and on which no building has been constructed or if any building has been constructed, the covered area is less than 1/5th of the total area of the land.

65. Urban assessment (ground rent) to be credited to the fund of the Authority.- (1) The Authority shall recover the urban assessment or ground rent from the plot holders on the land or plot sold on lease hold basis by the State Government or the Authority or any local authority at such rates, and in such manner as may be prescribed.

(2) The urban assessment or ground rent recovered under sub-section (1) shall be deposited in the Fund of the Authority.

66. Authority may charge fee for certain licences or permission.- When any licence is granted by the Authority under this Act or when any permission is given by it for any of the purposes of this Act, the Authority may charge a fee for such licence or permission as may be determined by regulations.

CHAPTER-XI

Prosecutions, Suits and Powers of Police

67. Penalty for unauthorised obstruction.- Whoever-

(i) obstructs the entry of any person empowered under section 83 to enter into or upon any land or building in any part of the Kota Region for the purposes mentioned in that section; or

(ii) molests such persons as aforesaid after such entry; or

(iii) resists, obstructs or molests any member or employee of the Authority or any employee of the Government in the exercise of any power conferred on, or in the discharge of any duty imposed upon, or in the performance of any function entrusted to, the Authority or the Government or such member, or employee of the Authority or any employee of the Government; or

(iv) obstructs or molests any person with whom the Authority or the Government or an officer of the Government has entered into a contract or obstructs or molests a servant of the Authority, who may be lawfully engaged in doing anything, in connection with the discharge of the duties or performances of the functions of the Authority or of the Government or of an officer appointed by it under this Act,

shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to six months or with both.

68. Penalty for removing fence, etc. set up for the purpose of carrying out any work.- If any person without lawful authority-

(a) removes any fence, or any timber used for propping or supporting any building, wall or other things, or extinguishes any light set up at any place where the surface of street or other ground has been opened or broken up by the Authority for the purpose of carrying out any work authorised under this Act; or

(b) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of any work authorised under this Act; or

(c) infringes any order given or removes any bar, chain or post fixed by the Authority for the purpose of closing any street to traffic, during the course of execution of any work under this Act,

he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

69. Penalty for disobedience of requisition and furnishing false information, etc. .- Whoever-

(a) wilfully or without any reasonable excuse disobeys any requisition or other lawful order or direction issued under or in pursuance of any of the provisions of this Act; or

(b) being required under any of the provisions of this Act to make any return or to furnish any information, makes a false return or furnishes false information,

shall be punishable with fine which may extend to three thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three months or with both.

70. Encroachment or obstruction upon public land.- (1) Whoever makes any encroachment in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Authority or not, except steps over drain in any public street, shall on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to two years and with fine which may extend to twenty thousand rupees:

Provided that the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month.

(2) Whoever makes any obstruction in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Authority or not, except steps over drain in any public street, shall on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(3) The Authority or any officer authorised by it in this behalf shall have power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of such removal shall be paid by the person who had caused the said obstruction or encroachment.

(4) Whoever not being duly authorised in that behalf removes earth, sand or other material from any land or space as aforesaid shall be punished on conviction with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the Authority or the officer authorised by it in this behalf shall, in addition to the action taken as provided in this section, also have power to seize or attach any property found on the land or space referred to in this section or, as the case may be, attached to such land or space or permanently fastened to anything attached to such land or space.

(6) Where any property is seized or attached by an officer authorised by the Authority, he shall immediately make a report of such seizure or attachment to the Authority.

(7) The Authority may make such orders as it thinks fit for the proper custody of the property seized or attached, pending the conclusion of confiscation proceedings, and if the property is subject to speedy and natural decay, or it is otherwise expedient so to do, the Authority may order it to be sold or otherwise disposed of.

(8) Where any property is sold as aforesaid, the sale proceeds thereof after deduction of the expenses of any such sale or other incidental expenses relating thereto, shall,-

(a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Authority; or

(b) where an order passed in appeal so requires,

be paid to the owner thereof or the person from whom it is seized.

(9) Where any property is seized or attached under sub-section (5), the Authority may order confiscation of such property.

(10) No order for confiscation of a property shall be made under sub-section (9), unless the owner of such property or the person from whom it is seized or attached is given-

(a) a notice in writing, informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the property;

(b) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(11) The order of any confiscation under this section shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.

(12) Whenever any property is seized or attached pending confiscation under this section, the Authority or the Tribunal constituted under section 80 of this Act shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any court, other tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make orders with regard to the possession, delivery, disposal, release or distribution of such property.

(13) Where any person is prosecuted of an offence under sub-section (1) or sub-section (2), the burden of proving that he has not committed the offence shall be on him.

(14) Whoever, being an employee of the Authority, specifically entrusted with the duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both:

Provided that no court shall take cognizance against such employee for the offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the Authority.

(15) No investigation of an offence under this section shall be made by an officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police.

71. General provision for punishment of offences.- Whoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rule or regulations made or does anything against any plan, project or scheme sanctioned thereunder shall, if no other penalty is provided for such contravention, be punishable-

(a) for the first offence, with fine which may extend to one thousand rupees; and

(b) for a second or any subsequent offence with fine which shall not be less than two hundred fifty rupees and not more than five thousand rupees.

72. Offence by companies.- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, every person, who at the time the offence was committed was incharge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the

company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

73. Cognizance of offences.- No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rule or regulation or order made thereunder except upon a complaint in writing of the facts constituting such offence made by the Authority or by a person expressly authorised in this behalf by the Authority:

Provided that any person, whose right to enjoyment of his own property is adversely affected by any unauthorised development as indicated in sub-section (1) of section 31, may also file a complaint in the like manner against such person or persons who may have undertaken the said unauthorised development:

Provided further that the Authority shall also be given due notice of such proceedings and if the Authority removes the cause for action within a reasonable period, the proceedings in the Court shall abate, without prejudice to any other action or proceedings that the Authority has initiated or may initiate thereafter.

74. Fine when realised to be paid to the Authority.- All fines realised in connection with prosecution under this Act shall be paid to the Authority.

75. Power of the Authority as to legal matters.- The Authority may,-

(a) institute, defend or withdraw from any legal proceeding;

(b) compound any offence against this Act; and

(c) admit, compromise or withdraw any claim made in any legal proceeding or otherwise:

Provided that no withdrawal from prosecution for an offence under this Act shall be made except with the permission of the court.

76. Immunity to Authority.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintainable against the Authority or any person acting under the direction of the Authority or the Chairman, member or any officer or servant of the Authority, Executive Committee, other committees, any Functional Board or any body thereof in respect of anything lawfully and in good faith and with due care and attention done under this Act.

77. Notice of suit against Authority.- (1) No suit shall be instituted against the Authority or any member thereof or any of its officers or other employees or any person acting under the directions of the Authority or any member or any officer or other employee

of the Executive Committee, any Functional Board, Tribunal, any committee or any body thereof, in respect of any act done or purporting to have been done in pursuance of this Act or any order, rule or regulation made thereunder till the expiration of two months from the date on which notice in writing has been left at the office or place of abode of the persons to be sued and unless such notice states explicitly the cause of action, the nature of relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of residence of the intending plaintiff and unless the plaint contains a statement that such notice has been left or delivered.

(2) No suit such as is described in sub-section (1) shall, unless it is a suit for recovery of immovable property or for a declaration of title thereto, be instituted after the expiry of one year from the date on which the cause of action arises.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be deemed to apply to a suit in which the only relief claimed is an injunction of which the object would be defeated by giving of the notice or the postponement of the institution of the suit.

78. Mode of proof of record.- A copy of any receipt, application, plan, notice, order, entry in a register of other document in the possession of the Authority shall, if duly certified by the legal keeper thereof, or the Kota Development Commissioner or any person authorised by him in this behalf, be received as *prima facie* evidence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matter.

79. Restriction on the summoning of servants of Authority to produce documents.- No member or officer or servant of the Authority shall in any legal proceeding to which the Authority is not a party be required to produce any register or document the contents of which can be proved under the preceding section by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matter and transaction recorded therein unless by order of the court made for special cause.

CHAPTER-XII

Miscellaneous

80. Constitution of Tribunal.- (1)The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Tribunal for the purposes of this Act.

(2) The Tribunal shall consist of one person who shall be an officer of the State Government and shall be paid such salary and allowances as may be determined by the State Government.

(3) The State Government may, to assist the Tribunal, direct the Authority to appoint such number of employees and of such cadre as may be deemed necessary.

(4) The expenses of the Tribunal shall be borne by the Authority.

(5) The procedure to be followed by the Tribunal in deciding the appeals or disputes referred to it under this Act shall be such as may be prescribed.

(6) The Tribunal shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of hearing and deciding of an appeal or any dispute referred to it.

(7) Except as otherwise provided, any dispute arising out of any provision of this Act may be referred to the Tribunal by the Authority. The decision of the Tribunal shall be final and binding on all the parties thereto.

(8) Except as otherwise provided,-

(a) any person aggrieved by an order or notice of the Authority may file an appeal in the Tribunal within thirty days of the communication of such order or notice to him; and

(b) any person aggrieved by any threatened act or injury from the Authority affecting his rights may refer the dispute to the Tribunal within thirty days of the communication or knowledge of such threatened act or injury,

and the decision of the Tribunal shall be final.

81. Constitution of Settlement Committee.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Settlement Committee consisting of a Chairman and such other members, as it may deem fit, to resolve the disputes between the Authority and other persons and such Committee shall undertake to resolve the dispute whenever so requested by the concerned person.

(2) The Settlement Committee shall have such powers and follow such procedure as may be prescribed by the State Government.

(3) Any Committee already constituted for this purpose shall be deemed to have been constituted under this Act.

(4) The decision given by such Committee shall be binding on the Authority.

82. Recovery of moneys due to the Authority as arrears of land revenue.- Where any sum (not being rent payable in respect of any premises of the Authority) payable to the Authority, whether under any agreement, express or implied or otherwise, howsoever, is not paid on or before the due date-

(a) and the claim is not disputed, the Kota Development Commissioner or any officer authorised by him in this behalf shall send to the District Collector a certificate under his hand indicating therein the sum which is due to the Authority or is claimed by the Authority, as the case may be, and thereupon, the District Collector shall recover the sum due to be claimed as arrears of land revenue;

(b) and the claim is disputed, it shall be referred to the Tribunal which shall, after making such inquiry as it thinks fit and after giving to the person by whom the sum is alleged to be payable a reasonable opportunity of being heard, decide the question and communicate forthwith its decision to the Authority. Any person aggrieved by the decision of the Tribunal may, within thirty days from the date of such decision, appeal to the Board of Revenue. The decision of the Board of Revenue shall be final and shall not be called in question in any Court. Thereupon the Collector shall recover the sum determined to be due as arrears of land revenue.

83. Power of entry.- (1) The Chairman and members of Authority, the Executive Committee, any other Committee, any Functional Board or any body thereof, the Kota Development Commissioner and officers and servants of the Authority authorised by him in this behalf with or without assistants or workmen, enter into or upon any land or building for the purposes of -

(a) making any enquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building;

(b) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;

(c) digging or boring into the sub-soil;

(d) setting out boundaries and intended lines of works;

(e) making such lines, boundaries and lines by placing mark and cutting trenches;

(f) ascertaining whether any land is being or has been developed in contravention of any plan or without the permission or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted under this Act; or

(g) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act:

Provided that -

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice at least of twenty-four hours to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building;

(ii) sufficient notice shall in every instance be given, even when any premises may otherwise be entered without notice, to enable the inmates of any apartment appropriated to females to remove to some part of the premises where their privacy need not be disturbed; and

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purposes for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

(2) It shall be lawful for any person authorised under sub-section (1) to make an entry for the purpose of inspection or search to open or cause to be opened a door, gate or other barrier,-

(a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search; and

(b) if the owner or occupier is absent or, being present, refuses to open such door, gate or barrier.

84. Service of notice under this Act.- (1) All documents which expression shall include, notice and orders required by this Act or any rule or regulation made thereunder to be served upon any person, shall, save as otherwise provided in this Act, or rule or regulation made thereunder, be deemed to be duly served,-

(a) where such document is to be served on a department, local authority, railway, company, society or any other body of persons whether incorporated or not, if the document is addressed to the head of the department, General Manager of the Railway, Secretary or principal officer of the local authority, company, society or any such other body at its principal, branch, local or registered office, as the case may be, and is either-

(i) sent by registered post to such office; or

(ii) delivered at such office; or

(b) where the person to be served is a partner in a firm, if the document is addressed to the partnership firm at its principal place of business, identifying it by the name or style under which its business is carried on and is either-

(i) sent by registered post; or

(ii) delivered at the said place of business; or

(c) in any other case, if such document is addressed to the person to be served and -

(i) is given or tendered to him, or

(ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business, or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or

(iii) is sent by registered post to the person.

(2) Any document which is required or authorised to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed "the owner" or "the occupier", as the case may be, of that land or building (naming or describing that land or building), without further name or description and shall be deemed to be duly served,-

(a) if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (c) of sub-section (1), or

(b) if the document so addressed or a copy thereof so addressed is delivered to some person on the land or building.

(3) Where a document is served on a partnership firm in accordance with this section, the document shall be deemed to be served on each partner.

(4) For the purpose of enabling any document to be served on the owner of any property, the Kota Development Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf, may, by notice in writing, require the occupier, if any, of the property to state the name and address of the owner thereof.

(5) Where an attempt to serve a document on any person in the manner indicated in the foregoing provisions of this section has failed it shall be deemed to be an effective service of the document on such person if the notice of the document to be served is published in some prominent daily local Hindi newspaper.

85. Officers and other employees of the Authority to be public servants.- Every officer and other employees of the Authority and every member of the Authority, Executive Committee, other committees, Functional Board and other bodies constituted under this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

86. Lump sum contribution by the Authority in lieu of taxes levied by local authorities.- (1) Subject to rules, if any, that may be made under this Act, and regard being had to the fact that the Authority itself provides in the areas within the jurisdiction of any local authority all or any of the amenities which the local authority provides, then the Authority shall not be liable to pay the taxes including property taxes, if any, but it shall be lawful for the local authority to arrive at an agreement with the Authority, with the prior sanction of the State Government, to receive a lump sum contribution from the Authority in lieu of all or any of the taxes levied or services rendered by the local authority.

(2) Where no such agreement as is referred to in sub-section (1) can be reached, the matter may be referred to the State Government and the State Government may, after giving to the local authority and the Authority a reasonable opportunity of being heard, decide the

amount of such contribution. The decision of the State Government shall be binding on both parties.

87. Deduction from salary or wages to meet claims of the Authority in certain cases.- (1) Any person dealing with the Authority may execute an agreement in favour of such Authority providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer, such amount as may be specified in the agreement and to pay to the Authority the amount so deducted in satisfaction of any debt or demand of the Authority against such person. Such an agreement shall be accompanied with a consent in writing of the employer.

(2) On the execution of such agreement, the employer shall, if so required by the authority, by requisition in writing and so long as the Authority does not intimate that the whole of such debt or demand has been paid, make the deduction in accordance with the agreement and pay the amount so deducted to the Authority as if it were a part of the salary or wages payable by the employer as required under the Payment of Wages Act, 1936 (Central Act No. 4 of 1936) on the day on which the employer makes payment.

(3) If, after the receipt of a requisition made under the foregoing sub-section, the employer at any time fails to deduct the amount specified in the requisition from the salary or wages payable to such person or makes a default in remitting the amount deducted to the Authority, the employer shall be personally liable for the payment thereof and the amount shall be recoverable on behalf of the Authority, from the employer as an arrear of land revenue.

88. Control by State Government.- (1) The Authority shall exercise its powers and perform its duties under this Act in accordance with the policy framed and the guidelines laid down, from time to time, by the State Government for development of the areas in the Kota Region.

(2) The Authority shall be bound to comply with such directions which may be issued, from time to time, by the State Government for efficient administration of this Act.

(3) If, in connection with the exercise of the powers and the performance of the duties of the Authority under this Act, any dispute arises between the Authority and the State Government, the matter shall be decided by the State Government and its decision shall be final.

89. Power to transfer.- Any officer or employee of the Authority may, in accordance with the rules made under section 95, be transferred by the State Government to the Rajasthan Housing Board or any Urban Improvement Trust or any Municipality on post carrying pay scale not lower than the pay scale of the officer or employee to be transferred:

Provided that lien of the officer or employee so transferred shall remain in the Authority and he shall be considered for further promotion whenever a consideration for promotion to the higher post in his cadre is made in the Authority.

90. Power of Authority to call for returns, reports, etc. .- The Authority shall have power to call for any return, statement of accounts, reports, statistics or other information from any local authority or other authority in the Kota Region, or from any person which is required by it in the exercise of its powers and the performance of its duties under this Act or under any other law for the time being in force, and such authority or person shall be bound to furnish such information.

91. Act to override other laws.- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any other law for the time being in force.

92. Delegation of Powers.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate to any officer subordinate to it all or any powers conferred on it by or under this Act, other than the power to make rules.

(2) The Authority may, by a resolution, delegate any of its powers and functions exercisable by it under this Act or regulations thereunder, except the power to prepare any Master Development Plan, Zonal Development Plan or make regulations, to any officer of the Government, any local authority or other authority or body functioning in Kota Region or the Executive Committee, or any Functional Board or Kota Development Commissioner or any officer subordinate to it, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the resolution:

Provided that the delegation of powers and functions under this sub-section to any officer of the Government, local authority or other authority or body shall be made with the consent of the State Government or local authority or other authority or body, as the case may be.

93. Power to call for records.- (1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorised in this behalf by the State Government may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by the Authority or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorised in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorised as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorised as aforesaid shall be final and binding on the Authority and on its officers and committees.

94. Local Authorities to continue to perform duties.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, all local authorities in Kota Region shall continue to exercise their powers, perform their functions and discharge their duties which may not be inconsistent with any plan, project or scheme of the Authority.

(2) In the event of failure on the part of any local authority to carry out any plan, scheme, project or any direction given under this Act, the Authority, if it deems fit, for the development of Kota Region, with the sanction of the State Government and by an order published in the Official Gazette, may assume any of the powers, functions and duties performed by any local authority from such date as may be specified in the order and in that case, such local authority shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, cease to exercise such powers, functions and duties from the said date.

95. Power to make rules.– (1) The State Government may from time to time make rules for the purpose of carrying out generally the provisions of this Act and regulating any

particular matter thereunder which requires to be prescribed or in respect of which rules are required to be or may be made.

(2) All rules made by the State Government under this Act shall be published in the Official Gazette.

(3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

96. Power to make regulations.- (1) The Authority may, from time to time, make regulations for all or any of the matters to be provided under this Act by regulations and generally for all other matters for which provision is, in the opinion of the Authority, necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions and duties under this Act.

(2) No regulation made by the Authority under sub-section (1) shall take effect unless it is published in the Official Gazette.

(3) The State Government may, at any time by notification in the Official Gazette, repeal wholly or in part or modify any regulation made by the Authority provided that, before taking any action under this sub-section, the State Government shall communicate to the Authority the grounds on which it proposes to do so, fix a reasonable period for the Authority to show cause against the proposal and consider the explanation and objections, if any, of the Authority.

(4) The repeal or modification of any regulation shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, if no date is therein specified, and shall not affect anything done or omitted or suffered before such date.

97. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion requires, but not later than two years from the date on which the Authority is established, by order, do anything, not inconsistent with the objects and purposes of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty.

98. Dissolution of the Authority.- (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Authority was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Authority in the opinion of the State Government is unnecessary, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification and thereupon the Authority shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date-

(a) all assets, properties, funds and dues which are vested in, or realisable by, the Authority shall vest in, or be realisable by, the State Government;

(b) all lands vesting in, belonging to, or placed at the disposal of, the Authority shall revert to the State Government;

(c) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the State Government; and

(d) for the purpose of carrying out any development which has not been fully carried out by the Authority and for the purpose of realising assets, properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Authority shall be discharged by the State Government.

99. Bar of jurisdiction of civil court.- (1) Save as otherwise provided in this Act, no civil court shall take cognizance of any matter which is required to be or may be decided by the Authority, Executive Committee, Kota Development Commissioner, Functional Board, any body thereof, the Tribunal or the State Government, under this Act.

(2) Save as otherwise expressly provided in this Act, an order passed or a direction given by the State Government to the Authority or an order passed or notice issued by the Authority under this Act shall be final and shall not be questioned in any suit or other legal proceeding.

100. Dissolution of the Urban Improvement Trust, Kota and savings.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter referred to as the "said Act" and the rules, regulations and bye-laws made thereunder, as from the date of the constitution of the Authority for the Kota Region under this Act, hereinafter referred to as such constitution,-

(a) the urban area of Kota shall cease to vest in the Urban Improvement Trust, Kota (hereinafter referred to as the Trust), and the Trust shall cease to exercise jurisdiction or the function in that area;

(b) the Trust functioning in the area covered by the urban area of Kota, immediately before such constitution, shall stand dissolved;

(c) all land, buildings and other immovable properties (together with all interest of whatever nature and kind therein) situated in urban area of Kota and vested in the Trust for the purpose of carrying out or undertaking development or improvement in such area, immediately before such constitution, shall pass on to and vest in the Authority so constituted;

(d) all stores, articles or other movable properties belonging to the Trust held by it for the purpose of carrying out or undertaking development or improvement in such area, immediately before such constitution, shall pass on to and vest in the Authority so established;

(e) all assessments, valuations, measurements or divisions made by the Trust immediately before such constitution in or in connection with such area, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue and be deemed to have been made under the provisions of this Act unless and until they are superseded by any assessment, valuation, measurement or division made by the Authority;

(f) all plans, schemes for the development or improvement of any area declared as the urban area of Kota and prepared under the said Act, shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been

prepared under this Act and any such plan or scheme which was in force immediately before the commencement of this Act, shall continue to be in force so long it is not otherwise dealt with under this Act;

(g) all records and papers belonging to the Trust and relating to the development or improvement of such area, including the plans and schemes and papers relating thereto, as are referred to in clause (f) shall vest in and stand transferred to the Authority;

(h) every officer or servant serving under the Trust immediately before such constitution shall, on or from such constitution, be deemed to have been transferred temporarily for a period of six months to the Authority within which period until otherwise extended by it, the Authority shall, after their screening in such manner as may be determined by regulations, absorb them in the service of the Authority on such posts and with such designations, as the Authority may determine. The Officer and servants so absorbed in the service of the Authority may hold office by the same tenure, at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as they would have held if the Authority had not been constituted, and shall continue to so hold unless and until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Authority. Such of the officers and servants who are not absorbed by the Authority under its service shall be deemed to be surplus officers and servants of the Trust and shall be absorbed by the State Government in the service of any local authority or other authority as the State Government may deem fit, on such posts, with such designations on such salary and allowances and on such terms and conditions of service as may be prescribed but they shall not be absorbed on posts on terms, which are less advantageous to them in the matter of salary and allowances:

Provided that-

(i) any service rendered by any officer or servant so absorbed before such constitution shall be deemed to be service rendered under the Authority; and

(ii) the surplus officers and servants not so absorbed shall be continued in the service of the Authority and their salary and allowances shall be paid out of the Funds of the Authority until they are absorbed by the State Government, as aforesaid;

(i) anything done or any action taken including any appointment, delegation, order, scheme, rule, bye-laws, regulation or form made or notification issued or permission granted under the said Act, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, shall continue in force and be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act unless and until it is superseded by anything done or any action taken under the said provisions;

(j) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into, all allotments and transfers of land made and all matters and things engaged to be done in or as respects the area covered by the urban area of Kota, by, with or for the Trust for such area shall, immediately before such constitution, be

deemed to have been incurred, entered into, made or engaged to be done by, with or for the Authority;

(k) notwithstanding anything contained in this Act, the validity of any declaration of application, publication, notification, appointment, order, allotment of land, proposal, award, proceeding, consultation, inquiry, certification, compromise, sanction, agreement, notice, approval, decision, dispute, withdrawal of any legal proceeding, final scheme or Act made, held, issued entered into, given, taken, decided, drawn up, or done, before such constitution, by or on behalf of the Trust, shall be deemed as if they were made, held, issued, entered into, given, taken, decided, drawn up or done under this Act by or on behalf of the Authority;

(l) all compromises, defence or withdrawals, made in or from any legal proceeding, any offence compounded or any claim admitted, by or on behalf of the Trust before such Constitution shall be deemed to have made by or on behalf of the Authority and may be enforced by or against the Authority as effectively as they could be enforced by or against the Trust before such constitution;

(m) all suits, prosecutions and other legal proceedings instituted by, for, or against the Trust may be continued or instituted by, for, or against the Authority;

(n) all properties movable and immovable and all rights, title and interest in any property vested in the Trust shall vest in the Authority and all such properties in possession of the Trust shall be deemed to be in possession of the Authority;

(o) all rents, fees and other sums of money due to the Trust shall be deemed to be due to the Authority; and

(p) all sums or charges which the Trust was, immediately before such constitution, entitled to levy, assess and recover for or in respect of development or improvement of any land in the urban area of Kota, may continue to be levied, assessed and recovered by the Authority under the corresponding provisions of this Act.

(2) Where any acquisition proceeding have been started under the provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or under any other law for the time being in force for any of the purpose of the Trust, shall be continued and completed under and in accordance with the provisions of such laws as aforesaid.

SCHEDULE

LIST OF CITY, TOWNS AND VILLAGES FALLING IN KOTA REGION

City		
1.	Kota City	कोटा शहर
Town		
2.	Kaithoon (District Kota)	कैथून (जिला कोटा)
3.	Keshavraipatan (District Bundi)	केशवरायपाटन(जिला बून्दी)
Villages Tehsil Ladpura (Kota)		
4.	Nandana Urf Bargaon	नांदना उर्फ बड़गांव
5.	Ramnagar	रामनगर
6.	Nanta	नान्ता
7.	Kunari	कुन्हाड़ी
8.	Sakatpura	सकतपुरा
9.	Bhadana	भदाना
10.	Ganeshpura	गणेशपुरा
11.	Dadwara	डडवाड़ा
12.	Kherli Prohitan	खेड़ली पुरोहित
13.	Khand Gaori	खण्ड गांवड़ी
14.	Dostpura	दोस्तपुरा
15.	Ladpura	लाड़पुरा
16.	Rampura	रामपुरा
17.	Kishorepura	किशोरपुरा
18.	Kotri	कोटड़ी
19.	Gumanpura	गुमानपुरा
20.	Balakund	बालाकुण्ड़
21.	Sheopura	श्योपुरा
22.	Keshopura	केशोपुरा
23.	Ganespura	गणेशपुरा
24.	Rangbari	रंगबाड़ी
25.	Anandpura Urf Foota Talab	आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब
26.	Sogaria	सोगरिया
27.	Rang TalabUrf Kala Talab	रंग तालाब उर्फ काला तालाब
28.	Arjunpura	अर्जुनपुरा
29.	Borkhera	बोरखेड़ा
30.	Manpura	मानपुरा

31.	Deoli arab	देवली अरब
32.	Bhorkhandi	बोरखण्डी
33.	Naya Nohra	नया नोहरा
34.	Tekhra	तेखड़ा
35.	Hanuwant Khera	हनुवतखेड़ा
36.	Ramchander Pura	रामचन्द्र पुरा
37.	Rajnagar	राजनगर
38.	Raipura	रायपुरा
39.	Chhatarpura	छत्रपुरा
40.	Kansuwa	कन्सुआ
41.	Anandpura	आनन्दपुरा
42.	Lakhawa	लखावा
43.	Hathi khera	हाथीखेड़ा
44.	Dhakarkheri	धाकड़खेड़ी
45.	Ummedganj	उम्मेदगंज
46.	Khera Jagpura	खेड़ा जगपुरा
47.	Sukhpura	सुखपुरा
48.	Daulatganj Urf Nayagaon	दौलतगंज उर्फ नया गांव
49.	Balita	बालीता
50.	Rojhari	रोझड़ी
51.	Nayakhera	नयाखेड़ा
52.	Girdharpura	गिरधरपुरा
53.	Kanwarpura	कंवरपुरा
54.	Roteda	रोटेदा
55.	Chandresal	चन्द्रेसल
56.	Deslana	दसलाना
57.	Mandania	मण्डानिया
58.	Anwali	आंवली
59.	Jhalipura	झालीपुरा
60.	Rathkankra	रथकांकरा
61.	Banda	बन्दा
62.	Dharampura	धर्मपुरा
63.	Ranpur	रानपुर
64.	Chakranpur	चकरानपुरा

65.	Kothla Talai	कोथला तलाई
66.	Ummedpura	उम्मेदपुरा
67.	Bhimpura	भीमपुरा
68.	Shambhupura	शम्भुपुरा
69.	DevnagarUrf Bortalai	देवनगर उर्फ बोरतलाई
70.	Gordhanpura	गोरधनपुरा
71.	Gangaycha	गंगायचा
72.	Gaonri	गांवड़ी
73.	Arnya	अरन्या
74.	Rasoolpur	रसूलपुर
75.	Khera	खेड़ा
76.	Bhojpura	भोजपुरा
77.	Chareenda	चड़ीन्दा
78.	Chhatrapura	छत्रपुरा
79.	Motipura	मोतीपुरा
80.	Nagpura	नगपुरा
81.	Prahladpura	प्रहलादपुरा
82.	Tather	ताथेड़
83.	Brijeshpura	बृजेशपुरा
84.	Kherli Padya	खेड़ली पाण्डया
85.	Chainpura	चैनपुरा
86.	Rangpur	रंगपुर
87.	Kishanpura Takiya	किशनपुरा तकिया
88.	Deoli Machhiyan	देवली मच्छियान
89.	Notana	नोटाना
90.	Ramrajpura	रामराजपुरा
91.	Pipalda Shekhan	पीपल्दा शेखान
92.	Ramkherli	राम खेड़ली
93.	Godlyaheri	गोदल्याहेड़ी
94.	Morpa	मोरपा
95.	Ramnagar	रामनगर
96.	Jampura	जामपुरा
97.	Abhaipur	अभयपुर
98.	Ladpura Kaithoon	लाड़पुरा कैथून

99.	Jakhora	जाखोड़ा
100.	Kishanpura Kaithoon	किशनपुरा कैथून
101.	Rooparel	रूपारेल
102.	Vijaipura	विजयपुरा
103.	Pachankui	पाचन कुई
104.	Kewal Nagar	केवल नगर
105.	Roopppura	रूपपुरा
106.	Baori Khera	बावड़ी खेड़ा
107.	Alniya	आलनिया
108.	Bheenlot	भीलोत
109.	Phata Khera	फाटा खेड़ा
110.	Baniyani	बनियानी
111.	Mandana	मण्डाना
112.	Mukandpura	मुकन्दपुरा
113.	Khanpuriya	खानपुरिया
114.	Kasar	कसार
115.	Chorda	चोरडा
116.	Chandresal	चन्द्रेसल
117.	Barodiya	बडोदिया
118.	Chippan Heri	छीपनहेड़ी
119.	Shankarpura	शंकरपुरा
120.	Seemalheri	सीमलहेडी़
121.	Peepal heri	पीपलहेडी़
122.	Charan heri	चारणहेडी़
123.	Parliya	परल्या
124.	Dippura	दीपपुरा
125.	Kital hera	कीतलहेडा़
126.	Arand Khera	अरण्डखेडा
127.	Balapura	बालापुरा
128.	Galana	गलाना
129.	Bhagwanpura	भगवानपुरा
130.	Arlya Jageer	अरल्या जागीर
131.	Gandi Phali	गन्दीफली
132.	Kadihera	कादीहेडा

133.	Rajpura	राजपुरा
134.	Dahara	डाहरा
135.	Kethori	कैथोड़ी
136.	Manasgaon	मानसगांव
137.	Ghanghatana	घंघटाना
138.	Borabas	बोराबास
139.	Akhawa	अखावा
140.	Chand Bavri	चांदबावड़ी
141.	Dolya	डोल्या
142.	Sabalpura	सबलपुरा
143.	Rel	रेल
144.	Rojhala	रोझाला
145.	Kolana Urf Laxmi Pura	कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा
146.	Renkyakheri	रेनक्याखेड़ी
147.	Pachpahar	पचपहाड़
148.	Shyampura	श्यामपुरा
149.	Jeethya Urf Rumnagar	झीत्या उर्फ रामनगर
150.	Sarangpur	सारंगपुर
151.	Hanotya	हनोतिया
152.	Hirapur	हीरापुर
153.	Mandalya	मांदलिया
154.	Manpura	मानपुरा
155.	Kishanpura Dolya	किशनपुरा डोल्या
156.	Jaspura	जसपुरा
157.	Keshopura	केशवपुरा
158.	Mandir Garh	मन्दरगढ़
159.	Daulat Pura	दौलतपुरा
160.	Jodhpura	जोधपुरा
161.	Bakhshpura	बख्शपुरा
162.	Neemkheri	नीमखेड़ी
163.	Dhani	ढ़ाणी
164.	Mawasa	मवासा
165.	Haripura	हरिपुरा
166.	Ranipura	रानीपुरा

167.	Sohanpura	सोहनपुरा
168.	Gopalpura	गोपालपुरा
169.	Ravtha	रांवठा
170.	Bhanwariya	भंवरिया
171.	Ummedpura	उम्मेदपुरा
172.	Beel Kheri	बीलखेडी़
173.	Singh Pura	सिंहपुरा
174.	Tholpura	थोलपुरा
175.	Kalya Kheri	काल्याखेडी़
176.	Nayagaon	नयागांव
177.	Dobara	डोबडा़
178.	Padampura	पदमपुरा
179.	Kothala	कोथला
180.	Jhamra	झामरा
181.	Dadwara	डडवाड़ा
182.	Kanwarpura	कंवरपुरा
183.	Laxmipura	लक्ष्मीपुरा
184.	Mohanpura	मोहनपुरा
185.	Damodarpura	दामोदरपुरा
186.	Zalimpura	जालिमपुरा
187.	Ama Ka Pani	आमा का पानी
188.	Ganeshpura	गणेशपुरा
189.	Kharli Baori	खरली बावड़ी
190.	Narayanpura	नारायणपुरा
191.	Indrapura	इन्द्रपुरा
192.	Dohnya	दोहनिया
193.	Khangarpura	खंगारपुरा
194.	Amarpura	अमरपुरा
195.	Prithvipura	पृथ्वीपुरा
196.	Udpura	उदपुरा
197.	Bhagwanpura	भगवानपुरा
198.	Motipura	मोतीपुरा
199.	Girdharpura	गिरधरपुरा
200.	Borkui	बोरकुई

201.	Bugchach Khurd	बुगचाच खुर्द
202.	Bugchach Kalan	बुगचाच कलां
203.	Bachhriya	बाछड़िया
204.	Shyodanpura	श्योदानपुरा
205.	Nimkhera	नीमखेड़ा
206.	Ruppura	रूपपुरा
207.	Ratadiya	रातड़िया
208.	Kolipura	कोलीपुरा
209.	Kotbaori	कोटबावड़ी
210.	Ghodon Ka Gaon	घोड़ों का गांव
211.	Tholanpura	थोलनपुरा

Villages Tehsil Digod (Kota)

212.	Karariya	कराडिया
213.	Brijpura	बृजपुरा
214.	Polai Kalan	पोलाई कलां
215.	Nohati	नोहती
216.	Charheri	चारहेड़ी
217.	Char	चार
218.	Padliya	पाड़लिया
219.	Simaliya	सीमलिया
220.	Mandola	मंडोला
221.	Polai Khurd	पोलाई खुर्द
222.	Dagariya	डगारिया
223.	Moondla	मूंडला
224.	Bheempura	भीमपुरा
225.	Kasampura	कासमपुरा

Villages Tehsil Taleda (Bundi)

226.	Jakhmund	जाखमुण्ड
227.	Govindpur Baori	गोविन्दपुर बावड़ी
228.	Bhopat Pura	भोपतपुरा
229.	Sawar	संवर
230.	Seenta	सीन्ता
231.	Teerath	तीरथ
232.	Mehrana	महराना
233.	Vinayka	विनायका

234.	Ballop	बल्लोप
235.	Tulsi	तुलसी
236.	Rampuriya	रामपुरिया
237.	Kethooda	कैथूदा
238.	Balapura	बालापुरा
239.	Devariya (Mauja Manpuriya)	देवरिया (मौजा मानपुरिया)
240.	Kanan	कंणा
241.	Gamach	गामछ
242.	Daglawda	डगलवाडा
243.	Chandanheli	चन्दनहेली
244.	Dehit	देहित
245.	Bhawani Pura	भवानीपुरा
246.	Sedari	सेन्दड़ी
247.	Bakshpura	बक्षपुरा
248.	Notara	नोताड़ा
249.	Jameetpura	जमीतपुरा
250.	Kherla	खेडला
251.	Talera	तालेडा
252.	Raghunathpura	रघुनाथपुरा
253.	Lamba Peepal	लाम्बा पीपल
254.	Mandri	मांदड़ी
255.	Naya Bardha	नया बरधा
256.	Gagos	गागोस
257.	Motuka	मोटूका
258.	Alfanagar	अल्फा नगर
259.	Khurar	खुराड़
260.	Sandri	सांदड़ी
261.	Talab Bardha	तालाब बरधा
262.	Dora	डोरा
263.	Jaloti	जलोती
264.	Shyopuriya	श्योपुरिया
265.	Khadipur	खडीपुर
266.	Dhaneshwar	धनेश्वर
267.	Karondi	करोंदी

268.	Jawahar Sagar	जवाहर सागर
269.	Bhagwanpura Urf Chainpura	भगवानपुरा उर्फ चैनपुरा
270.	Deeloonda	देलून्दा
271.	Peetampura	पीतामपुरा
272.	Jal Ki Jhoopariyan	जाल की झोंपड़िया
273.	Kheroli	खेरोली

Villages Tehsil Keshavraipatan (Bundi)

274.	Neemoda	नीमोदा
275.	Soonagar	सूनगर
276.	Lakheri Khurd	लाखेरी खुर्द
277.	Gurli	गुडली
278.	Gurla	गुड़ला
279.	Vijay Nagar	विजय नगर
280.	Kherli	खेडली

Villages Kaithoon Urban Limit (Kota)

281.	Kaithoon Municipal Area	कैथून नगरीय क्षेत्र
282.	Bhimpura	भीमपुरा
283.	Arampura	आरामपुरा
284.	Jalkhera	जालखेडा

Villages Keshavraipatan Urban Limit (Bundi)

285.	Chari	चड़ी
286.	Indrapuriya	इन्द्रपुरिया
287.	Keshavraipatan	केशवरायपाटन
288.	Hatnapur	हथनापुर
289.	Ishwar Nagar	ईश्वर नगर
290.	Rang Puriya	रंगपुरिया
291.	Keshonagar	केशोनगर
292.	Patolya	पटोल्या

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।